लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12, बुधवार, 8 मार्च 1978/17 फाल्गुन, 1899 (शक)
No. 12, *Wednesday, March* 8, 1978/*Phalguna* 17, 1899 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	1–23
*तारांकित प्रश्न संख्या 205, 206, 208 और 209	*Starred Questions Nos. 205, 206, 208 and 209	
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी द्वारा अध्यक्ष के बारे में की गयी कतिपय टिप्पणियों सम्बन्धी विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Question of Privilege *Re.* Certain remarks by Shri Mohd. Shafi Qureshi about the Speaker	23–25
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions :	25–146
तारांकित प्रश्न संख्या 207 और 210 से 224	Starred Questions Nos. 207 and 210 to 224	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1887 से 1904, 1906 से 1944, 1946 से 2002, 2004 से 2016 और 2018 से 2086	Unstarred Questions Nos. 1887 to 1904, 1906 to 1944, 1946 to 2002, 2004 to 2016 and 2018 to 2086	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3836 दिनांक 14-12-77 के बारे में शुद्धि करने वाला विवरण	Correcting Statement *Re.* Unstarred Question No. 3836 dt. 14-12-77	147
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the table	147–151
जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की हड़ताल के बारे में	*Re.* Strike by Development Officers of LIC	151
श्री जयप्रकाश नारायण के इलाज सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में	*Re.* Report of inquiry committee of Shri Jayaprakash Narayan's Treatment	151

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—54 LSS/(ND)/78

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	152–153
इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों के आगमन और प्रस्थान में विलम्ब की बढ़ती हुई घटनायें	Growing Incidents of Delay in arrival and departure of Indian Airlines Planes	152–153
डा० वसंत कुमार पण्डित	Dr. Vasant Kumar Pandit	152–153
श्री पुरुषोत्तम कौशिक	Shri Purushottam Kaushik	152–153
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	154
13वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Thirteenth Report presented	154
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1975-76—	Demands for Excess Grants (Railway) 1975-76—	154
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	154
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 1977-78	Supplementary Demands for Grants (Railways) 1977-78—	154
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement Presented	154
नियम 377 के अधीन मामले :	Matters Under Rule 377 :	154–155
(एक) बबीना छावनी क्षेत्र, झांसी में 22 हरिजन सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाना	(i) Termination of Service of 22 Harijan Conservancy workers	154
(दो) बिहार में छात्रों द्वारा सम्भावित प्रदर्शन	(ii) Impending Demonstration by students in Bihar	154
(तीन) दिल्ली में और उसके आस-पास ईटों के भट्टों में काम करने वाले मजदूरों की दशा	(iii) Plight of Brick Kiln Workers in and around Delhi	155
(चार) आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों की कठिनाइयां	(iv) Hardships faced by Tobacco Growers in Andhra Pradesh	155
(पांच) चीनी मिलों द्वारा सरकारी दर पर गन्ना खरीदने से इंकार करने का समाचार	(v) Reported Refusal by Sugar Mills to buy Sugarcane at officially fixed rate	155

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक —**पुरःस्थापित**	Hindustan Tractors Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill—*Introduced*	155–156
रेलवे बजेट, 1978–79—सामान्य चर्चा—	Railway Budget, 1978-79—General Discussion—	156–176
श्री गोविन्द मुण्डा	Shri Govinda Munda	156
श्री बी० सी० कांबले	Shri B. C. Kamble	156–157
श्री रुडोल्फ रोड्रिग्स	Shri Rudolph Rodrigues	157–158
श्री ए० सुन्ना साहिब	Shri A. Sunna Sahib	158–159
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt	159–160
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu	160–161
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	161
श्री रघावलू मोहनरंगम	Shri Raghavalu Mohanarangam	161–162
श्री आर० डी० गट्टानी	Shri R. D. Gattani	162–163
श्री बी० पी० कदम	Shri B. P. Kadam	163
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal	163–164
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	164–165
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	165
श्री पूर्णनारायण सिन्हा	Shri Purna Narain Sinha	166–167
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	167–168
श्री पालस बर्मन	Shri Palas Barman	168
श्री रामजीलाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman	169
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukmdeo Narain Yadav	169–171
श्री जी० एम० बनातवाला	Shri G. M. Banatwalla	171–172
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajagopal Naidu	172–173
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty	173–174
श्री अहसान जाफरी	Shri Ahsan Jafri	174–175
श्री तेज प्रताप सिंह	Shri Tej Pratap Singh	175–176
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	176
13 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	Thirteenth Report presented	176

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 8 मार्च 1978/17 फाल्गुन 1899 (शक)
Wednesday, March 8, 1978/Phalguna 17, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री जान एन० विल्सन के दुःखद निधन के बारे में सूचना देनी है जिनका 82 वर्ष की आयु में 19 फरवरी, 1978 को मिर्जापुर में निधन हो गया ।

श्री विल्सन पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य थे और 1952 से 1962 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । पहले वह 1948 से 1952 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे ।

उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया और कई बार जेल गये । एक शिक्षाविद् रूप में वह अनेक शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध रहे और कई वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य रहे ।

हम इस मित्र के बिछुड़ जाने पर गहरा दुःख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में सभा मेरे साथ है :

दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सदस्य थोड़ी देर के लिए खड़े हों।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे ।
The Members then stood in silence for a short period.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जुटाये गये रोजगार के अवसर

*205. **श्री टी० ए० पई** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय का ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरण करने का विचार है ;

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अतिरिक्त रोजगार के लिए बजट में की गई 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था के परिणामस्वरूप इस वर्ष कितने रोजगार के अवसर पैदा किये ;

(ग) देश में 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए खादी का कितना स्टाक है ;

(घ) वार्षिक उत्पादन एवं बिक्री के आंकड़े क्या हैं ; और

(ङ) 1974, 1975, 1976 और 1977 में खादी के उत्पादन में कितने लोग लगे हुए थे ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चालू वर्ष में अतिरिक्त आदमियों को रोजगार प्रदान किया गया है ।

(ग) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1. स्टाक कीमत करोड़ रुपए में ।
2. उत्पादन तथा बिक्री मूल्य करोड़ रुपयों में ।
3. रोजगार-संख्या लाख आदमियों में ।

मद	1974-75	1975-76	1976-77
1. उत्पादन	43.28	46.73	56.03
2. बिक्री	42.01	50.30	51.97
3. खादी स्टाक	34.01	35.78	45.82
4. रोजगार	9.01	8.24	8.53

नोट.—उत्पादन केन्द्र थोक डिपो तथा खुदरा भण्डारों में रखा हुआ सामान्य स्टाक (जैसा कि विशेषज्ञों की समिति ने तैयार किया था) 9 से 10 महीने के उत्पादन के बराबर है । इस आधार पर स्टाक की स्थिति सामान्य लगती है । विस्तृत गतिविधियों के कारण स्टाक की समय सीमा बतलाना संभव नहीं है ।

श्री टी० ए० पई : वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को 36 करोड़ रुपये लगाने से 25 लाख और लोगों को रोजगार मिलेगा। इस से स्पष्ट है कि 5 लाख नौकरियों की व्यवस्था हुई है ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लगता है कि ग्राम की विकास की बातों के बावजूद दृष्टिकोण वही पुराना ही है ।

इसके साथ ही स्टाक भी उतना ही है जितना प्रतिवर्ष उत्पादन होता है । इस स्थिति में तो अतिरिक्त नौकरियां देने की बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता । सरकार इस बारे में क्या उपाय कर रही है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : इस समय खादी ग्रामोद्योग आयोग के समस्त कार्याकरण और भविष्य में उसके कार्य के अध्ययन के लिए अध्ययन ग्रुप बना हुआ है । यह ग्रुप 30 जून तक अपना प्रतिवेदन दे देगा । मैं आश्वासन देता हूं कि सदस्य महोदय ने जो सुझाव दिये हैं, सिफारिशें तैयार करते समय और कार्यवाही करते समय उन पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा ।

श्री हितेन्द्र देसाई : खादी के उत्पादन और उसकी बिक्री के कार्य में लगे कर्मचारियों की रोजाना आय क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है । उदाहरण के लिए बुनकर हैं जिनकी आय प्रति दिन 2 रु० से 10 रु० तक है । जहां तक भंडारों और भवनों में लगे कर्मचारियों का प्रश्न है उन्हें सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलता है ।

Shri O. P. Tyagi: May I know whether Government are aware that wrong accounts are being prepared in all Khadi Boards. For instance, I know this thing is happening in Moradabad Khadi Board. I want to know whether there is any machinery to see if work is going on smoothly or not. In rural areas particularly it is to be ensured whether payment is being made to those who work on spindles and whether weavers are getting the necessary goods?

श्री जार्ज फर्नान्डिस: खादी और ग्रामोद्योग आयोग पूरी नीतियों और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाओं की निगरानी करता है । खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का कार्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से चलता है जो राज्य सरकारों द्वारा बनाये जाते हैं । इस समय ऐसे 23 राज्य बोर्ड हैं । इसके अतिरिक्त 700 संस्थाएं और 2400 सहकारी समितियां और दुकानें हैं । केन्द्र से चल रहे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए प्रत्येक स्तर पर इन संस्थाओं के कार्य का निरीक्षण करना सम्भव नहीं। यदि कोई विशेष शिकायत है तो मैं उसकी जांच के लिए तैयार हूं । मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकारें भी जहां कहीं कोई बात उठती है, ध्यान देंगी ।

Dr. Ramji Singh: What are the reasons for not shifting the Headquarters of Khadi and Village Industries Commission from Bombay? Bihar tops in the production of khadi. So from the central point of view the headquarter should be located at Wardha or in Delhi and from technical point of view it should be in Gujarat. You have to incur lot of expenditure on the headquarter in Bombay. It must be shifted to another place.

Shri George Fernandes: I have not said that it would not be shifted. I have only said that there is no such proposal at present. But the question is not so easy. We will be faced with lot of difficulties while shifting this headquarter regarding establishment, paraphernalia, employees etc. We will try to find out some way.

श्री के० लक्कप्पा : खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों तथा इनके आयोग की गतिविधियों का पूरी तरह शहरीकरण कर दिया गया है । ये बोर्ड तथा आयोग बम्बई में कार्य कर रहे हैं । ये बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का साधन हैं और आयोग के समूचे कार्यकरण का शहरीकरण हो गया है। खादी तथा ग्रामउद्योग बोर्ड जो विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं, गांव के लोगों को रोजगार नहीं देते और गांवों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं । वे ग्रामीण लोगों को रोजगार देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास को ध्यान में रखकर कार्य नहीं कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं, जिनका अनुसरण किया जा रहा है । क्या मंत्रालय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की गतिविधियों तथा कार्यकरण समूचे प्रश्न पर विचार करने जा रहा है ताकि यह शहरी क्षेत्रों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करे ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को खादी संस्थाओं तथा अन्य विभिन्न संगठनों, जो कि पूरी तरह खादी और ग्रामोद्योग आयोग या राज्य बोर्डों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, के कार्यकरण की सही जानकारी नहीं है । इस समय खादी तथा ग्रामोद्योगों में लगभग 25 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है । जैसा कि मैंने श्री टी० ए० पाई के एक प्रश्न के उत्तर में कहा है, इस वर्ष इसमें अतिरिक्त धन लगाने तथा अतिरिक्त प्रयासों के कारण हम खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में 5 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा कर पाये हैं और अब वहां 25 लाख व्यक्तियों को बजाय 30 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हैं । इनमें से कोई भी नौकरी शहरी क्षेत्र में नहीं है । ये सब नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रामोद्योग शहरों में काम करें, जैसा कि श्री लकप्पा ने कहा है ।

श्री के० लकप्पा : ऐसा हो रहा है ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : शहर और गांव का उनका सिद्धान्त मेरे सिद्धान्त से भिन्न हो सकता है । ग्रामोद्योग अनिवार्य रूप से गांवों में होते हैं । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे दूं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की गतिविधियों गांवों में ग्रामीण विकास के लिए तेज की जा रही हैं ।

Shri Mrityunjay Prasad Verma : Khadi is related to the cloth weaved with hands, but at present it is seen that most of the cloth in authorised stocks are mixed. They are made of hand spun and mill-made yarn. This should be enquired into so that the people using khadi may get pure khadi clothes. In such circumstances we have to use handloom cloth. I want to know whether the quality of khadi cloth will be controlled and the cotton prepared with hands and in the mills will not be mixed up?

Shri George Fernandes : We have not received any such complaint from anywhere so far. Now that you have complained about it, we will enquire into it. If it is found correct, we will find ways.

श्री जगन्नाथ राव : कुछ वर्ष पूर्व कोयम्बतूर में एक नए प्रकार का अम्बर चरखा तैयार किया गया था और उस समय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन, श्री डेबर तथा मैंने मंत्री के रूप में उस स्थान का दौरा किया और देखा कि अम्बर चर्खे में कई महिलाएं कार्य कर रही थीं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसमें प्रगति हो रही है और इसमें काम कर रही महिलाओं की क्या संख्या है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : मुझे इस मामले पर विचार करना होगा ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पूर्वी क्षेत्र के सहायक एकक का आधुनिकीकरण

*206. **श्री प्रद्युम्न बाल :**
श्री अरविंदबाला पजनोर :

क्या **उद्योग** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पूर्वी क्षेत्र के सहायक एकक द्वारा कितनी मिलें चलाई जा रही है ;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पूर्वी क्षेत्र के सहायक एकक को हर महीने कितनी और कब से हानि हो रही है और इस प्रकार कुल कितनी हानि हो चुकी है ;

(ग) उक्त एकक के आधुनिकीकरण के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(घ) आधुनिकीकरण पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने और सरकारी उपक्रम को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 18 राष्ट्रीयकृत वस्त्रें मिलें हैं जो राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली की अनुषंगी राष्ट्रीय वस्त्र निगम (पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, तथा उड़ीसा) लि० कलकत्ता द्वारा चलाई जा रही हैं ।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार तथा उड़ीसा) को 1-4-74 से हुई हानि इस प्रकार है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	निवल हानि	मासिक औसतन
1974-75	647.25	53.94
1975-76 . . .	961.64	80.14
1976-77	476.73	39.72
1977-78 (अप्रैल 77 से जनवरी 78)		
अप्रैल, 1977 . . .	50.36	
मई, 1977	56.22	
जून, 1977	69.41	
जुलाई, 1977	58.81	
अगस्त, 1977	59.28	
सितम्बर, 1977	69.11	
अक्तूबर, 1977	84.21	
नवम्बर, 1977	89.65	
दिसम्बर, 1977	78.86	
जनवरी, 1978	71.68	68.76

इस अनुषंगी द्वारा जनवरी, 1978 तक हुई इकट्ठी हानि 2773.21 लाख थी ।

वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान बोनस के रूप में भुगतान की गई 69 लाख रु० की राशि इसमें शामिल नहीं है ।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 28 फरवरी, 1978 तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम (पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार तथा उड़ीसा) लि० को इसके अन्तर्गत एककों के आधुनीकरण के लिए 1054.64 लाख रु० की राशि मंजूर की गई है ।

(घ) 480 लाख रु० को आधुनीकीकरण योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है । इसके अलावा 525 लाख रु० के आदेश दिये जा चुके हैं और उनको शीघ्र ही पूरा कर लिये जाने की आशा है ।

(ङ) इस अनुषंगी के कार्य में सुधार करने तथा बेहतर कार्य करने के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय लिखे गये हैं/जा रहे है :—

1. बिजली को बिन रुके सप्लाई के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार से अनुरोध करना ।
2. ऐच्छिक श्रम युक्तिकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार का सहयोग प्राप्त करना ।
3. अनुषंगी के प्रबंध को सुदृढ करना, तथा
4. आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना ।

श्री प्रद्युम्न बाल : राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अब राष्ट्रीय वस्त्र भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है । इस निगम में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है । मंत्री जी तथा सरकार को इस मामले ने गहराई से विचार करना चाहिये । जब कोई कपडा मिल पुरानी हो जाती है, जब उद्योगपति लाभ के रूप में उस मिल से सब कुछ निकाल लेते है और मिल को दयनीय स्थिति में छोड देते है तभी सरकार उस मिल को अपने अधिकार में लेती है । इससे पता चलता है की राष्ट्रीय वस्त्र निगम में कितना भ्रष्टाचार है । वे मिलें गरीबों के लिए नियंत्रित मूल्य पर स्टैंडर्ड कपडे का निर्माण नहीं कर रही हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्रालय इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रहा है और क्या सरकार यह विचार करेगी कि ये मिलें केवल सस्ते कपड़ो का उत्पादन करें जो कि लाखों गरीब लोगों को उपलब्ध हो सके ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : हमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम एक प्रकार से उतराधिकार के रूप में मिला है और यह सही है कि जब 103 वस्त्र मिलें बन्द हो गई तो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया । अभी भी बड़ी संख्या में मिलों बन्द है और इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार को उन मिलो को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए । हम उन्हें अपने अधिकार में नहीं ले पाये है । ऐसी परिस्थितियों में, जबकि हमने आर्थिक दृष्टी से रुग्ण मिलों को अपने अधिकार में लिया है तो यह आवश्यक है कि उसमें कुछ घाटा होगा । अब हम इन मिलों का आधुनिकीकरण करने का प्रयास कर रहे है । इस कार्य में काफी धन लगा चुके है और पुरानी मशीनों को हटाया जा रहा । यदि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कुछ विशेष आरोप है और उच्च कार्यकारी अधिकारियो के विरुद्ध आरोप लगाया गए है तो उन आरोपों की जांच की जा रही है । कार्यवाही की जा रही है, की गई है और की जायेगी । सरकारी स्तर पर हाल ही में राष्ट्रीय

वस्त्र निगम को मिलों के लिए एक नीति पर विचार-विमर्श किया जा रहा है और तीन या चार सप्ताहो के दौरान मैं उसे सभा में पेश कर दूंगा । यह बात निश्चित की जायेगी कि ये मिलें किस तरह के कपड़े का उत्पादन करेंगी । घाटा उठाने वाली मिलो को मुनाफा कमाने योग्य बनाने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जायेंगे, ये सभी बातें उस नीति में होगीं ।

श्री प्रद्युम्न बाल : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होने उत्तर दे दिया है । उन्होने कहा है कि क्षेत्रो के बारे में बातचीत की जायेगी ।

श्री प्रद्युम्न बाल : नियंत्रित कपड़े के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया ।

अध्यक्ष महोदय : आपने उनकी बात को नहीं समझा उन्होने उसके बारे में कह दिया है ।

श्री जार्ज फर्नेनडिस : समूचे प्रश्न पर चर्चा हो रही है और अगले तीन या चार सप्ताह में मैं सभा के समक्ष इस सम्बध में नीति की घोषणा करूंगा।

श्री प्रद्युम्न बाल : उडीसा में कटक के समीप चौद्वार में एक उसीसा टेक्सटाइल मिल है; जब यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन थी तब मैंने सरकार का ध्यान सलाहकार समिति में इस ओर आकर्षित किया था अब इसे उद्योग मंत्रालय के अधीन रख दिया गया है। इस मिल की स्थापना 1946 में हुई थी और 30 वर्षों से अधिक समय तक यह मिल गैर-सरकारी उद्योगपतियों द्वारा चलाई जाती रही है। इसमें घाटा हो रहा है। मेरी जानकारी यह है कि वे बहुत मुनाफा कमा रहे है। और शेअर धारियों को धोखा देने के लिए मुनाफा नहीं दिखा रह हैं। जब यह बिल्कुल पुरानी हो जाये और वास्तविक रुप से उसे हानि होने लगे तभी सरकार को उस मिल को अपने अधिकार में लेने पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बारे में है ।

श्री प्रद्युम्न बाल : क्या वह इस मिल को अपने अधिकार में लेने पर विचार करेंगे जबकि वहा सब कुछ ठीक चल रहा है?

श्री जार्ज फर्नेनडिस : दुर्भाग्य से मैं किसी भी मिल को अपने हाथ में नहीं ले रहा हूं चाहे वह कोई भी हो ।

श्री प्रद्युम्न बाल : क्या वह इस पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस पर विचार नहीं कर सकते क्योंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानते ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अभी मंत्री जी ने कहा कि यह मिल उन्हें रुग्ण दशा में मिली है, किन्तु उन्हें यह भी जानना चाहिए कि उन्हें सरकार भी उत्तराधिकार के रूप में मिली है । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होने यथासंभव कम समय में इन मिलों के

आधुनिकीकरण के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं । श्री पाई के मंत्रित्व काल में हमारे पास काफी मशीनरी थी । उन्होंने टेक्सटाइल मिलों को मशीनों की व्यवस्था की है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिलों ने उन मशीनों को ले लिया है और कितनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है । और वह शेष मिलों के आधुनिकीकरण में कितना समय लगायेंगे ताकि उनकी क्षमता बढ़ सके ।

श्री जार्ज फर्नेंडिस : इस समय हम इन मिलों के आधुनिकीकरण में लगे हुए है । इसके लिए धन नियत किया गया है, जिसका उपयोग किया जा रहा है और आधुनिकीकरण की योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है । आधुनिकीकरण की योजनाओं को परा करने में कुछ समय लगेगा ।

Shri Lakhan Lal Kapur: The hon. Minister has said that Government's policy is to modernise the sick mills and to decentralise the cloth industry. So far as coarse cloth is concerned, it is being shifted to power looms. I want to know whether Government will consider dismantling sick units instead of spending huge amounts thereon and that money is spent on powerlooms and handlooms and the textile industry is decentralised? I would also like to know whether Government is giving subsidy of 70 Paise per metre to the exporting mills working under N.T.C. and private parties? If so, why and why it is necessary?

Shri George Fernandes: So far as decentralisation is concerned, we are having talks with the workers of National Textile Corporation and we are thinking that if any sick mill is in miserable condition, that should be closed and small power looms are set up in villages where these workers will be absorbed. But it is doubtful that the workers working in mills will agree to work in handloom sector, we have not got so far any response from their trade unions. But our efforts about power looms are continuing and we hope we will be successful. So far as export is concerned, the Commerce Minister can give correct information in this regard. I am not in a position to reply in this connection.

Choudhary Balbir Singh: On the one hand the hon. Minister says that the sick mills will be modernised and on the other hand, in reply to first question, he has said that work of Khadi Board will be expanded in order to give more employment opportunities to the people. If we go in for modernisation of the sick mills, the employment opportunities will be on the wane you are talking about Khadi Board also. The question is how will you keep a balance between these two.

Shri George Fernandes: Sir, I do not find any contradiction between these two proposals. At present we are producing eight hundred crore metres of cloth. Out of that four crore metres cloth is produced in mills. Two hundred crore meters is produced in power looms and 200 crore meters is produced in the handloom sector. In order to increase the production of cloth from 8 hundred crore metres to 1200 crore metres, we will have to make all efforts.

श्री सौगत राय : श्रीमान, जब इन रूग्ण एककों को अपने अधिकार में लिया गया था तो वास्तव में उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था उनकी प्रबन्ध व्यवस्था को कई वर्षों तक अपने अधिकार में रखा गया था और कई मामलों में ऐसा हुआ कि सरकार द्वारा प्रबन्ध व्यवस्था को अपने अधिकार में लेने के निर्णय के विरुद्ध उन मिलों के प्रबन्धक

न्यायालय के समक्ष गए ताकि सरकार द्वारा उनका प्रबन्ध अपने अधिकार में लेना समाप्त हो जाए और ऐसा कई मामलों में हुआ है । अतः क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इस अधिग्रहण को स्थायी बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है । राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उन पर इतना धन व्यय करने के पश्चात इनका प्रबन्ध भूतपूर्व प्रबन्धकों को वापस नहीं दिया जायेगा इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री जार्ज फर्नेंडिस : राष्ट्रीय वस्त्र निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाली राष्ट्रीयकृत मिलों का मुकदमें का मामला बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता । वे ऐसी मिलें हैं जिन पर सरकार का अधिकार है और इन मिलों को गैर-सरकारी हाथों में वापस देने का कोई प्रश्न ही नहीं है । राष्ट्रीय वस्त्र नियम के अन्तर्गत वे सारी मिलें हमारी हैं और उन मिलों में जो कुछ भी है वह हमारा है । इन 103 मिलों के साथ किसी गैर-सरकारी मालिक किसी गैर-सरकारी शेयर धारी का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Manohar Lal: All the mills under N.T.C. are running at a loss. There are no two opinions about that. The seven mills working under N.T.C. in Kanpur are running in loss. The main reason for this loss is that the previous Government appointed the General Managers in these mills on purly political basis. They had no experience of Textiles. The second reason is that the labour departments of State Governments cannot interfere in the working of these mills, because the management of these mills is in the hands of Central Government. That is why the labour departments of State Governments cannot interfere. So I would like to know from the Hon. Minister whether he will remove those General Managers from those mills who had been appointed by the previous Government on political basis and whether new General Managers having experience about textile will be appointed in their place? Secondly, whether the labour departments of State Governments will be allowed to interfere in the working of these mills?

Shri George Fernandes: It is wrong to say that all the mills are running in loss. The total number of textile mills working under N.T.C. is 103 and out of them 18 mills were running in profit in December, 1976 and now two months back i.e. since December, 1977 43 mills are running in profit. Now only 60 mills are running in loss. During the last 12 months, after lifting emergency, there has been considerable improvement in these mills. There is speedy improvement in these mills. For example the total loss in the month of January was to the tune of rupees 1 crore and 35 lakhs. It is our constant endeavour that the condition of these mills is improved, I am sure that we will be successful in that. So far as the question of appointments made on political basis is concerned, I have not received any complaint in this regard. But if any officer is found incapable, we will have to remove him. We expect cooperation from State Governments about these mills and any industry in any sector.

हल्दिया में जहाज मरम्मत यार्ड

*208. **श्री समर मुखर्जी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हल्दिया में जहाज मरम्मत यार्ड के निर्माण के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : हल्दिया में जहाज मरम्मत यार्ड का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है । कलकत्ता क्षेत्र में जहाज मरम्मत कम्लेक्स की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल ने हल्दिया में जहाज मरम्मत यार्ड की आवश्यकता की सिफारिश कर दी है । सरकार वित्तीय तथा अन्य प्राथमिकताओं के अधीन मामले पर और विचार करेगी ।

श्री समर मुखर्जी : उत्तर से प्रतीत होता है कि सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है । इस जहाज मरम्मत यार्ड पर काम शुरू करने में सरकार कितना समय लेगी ? इसके कब पूरा होने की आशा है ? इस बारे में ठोस आश्वासन दिया जाना चाहिये ।

श्री चांद राम : मंत्रालय द्वारा 1976 में नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशें दी हैं; और हमें फरवरी 1978 में ये सिफारिशें मिली हैं । इस प्रतिवेदन की जांच की जा रही है; और हम शीघ्र निर्णय लेंगे । वास्तव में, हमने पंचवर्षीय योजना में भी हल्दिया में जहाज मरम्मत काम्पनेक्स के निर्माण के लिये तदर्थ उपबन्ध किया है; और हम शीघ्र काम आरम्भ करेंगे ।

श्री समर मुखर्जी : यह कब पूरा होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह नहीं बता सकते ।

श्री समर मुखर्जी : कोई तो योजना होनी है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है । इसके पूरा होने के बाद ही वह कुछ बता पायेंगे ।

श्री समर मुखर्जी : पूरा होने के बाद यहां पर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

श्री चांद राम : सलाहकारों की समिति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगी ; और इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कितने लोगों को यहां रोजगार मिलेगा । आर्थिक सक्षमता, आदि के बारे में हमें एक विस्तृत प्रतिवेदन मिलेगा । **(व्यवधान)**

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : क्या मंत्री जी को पता है कि हल्दिया विकास के बारे में अभी तक लोगों को केवल आश्वासन ही दिये गये हैं । दूसरे, क्या मंत्रीजी को हल्दिया परियोजना के उचित विकास के लिये हल्दिया में आधारभूत ढांचा बनाने तथा उसका विकास किये जाने की आवश्यकता के बारे में भी पता है ? तीसरे, क्या उन्हें मालूम है कि कलकत्ता बन्दरगाह में ही मरम्मत की बहुत बढ़िया व्यवस्था है ? हल्दिया में जहाज निर्माण के बारे में क्या हुआ ?

श्री चांद राम : मैंने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि यहां पर जहाज निर्माण यार्ड बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है । हमने यह स्वीकार किया है ..... **(व्यवधान)**

श्री सौगत राय : मंत्री द्वारा यह कहने का क्या अर्थ है कि वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है । विशेष समिति ने सिफारिश में कहा है कि वहां पर गुंजाइश है । उनका कहना है कि वहां पर जहाज निर्माण यार्ड की कोई गुंजाइश नहीं है । **(व्यवधान)**

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : हल्दिया में जहाज बनाने की गुंजाइश है ।

श्री चांद राम : मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि हम जहाज मरम्मत यार्ड स्थापित कर रहे है न कि जहाज निर्माण यार्ड ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : समिति ने हल्दिया में इसके पक्ष में नहीं कहा है । इसने दो अन्य नाम बताये हैं । जब मैंने मुख्य मंत्री के साथ चर्चा की तो मैंने कहा कि इसके स्थान पर हम जहाज निर्माण यार्ड पर विचार करेंगे और इसी लिये हम गम्भीरता से इसपर विचार कर रहे हैं ।

Shri Lalji Bhai: The hon. Minister has just now stated that discussions are going on in regard the place out of the two at which the factory is to be set up. May I know at which place the factory is likely to be set up?

Shri Chand Ram: D.P.R. is called for to find out suitable place for it. Decision in regard to suitability will be taken on receipt of D.P.R. only.

मंत्रियों के दौरों पर खर्च में मितव्ययिता

*209. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन:** क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों पर इस बात के लिए बल दिया है कि दौरों पर खर्च की राशि में अत्याधिक मितव्ययिता बरतें;

(ख) क्या उन्होंने मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे कि वे सरकारी कार्य और चुनाव कार्य के बीच विभेद करें;

(ग) यदि हां, तो कितने मंत्रियों ने ऐसे राज्यों का सरकारी दौरा किया था जिनमें फरवरी, 1978 में चुनाव होने वाले थे;

(घ) इनमें से प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ङ) उन मंत्रियों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी बार इन राज्यों का दौरा किया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) इस विषय पर कोई नये औपचारिक अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं । परन्तु जनता पार्टी के सिद्धान्त के अनुसार केन्द्रीय मंत्री यात्राओं पर अनावश्यक खर्च से बचने और अत्यधिक मितव्ययता बरतने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं ।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धान्त की एक प्रतिलिपि संलग्न है । (**विवरण**)

(ग), (घ) तथा (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

चुनाव दौरों समेत गैर सरकारी प्रयोजनों के लिए मंत्री के दौरों के संबंध में समय समय पर जारी किये गये तथा पुनः जारी किये गये अनुदेश अनेक पत्रों में निहित हैं । ये संक्षेप में इस प्रकार है :—

सामान्य अनुदेश

(1) जब तक कोई मंत्री अपने पद को नहीं त्याग देता है तब तक वह सरकारी कार्यों का प्रभारी होता है और तदनुसार दौरों के समय भी, चाहे वह सरकारी अथवा गैर-सरकारी प्रयोजन के लिए हो, उन्हें मंत्री के रूप में दायित्वों को निर्वहन करते रहना चाहिए। इसलिए,

(क) वे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी अपने साथ ले जा सकते हैं और ऐसे कर्मचारी नियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता लेने के हकदार हैं ; और

(ख) जब वे किसी स्थान का दौरा करते हैं ; तो जिला प्राधिकारियों को सामान्य शिष्टाचार तथा सुरक्षा के लिए प्रबंध करने चाहिए ।

(2) मंत्री सरकारी प्रयोजनों, अर्थात दौरी, कर्त्तव्यों के अनुसार वास्तविक कार्यों, जो वे मुख्यालय पर नहीं कर सकते, के लिए किये गये दौरों के लिए केवल यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते का दावा कर सकते हैं । यदि कोई सरकारी दौरा मंत्री के गैर-सरकारी कामकाज से सम्बद्ध है, जिसमें पार्टी का काम शामिल है और उन्हें इस प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है, तो वे अतिरिक्त मात्रा के लिए किसी यात्रा भत्ते के हकदार नहीं है । यदि कोई मंत्री सरकारी दौरे के समय ठहरने के अपने किसी दिन को बिल्कुल प्राइवेट कार्य के लिए लगाते हैं तो वे उस दिन लिए के दैनिक भत्ते के हकदार नहीं हैं ।

चुनाव दौरों के बारे में विशेष अनुदेश

(3) जब कभी कोई मंत्री यह तय करते हैं कि कोई सभा, जो उन्हें सोधित करनी है, एक चुनाव सभा है, तो उन्हें अपनी ओर से गैर सरकारी तौर पर प्रबन्धो के लिए कहना चाहिए न कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा । चुनाव दौरों में सरकारी बैठकें बहुत कम होंगी और सामान्यतः सार्वजनिक सभाओं को चुनाव सभायें समझा जाना चाहिए और विधि व व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित खर्च को छोड़कर सभी खर्च निजीतौर पर वहन किया जाना चाहिए ।

(4) चुनाव सभाओ में अधिकारियों की भूमिका विधि व व्यवस्था बनाये रखने तथा मंत्रियों को सामान्य सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित रहनी चाहिए ।

(5) जो यात्राएं मंत्रियो के चुनाव अभियान के मुख्य प्रयोजन से की गई हों उनके लिए मंत्रियों द्वारा कोई यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता नहीं लिया जाना चाहिए । यह समझा जाएगा कि चुनावो से कुछ सप्ताह पहले के दौरों के समय मंत्री की गतिविधियां उनके सरकारी कर्त्तव्यों की अपेक्षा चुनावी से अधिक संबंधित होती हैं ।

(6) मंत्री द्वारा नामांकन पत्र दर्ज करने के लिए की गई यात्रा तथा बाद में उनके निर्वाचन क्षेत्र के दौरो को चुनाव प्रयोजनों के लिए किये गये दौरे समझना चाहिए ।

(7) यदि मंत्री, जो अपने खर्च पर चुनाव प्रयोजनों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में गये हों, को ड्यूटी पर कुछ अन्य स्थान पर जाना पड़े, तो वे अपने मुख्यालय से अन्य स्थान तक तथा वापस मुख्यालय तक ग्राह्य राशि का सीमित यात्रा भत्ता ले सकते हैं । यदि उन्हें अपना चुनाव कार्य बीच में रोक कर लोक हित में अपने चुनाव क्षेत्र से मुख्यालय को वापस आना पड़े तो वे केवल वापसी का हवाई जहाज या रेल के किराये का दावा कर सकते हैं । मंत्रिमण्डल तथा मंत्रिमण्डल की उप-समिति की बैठकों में उपस्थिति निस्संदेह लोक हित में शामिल है । जहां तक संभव हो मुख्यालय पर अन्य बैठकों तथा सम्मेलनों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

(8) जहां मंत्री को पूर्णतः सरकारी खर्च पर कार उपलब्ध की गई हो तो कार का प्रयोग चुनाव प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए । जहां कार सरकार द्वारा दी जाती है परन्तु मंत्री को वाहन के रखरखाव के लिए भत्ता दिया जाता है वहां भी चुनाव प्रयोजनों के लिए ऐसा वाहन प्रयोग करना वांछनीय नहीं होगा ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट उत्तर देंगे कि चुनावों के दौरान दौरों पर गये मंत्रियों ने मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन किया है और उनका उल्लंघन नहीं किया है ।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि मुझे आशा है कि मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : चूंकि जनता पार्टी के नये दर्शनशास्त्र की बात हुई है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार अपने दर्शनशास्त्र के अनुसार इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

श्री धनिक लाल मंडल : मार्गदर्शी सिद्धान्तों में परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मितव्ययिता बरतने के लिये भरसक प्रयास किया जायेगा ।

श्री राघवेलु मोहनरंगम : माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रश्न के भाग (ग), (घ) और (ङ) के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस छोटे से प्रश्न का उत्तर देने में वह कितना समय लेंगे ? इसमें 22 दिन लग चुके हैं । मालूम नहीं वह इसका उत्तर देने में कितने वर्ष लेंगे ।

Shri Dhanik Lal Mandal: Elections were held in five states and Ministei went to all these States. Information is to be collected from all these States. I do not think if there is any delay in collecting the information.

Shri Ram Prakash Tripathi: Whether the copies of guidelines prepared for Union Ministers will be sent to State Governments also so that Ministers of State Governments can also follow them?

Shri Dhanik Lal Mandal: This does not arise out of this question.

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री जी ने बताया है कि उन्हें विशेषकर चुनाव के महीनों में सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा किये गये दौरों सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करने में कुछ समय लगेगा । मैं सूचना की प्रतीक्षा कर सकता हूं । मेरा अनुपूरक प्रश्न भाग (क) के बारे में है जिसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं । क्या मार्गदर्शी सिद्धान्तों में शीघ्र ही यह विशेष अनुदेश भी शामिल किया जाएगा कि जहां तक सम्भव हो मंत्री के कर्मचारीगणों एवं कार्यक्रमों की देखरेख के लिए कम से कम स्थानीय सरकारी तंत्र का उपयोग किया जाए ताकि स्थानीय प्रशासन को हानि न हो क्योंकि पिछला अनुभव यह रहा है कि काफी स्थानीय काम इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि कई सरकारी अधिकारियों को बिना अपना काम किए मंत्रियों के इर्द-गिर्द मंडराना पड़ता है ।

Shri Dhanik Lal Mandal: It has been clearly stated in the guidelines that when a Minister visits any place, local officials may be present for normal courtsey. 'Hang around' system will not be followed.

Shri Kanwar Lal Gupta: The guidelines prepared by the Government are the same which were prepared by the former Government or any change has been incorporated in the guidelines ?

Do they have such information that former Ministers were also accompanied by the Party leaders? Do they know that public funds to the tune of crores of Rupees were spent on tours of Sanjay Gandhi? Will the money be recovered ; if not, the reasons therefor ?

Shri Dhanik Lal Mandal: Only the first part and not the latter part of the question relates to guidelines.

श्री वी० रचैया : फरवरी, 1978 के आंध्र प्रदेश के और विशेषकर गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों के दौरान कितने मंत्रियों ने वहां का दौरा किया ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के पास जानकारी नहीं है । वह पहले ही बता चुके हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

Shri Ram Kanwar Berwa: Mr. Speaker, Sir, there was a full length discussion in parliament regarding tradition of misuse of Government sources set by the former Government and Government had stated that the expenditure on such misuse is being reduced. I would like to know whether they have reached the conclusion that the former Government misused the funds and if so, the amount of money misused ? May I know as to when the policy, to be adopted, will be implemented so that hon. Ministers could follow the new policy?

Shri Dhanik Lal Mandal: So far as the first part of the question is concerned, I have no off-hand information. But so far as second part of the question is concerned, I would like to tell that in the year 1973-74, 44.27 lakhs and in the year 1974-75, 33.29 lakhs of rupees were spent.

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो सम्बन्धित नहीं है ।

श्री सौगत राय : यह बताना पर्याप्त नहीं है कि जानकारी एकत्र की जा रही है । मंत्री महोदय को सही जानकारी देनी चाहिए या प्रश्न किसी अन्य तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए ।

Shri Ahsan Jafri : What was happening before is happening even today. Our Prime Minister and several Ministers used helicoptes. I would like to know from which source, the money was given ?

Shri Dhanik Lal Mandal : It was given by the Party.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 210 (व्यवधान)

श्री सौगत राय : मंत्री महोदय उत्तर देने से बच रहे हैं । हम आपका संरक्षण चाहते हैं । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब अगला प्रश्न लिया जाएगा । प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । यदि कोई सदस्य इस पर आधे घंटे की चर्चा चाहता है तो वह इसकी सूचना दे सकता है । मैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी द्वारा अध्यक्ष के बारे में की गयी कतिपय टिप्पणियों संबंधी विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

QUESTION OF PRIVILEGE *RE.* CERTAIN REMARKS BY SHRI MOHD. SHAFI QURESHI ABOUT THE SPEAKER

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरा निवेदन है...

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : आप यह धमकी दे रहे हैं कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा । फिर आप सदन का कामकाज कैसे चलाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहायता से सदन का कामकाज नहीं चला रहा ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : नहीं, नहीं । आप सदन का कामकाज नहीं चला रहे । आपने इस संसद् को बरबाद कर दिया है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इस कुर्सी के लायक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसा कहेंगे, तो मैं यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दूंगा ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं ऐसा ही कहूंगा । आप मुझे सभा से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सिखा नहीं सकते...आप फिर दोहरा रहे हैं ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
*Not recorded.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं ऐसा ही कहूंगा। आप मुझे सभा से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। मैं 101 बार ऐसा कहूंगा। आप पक्षपात कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे नोट किया जाए। आप या तो अपने शब्द वापस लीजिए अथवा मुझे यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : आप यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा... **(व्यवधान)**। आपके विरुद्ध मेरे पास काफी प्रमाण हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : ** **(व्यवधान)**

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि श्री कुरेशी द्वारा कहे गए शब्दों को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये। आप इस पर सदन की राय लें। **(व्यवधान)** मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री कुरेशी द्वारा अध्यक्ष के विरुद्ध कहे गए शब्द विशेषाधिकार समिति को भेजे जाएं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त का प्रस्ताव है :

"कि श्री कुरेशी द्वारा कहे गए शब्द विशेषाधिकार समिति को भेजे जाएं।"

जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे 'हां' कहें। **(व्यवधान)**

कई माननीय सदस्य : हां **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अधिक सदस्य पक्ष में हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : आपके राज्यों को भी विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : ** **(व्यवधान)**

[इसके बाद श्री मोहम्मद शफी कुरेशी तथा अन्य कई माननीय सदस्य मंच की ओर गए।]

[At this stage, Shri Mohd. Shafi Qureshi and some other hon. Members went to the Dais.]

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यदि आप ऐसा व्यवहार करेंगे... **(व्यवधान)** यह कोई तरीका नहीं है... **(व्यवधान)** माननीय सदस्यों से मेरी अपील है... **(व्यवधान)** यदि आप ऐसे व्यवहार करेंगे... **(व्यवधान)** मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम विवेक को त्याग

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।
**Not recorded.

कर भावनाओं में बह जाते हैं। इस प्रकार मामला कैसे हल हो सकता है ? मामले को उचित ढंग से हल किया जा सकता है। यदि अध्यक्ष किसी बात पर 'हां' नहीं कहता या उसे पसन्द नहीं करता तो यह बात समझ में आने वाली है। अध्यक्ष भी हमारी तरह मनुष्य हैं। अध्यक्ष ने सदस्यों को तसल्ली के अनुरूप निर्णय न दिया हो। परन्तु यदि सदस्य यह कहते हैं कि वह इस कुर्सी के लायक नहीं है, उन्होंने संसद को बरबाद कर दिया है... (**व्यवधान**)

कई माननीय सदस्य : शर्म आनी चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा न कीजिए।

श्री मोहम्मद शफी क़ुरेशी : सदन का नेता बोल रहा है और सदस्य चिल्ला रहे हैं। कितने शर्म की बात है। (**व्यवधान**)

श्री मोरारजी देसाई : क्या यह उचित है कि माननीय सदस्य अध्यक्ष के पास आकर ऐसा प्रदर्शन करें। यदि ऐसा होता रहा तो आगे जाकर हिंसा और हाथापाई तक हो सकती है। (**व्यवधान**) विवाद हेलीकाप्टर के प्रश्न को लेकर, हुआ था। प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं समझ नहीं पाया क्योंकि मैं उस समय उत्तर ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा था। लेकिन मैं यह समझा था कि ये हेलीकाप्टर किराए पर लिए गए थे और पार्टी के सदस्यों ने इसके लिए पैसा दिया था। प्रतिपक्षी नेताओं ने भी ऐसा ही किया था। पूछा गया था कि पार्टियों ने कितना पैसा व्यय किया ? मंत्री महोदय इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं ? यह जवाब पार्टी को देना चाहिए और सभी पार्टियों को अपना अपना व्यय बताना चाहिए। हम भी अपना व्यय बताएंगे। लेकिन इस प्रकार अध्यक्ष तक पहुंचना ठीक नहीं है। हम इस बात के लिए दृढप्रतिज्ञ हैं कि हम अध्यक्ष की सहायता करें ताकि कार्य सुचारू ढंग से चले। यदि हम अध्यक्ष से असंतुष्ट है तो भी यह हमारे लिए गलत होगा कि हम शब्दों या आचरण द्वारा अध्यक्ष का अपमान करें। अच्छा यह होगा कि ऐसी स्थिति में सदस्य अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाएं। लेकिन अध्यक्ष का अपमान दण्डनीय है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रजातंत्र के विरुद्ध अपराध होगा। मैं किसी की निन्दा नहीं कर रहा। मेरा निन्दा करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वे ऐसा न करें। यदि सदस्य चाहें तो हम समय निश्चित करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अध्यक्ष का अपमान करते हैं तो क्या इससे सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ? क्या जनता की नजरों में हम प्रतिष्ठित रह जाएंगे ? सदन में सभी प्रकार के दर्शक होते हैं। यहां विदेशी भी आते हैं। छात्र भी और युवा भी। हम उन्हें क्या शिक्षा दे रहे हैं ? मैं इस प्रकार का विरोध अच्छा नहीं समझता। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यदि कोई सदस्य क्रोधित होता है तो दूसरों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि सभी क्रोधित हो उठेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा ? कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि यह मानवीय कमजोरी नहीं है। यह कमजोरी आम तौर पर पाई जाती है। लेकिन हमें इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रतिपक्षी सदस्य किसी भी तरह अध्यक्ष का अपमान करने का प्रयास नहीं करते। यदि ऐसा हुआ है या ऐसी धारणा बनी है तो मैं प्रतिपक्ष की ओर से क्षमा चाहता हूं। लेकिन यदि किसी ऐसे विषय की उपेक्षा की जाती है, जो हम सबकी रुचि का है तो हमें यथासम्भव उचित ढंग से आपके समक्ष लाना होगा। यदि कोई अनुचित ढंग अपनाया गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा दूसरे पक्ष के सदस्यों द्वारा कही गई बातों के

कारण हुआ । **(व्यवधान)** हम अध्यक्ष की प्रतिष्ठा बनाए रखने तथा कार्यवाही को उचित ढंग से चलाने के लिए पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । इस प्रश्न पर 20 मिनट से अधिक लग गए और मैंने प्रतिपक्षी सदस्यों को अधिक समय दिया । रिकार्ड से यह पता चल सकता है । 20 मिनट बाद ही मैंने अगला प्रश्न पुकारा था । यदि मेरे विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि मैंने पर्याप्त समय नहीं दिया तो रिकार्ड से यह पता चल सकता है कि इस प्रश्न पर कितना समय लगा है और प्रत्येक पक्ष के कितने सदस्यों को बोलने दिया गया । छोटे दल को 50 प्रतिशत से अधिक प्रश्न पूछने दिए गए । फिर भी यह शिकायत की जाती है कि पर्याप्त समय नहीं दिया गया **(व्यवधान)** मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं ।

श्री के० लकप्पा : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । हमारी मंशा पीठासीन अधिकारी का अपमान करने की नहीं है । हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सही जानकारी चाहते थे । मंत्री महोदय ने बताया कि जानकारी एकत्र की जा रही है...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं ।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय से ऐसे उत्तर की आशा नहीं की जाती **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : जहां तक सदन के नेता द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का सम्बन्ध है, इसमें दो राय नहीं हो सकती और मैं उनसे सहमत हूं । श्री सुब्रह्मण्यम ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं । इस पृष्ठभूमि में, आपसे अनुरोध है कि अब जो हुआ, उस पर फिर से नजर डालें । लेकिन जब भी तनाव पैदा होता है तो हमें एक दूसरे की बात सहन करनी चाहिए ।

अब हमें नियम के अनुसार चलना है । श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा कही गई बात को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय इस बात पर पुनः विचार करें कि क्या यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए ? यदि यह विशेषाधिकार का मामला है तो हमें नियमों के अनुसार चलना होगा । यदि कोई सदस्य दुर्व्यवहार करता है तो प्रावधान यह है कि उसे नाम लेकर पुकारा जाए और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए और मामला विशेषाधिकार समिति को न सौंपा जाए । यदि आप चाहें तो मामला विशेषाधिकार समिति को भी सौंप सकते हैं । लेकिन यदि ऐसा प्रस्ताव करके भेजा जाना है तो इस सदन को अधिकार है कि वह प्रस्ताव पर चर्चा करे । यदि प्रस्ताव करके यह मामला समिति को सौंपा जाता है तो ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में सदन को इस पर विचार करने का समय नहीं मिल पाएगा । आप इस पर विचार करें ।

अतः स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा कही गई बात को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि हमने जो प्रक्रिया अपनाई है वह प्रक्रिया नियमों के अनुकूल नहीं है, मैं अध्यक्ष से तथा सदन एवं सदन के नेता से अपील करूंगा कि मामला विशेषाधिकार समिति को न सौंपा जाकर यहीं समाप्त कर दिया जाए ।

श्री मोरारजी देसाई : श्री सुब्रह्मण्यम ने जो कुछ कहा, उसके बाद विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने का प्रश्न नहीं रहा जाता । इसे पेश नहीं किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन सदस्य ने अपने शब्द वापस नहीं लिए हैं **(व्यवधान)**

श्री के० लक्कप्पा : चर्चा को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना पड़ेगा । आपको यह मानना होगा कि शब्द वापस ले लिए गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें शब्दों को वापस लेना होगा । उनकी ओर से कोई अन्य सदस्य शब्दों को वापस नहीं ले सकता । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सुब्रह्मण्यम् जी यह पहला अवसर नहीं है । श्री कुरेशी रोज ही किसी की प्रतिष्ठा पर चोट करते रहते हैं, चाहे वह सही हो अथवा गलत ।

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा मैं पहली बार नहीं सुन रहा हूं । हमें ऐसा नहीं करना चाहिए । मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि अब इस बात को भूल जाना चाहिए । किन्तु यदि ऐसा फिर होता है तो फिर ऐसा पूरी तरह किया जायेगा और मैं इसे पेश करूंगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप ऐसा अध्यक्ष की ओर से कह रहे हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं सभा की ओर से बोल रहा हूं । "अध्यक्ष की ओर से" कहने का क्या मतलब है ? अध्यक्ष हम सबका प्रतिनिधित्व करता है । यदि मेरे माननीय मित्र का यही कहना है तो यह आश्चर्यजनक बात है । ऐसा नहीं किया जाना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त जब मेरे माननीय मित्र श्री स्टीफन ने कहा तो उन्होंने इसे न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है । यह भी उचित नहीं है । आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रक्रिया तथा नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है । किन्तु इसका निर्णय कौन करेगा ? मैं ? आप ? इसका निर्णय अध्यक्ष करेगा । यदि कोई गलती होगी तो हम उस पर पुनर्विचार करेंगे । ऐसा करने के तरीके भी हैं, किन्तु इस ढंग से नहीं, जैसा कि किया जा रहा है..**(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे : वह यह बात अध्यक्ष के नोटिस में लाये हैं । उन्होंने इसमें क्या गलती की है ।

श्री मोरारजी देसाई : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? गलती हुई है और इसे अब इस संदर्भ में नहीं दोहराया जाना चाहिए था । आपका भी अपना विचार हो सकता है । मैं यह नहीं कहता कि आपका ऐसा विचार नहीं हो सकता । किन्तु जब हम यह कहने का प्रयास कर रहे हैं तो इसे भूल जाना चाहिए । हमें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि यह मामला पुनः खड़ा हो । हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए । हमें यह बात दुबारा नहीं उठानी चाहिए ।

श्री सी० एम० स्टीफन : तो फिर आप इसे स्थगित कर देंगे ? ...**(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो कुछ हुआ है उसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं...**(व्यवधान)** अध्यक्ष के विरुद्ध यहां कुछ ऐसी बात कही गई है कि अध्यक्ष इस पद के लिए योग्य नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह कहा गया है : "आपने सभा को बर्बाद कर दिया है, आप इस पद के लिए योग्य नहीं है ।"

श्री वसंत साठे : जब इसी सभा में उस पक्ष द्वारा भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री ढ़िल्लन के विरुद्ध ऐसी बातें कही गई थी तो आपने क्या किया था? आपको याद होगा कि जब हमने एक विशेषाधिकार

को प्रश्न उठाया ती. . . (व्यवधान) आप दोहरी नीति नहीं अपना सकते । मेरा कहना यह है कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है । अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ कहना विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता ।. . . (व्यवधान) हम दो तरह की बातें नहीं कर सकते. . . (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री वसंत साठे : विशेषाधिकार के प्रश्न को निपटाने के लिए नियम 222 से 228 हैं । नियम 227 में कहा गया है :—

"इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा..."

अब विशेषाधिकार का प्रश्न केवल नियम 222 तथा 223 के अन्तर्गत आते हैं । कृपया नियम 222 देखिये । इसमें कहा गया है :—

"कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के, या सभा के या उसकी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त हो ।" (व्यवधान)

प्रधान मंत्री महोदय कृपया सुनिए । नियम 223 में कहा गया है :—

"जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उस की लिखित सूचना उस दिन की बैठक आरम्भ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाना हो, सचिव को देगा. . . ।"

यदि कल उन्हें नोटिस देना है और इस प्रश्न को उठाना है तो यह व्यवस्था के अनुकूल होगा । जब तक नियम 388 के अन्तर्गत आप नियमों को निलम्बित नहीं करते तब तक केवल खड़े होकर किस नियम के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । (व्यवधान) उसे भी पेश करना है । जब तक आप इन नियमों को समाप्त नहीं करते और कहते "कि मैं किसी सदस्य द्वारा सभा में उठाये जाने वाले विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुमति देता हूं और फिर मैं निर्णय करूंगा । आप ऐसा नहीं कर सकते । पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि इसे उठाया नहीं गया है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मने आपकी बात समझ ली है ।

श्री वसंत साठे : नियम 223 के अन्तर्गत जब तक नोटिस देकर प्रश्न नहीं उठाया जाता, तबतक विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नही उठता ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बात समझ ली है ।

श्री वसंत साठे : आप विशेषाधिकार समिति को क्या बात भेज सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी मर्जी है

श्री वसंत साठे : श्रीमान....

श्री मोरारजी देसाई : आप अध्यक्ष को बैठने के लिए कैसे कह सकते है ? यह ठीक नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात रिकार्ड में मत रखिये । मेरी अपनी राय है ।

श्री बसंत साठे**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले ही विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा चुक

श्री बसंत साठे : कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार समिति के समक्ष कोई भी आपत्ति उठायी जा सकती है ।

श्री बसंत साठे : नहीं ! नहीं ! यह कोई तरीका नहीं है, जिस ढंग से यह काम हो रहा ...(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : इस तरह कार्यवाही चलाना संभव नहीं है ।

श्री सौगत राय : इसे केवल मौलिक प्रस्ताव पर ही विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है । हम इस पर वाद-विवाद की मांग करते हैं । ...

श्री बसंत साठे : यह नहीं बताया गया है कि इसे कैसे सौंपा जा सकता है । आपको नियमों के अनुसार चलना होगा । क्या आप नियमों से ऊपर है ? ...(व्यवधान)

श्री कृष्णकांत (चंडीगढ़) : मामला यह है कि इस सभा ने कुछ बातों पर आपत्ति प्रकट की है और एक मौलिक प्रस्ताव पर संकल्प पारित कर दिया है । सभा के नेता, श्री मोरारजी देसाई तथा दोनों पक्षों के सदस्यों का कहना है कि यह सभा कोई गलत परम्परा स्थापित नहीं करना चाहती । यह सभा चाहती है कि स्वस्थ संसदीय वातावरण पैदा हो । सभा के नेता, उनके दल के वरिष्ठ सदस्य श्री सुब्रह्मण्यम तथा श्री स्टीफन ने जो कुछ कहा है, उसे ध्यान में रखकर मैं श्री कुरेशी से अपील करूंगा कि हमें नियमों के अनुसार चलना चाहिए । हम इस सभा में अच्छी परम्पराय स्थापित करना चाहते हैं और प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष का सम्मान करना चाहिए चाहे वह सही निर्णय देते हैं अथवा गलत । सभा के नेता द्वारा कही गई बात को ध्यान में रखते हुए मैं श्री कुरेशी से अपील करूंगा कि सभा के दोनों पक्षों द्वारा को गई अपील पर विचार करें और संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम परम्पराओं को स्थापित करें । वह कह सकते हैं कि उनका कहने का यह मतलब नहीं था और वह अपने शब्दों को वापस लेते हैं ताकि कोई कड़वाहट न रहे । मैं उनसे यही अपील करूंगा ।

श्री मोरारजी देसाई : श्रीमान् क्या मैं एक बात कह सकता हूं ? मेरे मित्र श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा कही गई बातों से मैं यह समझता हूं कि उन्होंने इस के लिए खेद प्रकट कर दिया है और उन्होंने उन बातों को वापस ल लिया है । मैं नहीं समझता कि वह इन बातों को वापस क्यों न लें जो कि बिल्कुल गलत हैं । मैं नहीं समझता कि इसमें प्रतिष्ठा की क्या बात है । किन्तु यदि वह इन बातों को वापस नहीं लेते तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता । वे शब्द वापस लेने ही होंगे । एसी बातें रिकार्ड में कैसे रखी जा सकती है ?

श्री वयालार रवि : उसे रिकार्ड नहीं किया गया था । कृपया आप रिकार्ड देखिए ।

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

** Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में चला गया है ।

श्री के० लक्कप्पा : हमें सभा के नेता तथा वरिष्ठ मित्र श्री सुब्रह्मण्यम का सम्मान करना चाहिए और मैं आपसे अपील करता हूं । कृपया आप देखिये कि अतीत में हमारे मित्रों के साथ क्या हुआ है । सदस्य का यह कहने का इरादा नहीं था । किन्तु उसके कारण सदस्य इतना असंतुष्ट हो गया कि वह जानकारी चाहते थे । हम सब यही चाहते हैं । इसलिए कृपया आप इस कार्यवाही को बंद कर, दें और मामले को समाप्त कर दें ।

श्री मोरारजी देसाई : इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि इन बातों को रिकार्ड में नहीं रखा गया हैं । यदि इन्हें रिकार्ड में रखा गया है तो इन्हें वापस लिया जाना चाहिए । यदि इन्हें रिकार्ड में नहीं रखा गया है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना... **(व्यवधान)**

श्री सौगत राय : आप इससे बढ़कर है । आपको यह बात व्यक्तिगत रूप में नहीं लेनी चाहिए जब कोई मंत्री जानकारी नहीं देता तो सदस्य असंतुष्ट हो जाते हैं । यह व्यक्तिगत है ... **(व्यवधान)**

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : हमें पता चलना चाहिए कि रिकार्ड में क्या गया है । यदि यह गैर-संसदीय तथा अध्यक्ष के विरुद्ध बात है तो मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपने शब्द वापस ले लें ।

श्री सी० एम० स्टीफन : हमें समूची स्थिति पर विचार करना चाहिए । अब यह बिलकुल स्पष्ट है कि सभा उस वक्तव्य का अनुमोदन नहीं करती जो कि सभा में दिया गया है । हम यह चाहते है कि सभा तथा अध्यक्ष की प्रतिष्ठा बनी रहे । जब एक बार किसी बात का समूची सभा में निरनुमोदन हो चुका है तो फिर और क्या हो सकता है ?... **(व्यवधान)**

दूसरी बात यह है कि उस दल के नेता श्री चव्हाण, जो कि इस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहां नहीं हैं । श्री सुब्रह्मण्यम ने क्षमा मांग ली है । अब और क्या हो सकता है ?

श्रीमान, अब दो बातें सामने हैं । पहली बात यह है कि सदस्य द्वारा जो कुछ कहा गया है, सभा उसका अनुमोदन नहीं करती । दूसरी बात यह है कि श्री कुरेशी जिस दल से सम्बद्ध हैं, उनके दल के श्री सुब्रह्मण्यम ने क्षमा मांग ली है... **(व्यवधान)** क्या सभा में यह प्रथा बन जाये कि श्री सुब्रह्मण्यम जैसे नेता द्वारा मांगी गई क्षमा की उपेक्षा की जा रही है ।

श्री मोरारजी देसाई : श्री सुब्रह्मण्यम ने पहले ही उनसे अपील की है कि वह अपने शब्दों को वापस ले लें । आप बीच में क्यों आ रहे है ? **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं बाधक नहीं बन रहा हूं । मेरा तो केवल एक बात से सम्बन्ध है सभा किसी दल के नेता द्वारा मांगी गई क्षमा का किस तरह उपेक्षा कर रही है ? जहां तक अध्यक्ष की प्रतिष्ठा को बनाये रखने का सम्बन्ध है, यह पूरी तरह बनी हुई है । मैं सभा से अपील करता हुं कि वह इस मामले को बारिकियों में न जाये और इस मामले को यहीं समाप्त कर दें । यदि ऐसा नहीं किया जाता हो तो व्यवस्था के कई प्रश्न उठाये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची की अगली मद को लेते हैं ।

श्री वसंत साठे : आपने यह मामला विशेषाधिकार समिति को कैसे सौंप दिया है? ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया गया है। इसमें आप भी सम्मिलित हैं। मैं सभा से जानना चाहता हूं कि आप इन नियमों का इस तरह कैसे उल्लंघन कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री वसंत साठे : इससे हमें क्रोध आता है। यदि आप बहुमत द्वारा सभा में ऐसा कर रहे हैं तो हम यहां काम नहीं करेंगे। इस तरह हम कैसे काम कर सकते हैं? **(व्यवधान)**

श्री सौगत राय : आप इसे विशेषाधिकार समिति को कैसे सौंप सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते? हम इसे विशेषाधिकार समिति में भेजने की अनुमति नहीं देंगे। **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कृपया मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : सभा दस मिनट के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा 10 मिनट के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for ten minutes.

लोक सभा 12 बजकर 32 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled at thirty two minutes past twelve of the clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी द्वारा अध्यक्ष के बारे में की गई कतिपय टिप्पणियां संबंधी विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—**जारी**

QUESTION OF PRIVILAGE *RE* CERTAIN REMARKS BY SHRI MOHD. SHAFI QURESHI ABOUT THE SPEAKER—*contd.*

श्री वयालार रवि : श्रीमान आपके विनिर्णय का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : समिति के समक्ष ये सभी बातें उठाई जा सकती हैं।

श्री वयालार रवि : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री साठे ने नियम 222 का उद्धरण दिया है। आपको नियमों के अनुसार चलना चाहिए। श्री कंवरलाल गुप्त को औपचारिक रूप से नोटिस देने दिया जाये। और फिर आप इसे भेज सकते हैं। आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को कैसे भेज रहे हैं? श्री साठे ने प्रश्न उठाया और नियम 227 तथा 228 का उद्धरण दिया।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं आपकी अनुमति से नियम को पढ़ना चाहता हूं। नियम 227 में कहा गया है :—"इन नियमों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसन्धान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा।"

अतः विशेषाधिकार के मामले में यह अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह किसी भी प्रक्रिया का अनुसरण करे... **(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे : नहीं । विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है । यह किस नियम के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ? कृपया अध्यक्ष को गुमराह मत कीजिए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह स्पष्ट है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है । विशेषाधिकार प्रश्न के मामले में अध्यक्ष किसी भी प्रक्रिया को अपना सकता है ।

श्री वसंत साठे : ऐसा नहीं होता ... (**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्त: इस समूचे मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिये

श्री वसंत साठे : ऐसा केवल नियम 222 के अन्तर्गत हो सकता है ।

श्री के० लक्कप्पा : विशेषाधिकार का प्रश्न कहां है ?

श्री वसंत साठे : विशेषाधिकार का प्रश्न कहां है? विशेषाधिकार का प्रश्न केवल सदस्य उठा सकता है । ... (**व्यवधान**)

श्री सौगत राय : हम यही तो कह रहे हैं । हमने नियम 227 के अन्तर्गत कोई नोटिस नहीं दिया है । विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया गया है और न कोई मूल प्रस्ताव पेश किया गया है अतः आप किस तरह इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं ? ... (**व्यवधान**)। मैं आपकी इस बात को समझता हूं कि सभा की गरिमा बनी रहे । किन्तु हम सभा की गरिमा बढ़ाने के लिए नियमों से नहीं हट सकते । इससे तो केवल सभा की प्रतिष्ठा घटेगी । ... (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद शफी क़ुरेशी : श्रीमान, मैं सभा के नेता, तथा अपने नेता, श्री सुब्रह्मण्यम तथा साथियों का आभारी हूं । श्री कृष्णकांत तथा श्री स्टीफन ने अपील की है तथा कहा है कि जो कुछ कहा गया है, नहीं कहा जाना चाहिए था । सभा में जो कुछ हुआ है, उसका मुझे खेद है । मेरा तात्पर्य अध्यक्ष का अपमान करना नहीं था और यदि मेरी बातों से ऐसा धारणा बनती है तो मुझे अपने शब्द वापस लेने में कोई संकोच नहीं है ।

श्री मोरारजी देसाई : श्रीमान्, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें इस मामले को समाप्त कर देना चाहिए और इस पर आगे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए । विशेषाधिकार प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाये । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यह कह दें कि समूचा मामला समाप्त हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इन परिस्थितियों में प्रस्ताव वापस किया जा सकता है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव वापस ले लिया गया है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : श्रीमान्, हम सबको हर्ष है कि यह मामला समाप्त हो गया है । हम इस पर अब चर्चा नहीं करना चाहेंगे । किन्तु सारी बात यह है कि इसमें समुचित ढंग से औपचारिकता निभायी जानी चाहिए... (**व्यवधान**)

हम भी यही परिणाम चाहते हैं, किन्तु ऐसा समुचित ढंग से तथा नियमानुसार होना चाहिए । सभा के लिए एकमात्र उपाय यह है कि नियम 338 का निलंबन कर दिया जाये क्योंकि एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और फिर उसे वापस लेना स्वीकार किया गया है । इसका एकमात्र हल यही है ।

श्री मोरारजी देसाई : यह सभा द्वारा स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है । यह तो अध्यक्ष द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का प्रश्न है । इसे मतदान के लिए भी नहीं रखा गया है । जब अध्यक्ष ने यह वापस ले लिया है तो फिर यह मामला समाप्त हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर दो तरीके से विचार किया जा सकता है । पहला, अध्यक्ष द्वारा इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपना, किन्तु मैंने इसे वापस ले लिया है । दूसरे, सभा में एक औपचारिक प्रस्ताव है । औपचारिक रूप से पेश किया गया प्रस्ताव वापस ले लिया गया है और सभा ने इसकी अनुमती दे दी है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह ठीक है । कृपया नियम 338 का पालन किया जाये । यह नियम के अनुसार होना चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री सौगत राय : श्रीमान्, प्रधान मंत्री जो कुछ और कह रहे हैं तथा उप-नेता कुछ और कह रहे हैं । मुझे उन दोनों की बातों में कोई संगति दिखाई नहीं देती...**(व्यवधान)**

श्री मोरारजी देसाई : मेरा अपने साथियों से अनुरोध है कि वे अनावश्यक रूप से बात कोन बढ़ायें...नियमों के अन्तर्गत मैं इसे अनावश्यक नहीं कह सकता । उन्होंने जो प्रश्न उठाया है वह वैध नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता । किन्तु समूचे वातावरण को ध्यान में रखकर और अब जब कि मामला खत्म हो गया है तो हमें इसे समाप्त समझ लेना चाहिए । ...**(व्यवधान)**

श्री श्याम नन्दन मिश्र : तो फिर नियम को निलम्बित कर दिया जाये ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने उन्हें अनुमति दे दी है तो इसका मतलब यही है कि नियम को निलंबित कर दिया गया है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जब तक किसी विशेष नियम को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वत: इसे निलंबित करता हूं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसलिए माननीय सदस्य को औपचारिक प्रस्ताव पेश करना चाहिए कि इसे नियम 338 के अन्तर्गत निलंबित किया जाये । मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम को निलंबित किया जाये और फिर मैं दूसरा प्रस्ताव पेश करता हूं कि पहल वाले प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : हां, अब अगली मद पर विचार किया जाय ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अनवरत योजना के प्रथम वर्ष के लिये योजना परिव्यय

*207. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के वित्त एवं योजना मंत्री डा० अशोक मित्रा द्वारा 23 जनवरी, 1978 को एक संवाददाता सम्मेलन में दिये गये इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि योजना का आकार बहुत काफी बढ़ाया जाये और नई अनवरत योजना के प्रथम वर्ष के लिये पांचवीं योजना के अंतिम वर्ष के व्यय से 25 से 30 प्रतिशत अधिक परिव्यय का उपबन्ध किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। सरकार ने पश्चिम बंगाल के वित्त और योजना मंत्री डा० अशोक मित्र द्वारा दिए गए सुझाव की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, 1978–79 की वार्षिक योजना के सामान्य ब्यौरों को वित्त मंत्री द्वारा अपने दि० 28–2–1978 के बजट भाषण में घोषित किया चुका है। जैसा कि उक्त भाषण में बताया गया है, 1978–83 के लिए नई पंचवार्षिक योजना को अंतिम रूप दिये जाने तक 1978–79 की वार्षिक योजना तैयार की गई है और वह विकास के लिए कृषि प्रधान तथा रोजगारप्रधान नई नीति के प्रति सरकार की निष्ठा तथा प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करती है। केन्द्र, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं का कुल परिव्यय 11,649 करोड़ रु० होगा, जब कि 1977–78 में यह परिव्यय 9,960 करोड रु० था। इससे 17 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है।

आयुध उद्योग का पुनर्गठन करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग

*210. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** :
श्री शंकर सिंहजी वाघेला :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री जी० बी० राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया है जो देश में आयुध उद्योग का पुनर्गठन करने के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्यों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है;

(ग) आयोग के निर्देश पद क्या हैं; और

(घ) यह आयोग सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) आयुध कारखानों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए अगस्त 1975 में एक समिति नियुक्त की गई है।

(ख) नाम इस प्रकार हैं :-

(1) श्री वी० जी० राजाध्यक्ष,
सदस्य योजना आयोग (अध्यक्ष) ।

(2) श्री पी० कृष्णामूर्ति,
सचिव, भारी उद्योग विभाग ।

(3) श्री एस० बनर्जी, सचिव
रक्षा उत्पादन विभाग ।

(4) डा० ए० रामाचन्द्रन, सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ।

(5) श्री जे० पी० कक्कर, वित्तीय सलाहकार,
(रक्षा सेवाएं) वित्त मंत्रालय ।

(6) डा० एस० भट्टाचार्य, महानिदेशक,
आयुध कारखाने ।

(ग) समिति के निर्देश पद निम्नांकित हैं :—

(1) उत्पादन की मुख्य मदों के उत्पादन में गिरावट पर विचार करना ;

(2) भविष्य में उत्पादन में गिरावट को रोकने के लिए उपाय सुझाना ;

(3) नई मदों के उत्पादन में विलम्ब को दूर करना और जहां आवश्यक हो क्षमता वृद्धि करना ;

(4) आर्डनस फैक्टरी महानिदेशालय संगठन और कारखानों की वर्तमान कार्यप्रणाली की जांच करना और उनके उपयुक्त पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण के बारे में सुझाव देना; और

(5) कोई अन्य मद जिस पर समिति विचार करना चाहे।

(घ) इस समिति की अन्तरिम रिपोर्ट अप्रैल 1978 तक तथा अन्तिम रिपोर्ट अक्तूबर 1978 तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

Relay of "Sansad Samiksha" from A.I.R., Nagpur

211. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government propose to relay "Sansad Samiksha" from Nagpur Station of A.I.R.;

(b) if so, by what time; and

(c) the number of A.I.R. stations in the country relaying "Sansad Samiksha" at present?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) "Sansad Samiksha" and "Today in Parliament" are broadcast at the same time. For a single channel station like Nagpur, relaying of both programmes is not possible. Nagpur is relaying "Today in Parliament". There is no proposal to relay "Sansad Samiksha" from that Station of A.I.R.

(b) Does not arise.

(c) 36 stations relay "Sansad Samiksha".

फरक्का नौचालन नहर का खोला जाना

*212. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फरक्का नौचालन नहर को खोलने और कलकत्ता-फरक्का बक्सर कमर्शियल स्टीमर सेवा को नियमित आधार पर चालू करने के लिए विचार कर रही है जैसा कि वर्ष 1970 में अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति ने सिफारिश की थी;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) इसे कार्यान्वित करने में 7 वर्षों से भी अधिक के विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख), (ग) और (घ) : फरक्का पर जोड़ने वाले जलपाशों के साथ साथ नौचालन नहर अभी निर्माणाधीन है। नौचालन नहर और फरक्का पर जलपाशों के निर्माण का काम पूरा होने के बाद ही नौचालन नहर को खोलने और कलकत्ता-फरक्का-बक्सर वाणिज्यिक स्टीमर सेवा को नियमित आधार पर चालू करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

शुष्क गोदी परियोजना के श्रमिकों का पुनर्वास

*213. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों में ए म० ई० एस० के अन्तर्गत शुष्क गोदी परियोजना में कार्य कर रहे शुष्क गोदी के श्रमिकों के पुनर्वास का सिद्धांततया निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या नौसैनिक गोदी यार्ड, विशाखापत्तनम को श्रमिकों को खपाने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे ;

(ग) क्या इन अनुदेशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(घ) क्या नौसैनिक गोदी यार्ड ने एडजूटेन्ट जनरलस् ब्रांच सेना मुख्यालय को रिक्त स्थानों के भरने के लिए अपने रिक्त स्थानों की संख्या नहीं बताई है और वे नैमित्तिक आधार पर स्थानीय लोगों की भर्ती कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन श्रमिकों को नौसैनिक गोदी अथवा किसी ऐसी योजना में पुनर्वासित करने के लिए सरकार द्वारा क्या तात्कालिक प्रयास किये जायेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) : विशाखापत्तनम में शुष्क गोदी परियोजना के लिए एम० ई० एस० ने 1055 अकुशल और 409 कुशल कर्मचारीयों को ठेके के आधार पर लगाया था। यद्यपि इन कार्मिकों को लगातार नोकरी पर लगाए जाने के लिए सरकार पर ठेके के अनुसार कोई पाबंदी नहीं थी, परन्तु लोकोपकारी आधार पर और एक विशेष मामले के रूप में जुलाई 1977 में यह फैसला किया गया कि फालतु घोषित किए गए योग्य कार्मिकों को नौसेना डाकयार्ड, विशाखापत्तनम अथवा अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों में उनकी पात्रता की कुछ शर्तों के अधीन समकक्ष अथवा निम्न पदों पर खपाया जाए। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, फ्लेग अफ़सर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, ने जो अपने क्षेत्र में फालतू अथवा कम कर्मचारियों का समायोजन करने के लिए क्षेत्रीय कमांडर हैं, 96 फालतू कर्मचारियों को पहले ही अन्यत्र खपा लिया है। फालतू घोषित किए गए कर्मचारियों की सूचना एडजुटेंट जनरल, सेना, मुख्यालय, को भी दे दी गई हैं और इसके परिणामस्वरूप 653 व्यक्तियों को अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों में पहल ही लगा दिया गया है। इस बारे में आगे और प्रयत्न जारी हैं।

आंध्र प्रदेश में पत्तनों का विकास

*214. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष आंध्र प्रदेश में किन-किन पत्तनों के विकास के लिए धनराशि नियत की गई है; और

(ख) कितनी धनराशि नियत की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : आंध्र प्रदेश में केवल एक महा पत्तन है अर्थात् विशाखापत्तनम पत्तन। 1977-78 में पत्तन की विकास योजनाओं में धन लगाने के लिए 3.10 करोड़ रु० केन्द्रीय ऋण की व्यवस्था है। अब तक दी गई राशि 2.10 करोड़ रुपये है।

महा पत्तनों से भिन्न पत्तनों का उल्लेख संविधान की समवर्ती सूची में है और उनके विकास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।

चिकनाई वाले एसिडों से साबुन बनाना

215. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर मोम "वैक्स" में से चिकनाई वाले एसिडों का उपयोग करके साबुन बनाने की नई प्रौद्योगिकी का, जिसका अपने कथनानुसार उन्होंने स्वयं विकास किया है, उपयोग करके बम्बई हाई पेट्रोलियम पर आधारित एक संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस नई प्रौद्योगिकी का विकास भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून में किया था;

(ग) क्या उक्त कम्पनी ने प्रौद्योगिक को उच्च कोटि का बताकर कम से कम 51 प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी रखने की मांग की है; और

(घ) इस बारे में ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (घ) : भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने मोन से फैटी एसिड बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। इन फैटी एसिडों को साबुन बनाने में उपयोग किया जा सकता है। जानकारी का मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया है, जिन्होंने इस परियोजना को प्रायोजित किया है। फर्म ने पाइलट प्लांट स्थापित कर लिया है और कुछ समय बाद वे फैटी एसिड का वाणिज्यिक उत्पादन करने की स्थिति में होंगे। अपने साबुन बनाने में वे इसका उपयोग कर सकते हैं। कंपनी ने यह दावा किया है कि इसके अनुबंध – 1 के कार्यों से होने वाले वण्यावर्त के फलस्वरूप और उत्पादन संबंधी कार्यों जिनके लिए जटिल प्रकार की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी, अनुबंध – 1 की कुछ परियोजनाओं का 1979 में क्रियान्वयन हो जाने के बाद विदेशी मुद्रा विनियमन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन यह 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी बनाये रखने की पात्र हो जाएगी। अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

Television Facilities in Himachal Pradesh

***216. Shri Ramanand Tiwary**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Simla district and Kinnaur, a border district, have not been provided with television facilities so far;

(b) if so, the reasons for neglecting the border area of strategic importance and the tribal areas in this matter; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to provide televsion facilities in the areas at the earliest?

The Minister of Information and Broadcasting, (Shri L. K. Advani): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : Border and tribal areas have not been neglected. The TV centres at Srinagar, Amritsar and Calcutta serve the border areas lying within their service range. The TV centres at Srinagar, Mussoorie, Raipur and Pune and those now under installation at Muzaffarpur and Sambalpur are providing/will provide coverage to some hilly and backward areas. There is a proposal to set up a relay transmitter at Kasauli in Himachal Pradesh which will relay the programmes of the Jullundur TV centre now under installation. This, transmitter is expected to cover an area of 13,600 Sq. Kms. (excluding overlap from Mussoorie and Jullundur) in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh (including Simla District) with a population of 54 lakhs.

एर्नाकुलम-कोचीन शिपयार्ड

*217. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम-कोचीन शिपयार्ड (केरल) में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) इस राष्ट्रीय परियोजना का पहला स्टीमर अथवा जहाज कब तक पूरा होने और समुद्र में उतारे जाने की संभावना है ;

(घ) इसकी लागत क्या होगी ;

(ङ) क्या इस स्टीमर अथवा जहाज का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार किया जा रहा है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) 1-1-1976 से

(ग) इसे जून, 1979 तक जल में उतार देने की प्रत्याशा है और जून, 1980 तक पूरा करके सुपुर्द कर दिया जाएगा ।

(घ) 29.00 करोड़ रु० (प्रत्याशित) ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) मुख्य कारण 150 टन गंत्री क्रेन की समय पर सुपुर्दगी न होना है, जिसका आर्डर देश में ही दिया हुआ है । इससे उत्पादन और बाद के फिटिंग कार्यों में रूकावट आई है ।

नव गठित योजना आयोग द्वारा नये आयोग आयोजना प्रस्ताव तैयार करना

*218. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **योजना** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभापटल पर रखेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का गत वर्ष पूर्ण अथवा आंशिक पुनर्गठन किया गया था, यदि हां तो नए सदस्यों के नाम उनकी अर्हताएं, अनुभव, आदि क्या हैं ;

(ख) क्या उक्त नए पुनर्गठित आयोग ने नये आयोजना प्रस्ताव तैयार करते समय किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों तथा लक्ष्यों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या योजना आयोग की बठक सामयिक पुनरावलोकन के लए नियमीत रुप से होती है यदि हां, तो कब और और किस प्रकार तथा उक्त बैठकों में कौन उपस्थित होता है ; और

(घ) आयोग तथा केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख), (ग) और (घ) योजना आयोग मई, 1977 में पूर्ण रुप में पुनर्गठित किया गया । पूनर्गठित आयोग का गठन इस प्रकार है :—

1. प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2. डो० डो० टी० लकडावाला	उपाध्यक्ष
3. गृह मंत्री	सदस्य
4. रक्षा मंत्री	सदस्य

5. वित्त मंत्री . . . . . सदस्य

6. श्री बी० शिवरामन . . . . सदस्य

7. श्री वी० जी० राजाध्यक्ष . . . . सदस्य

8. प्रो० राज कृष्ण . . . . सदस्य

डा० डी० टी० लकड़ावाला, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राजकोषीय विषयों के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ हैं। वे बंबई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के निदेशक और अहमदाबाद में सरदार पटेल आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे हैं। वे पांचवें वित्त आयोग के सदस्य थे और उत्तर प्रदेश सरकार की कराधान जांच समिति के अध्यक्ष भी थे। वे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त की गई अनेक समितियों और वेतन बोर्डों के अध्यक्ष तथा सदस्य रहे हैं।

श्री शिवरामन, जो भारतीय सिविल सेवा (इंडियन सिविल सर्विस) के सदस्य थे, भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव हैं। वे कृषि मंत्रालय के सचिव और राष्ट्रीय कृषि आयोग के उपाध्यक्ष भी थे।

श्री राजाध्यक्ष, जो रासायनिक इंजीनियर हैं, योजना आयोग में मुख्य परामर्शदाता थे और सरकारी उद्यम प्रवरण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वे सरकारी उद्यमों से संबंधित कार्यवाही समिति के सदस्य थे, कार्बानिक रासायनिक उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष थे और अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान तथा अहमदाबाद स्थित प्रशासनिक स्टाफ कालेज के शासक मंडलों के सदस्य थे। सरकार में आने से पहले वे हिन्दुस्तान लीवर लि० के अध्यक्ष थे।

प्रो० राज कृष्ण सुविख्यात अर्थशास्त्री है और दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक्स में तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। वे कृषि मूल्य आयोग, इस्पात नियंत्रण समिति और योजना आयोग, भारत सरकार के अर्थशास्त्रीयों की नामिका के सदस्य रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में वरिष्ठ अर्थशास्त्री भी रहे है।

कार्य की समीक्षा करने के लिए और नीती संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त स्पष्ट करने के लिए, केबिनेट मंत्री और पूर्णकालिक सदस्य सहित पूर योजना आयोग कि आवधिक बैठकें होती हैं। परंतु पूर्णकालिक सदस्य दिन-प्रतिदिन का कार्य देखते हैं; वे योजना आयोग के कार्य कि समीक्षा करने के लिए और निदेश देने के लिए नियमीत रुप से सप्ताह में कई बार मिलते हैं। इन पूर्णकालिक सदस्यों को विशिष्ट विषय आवंटित किए गए है, जिनके संबंध में वे केन्द्र में संबंधीत मंत्रालयों के साथ निकट संपर्क बनाये रखते है। उपाध्यक्ष मंत्रीमंडल कि सभी बैठकों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रीत किए जाते है और आवश्यकता होने पर आयोग के अन्य सदस्य भी मंत्रीमंडल की या उसकी समितियों की बैठकों में सम्मिलित होते है।

नव गठित आयोग ने 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारुप के उद्देश्यों और नीति से संबंधित अनेक विषयों पर विचार किया है, जिनमें उल्लेखनिय हैं—बेरोज़गारी को दूर करना, कृषि और ग्रामीण विकास, क्षेत्र योजना निर्माण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और बचत करना। लक्ष्य और कार्यक्रम के अन्य ब्यौरे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होने के बाद उपलब्ध कराए जा सकेंगे; परिषद कि बैठक 18 और 19 मार्च, 1978 को होने वाली है।

प्रत्येक देश में राष्ट्रीय समाचार एजसी की स्थापना करना

*219. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 12 फरवरी, 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित वह समाचार देखा है जिसमें 'नान-अलायंड न्यूज पूल' (तटस्थ देशों के समाचार पूल) के बारे में सेमिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों ने प्रत्येक देश में राष्ट्रीय समाचार एजेंसी बनाए जाने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या 'युनस्को' ने भी प्रत्येक देश में ऐसी समाचार एजेंसी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था और संयुक्त राष्ट्र की संस्था द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में अपनी स्वयं की क्षेत्रीय समाचार एजेंसी विकसित करने की वांछनीयता को मान्यता भी दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रीया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन द्वारा 11 फरवरी, 1978 को गुट निरपक्ष दशों के प्रेस एजेंसी पूल के बारे में आयोजीत सेमिनार के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार देखे हैं। यूनेस्को की जनरल कान्फ्रेंस के 18वें सत्र के प्रस्ताव के अनुसरण में, जलाई, 1976 में सेन जोस में लेटिन अमेरीका और केरिबीयन रीजन में सचार नीतियों के बारे में आयोजित अन्तः शासकिय सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी जहां राष्ट्रीय समाचार एजेंसीयां नहीं है वहां उनकी स्थापना की जाए और जहां ये हैं, वहां उनको सुदृढ़ किया जाए।

यह उम्मीद है कि इस मामले पर गुट निरपेक्ष देशों के प्रेस एजेंसीं पूल की समन्वय समिति, जिसका भारत अध्यक्ष है, की अप्रैल, 1978 के प्रथम सप्ताह में जकार्ता में होने वाली आगामी दूसरी बैठक में विचार किया जाएगा।

शराब पीने के बारे में सरकारी कर्मचारियों के लिये आचार संहिता

*220 **डा० सुशीला नायर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आचार संहिता के अनुसार सरकारी कर्मचारियों पर शराब पीने पर प्रतिबंध है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नियम का उल्लंघन रोकने के लिए क्या कार्यवाही कि जा रही है अथवा करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : आचरण नियमों के अनुसार, कोई भी सरकारी सेवक मादक पेयों के उपभोग से सम्बन्धित किन्ही भी कानूनों का पूर्णतः पालन करेगा, किसी सार्वजनिक स्थान में शराब नहीं पीएगा और न नशे की स्थिती में किसी सार्वजनिक स्थान में जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मादक पेयों के प्रभाव से उसके कार्यों के निष्पादन पर कोई असर नहीं पडता है। सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों को यह अपेक्षा करते हुए अनुदेश जारी किए गए है कि वे इन उपबंधों के किसी भी अतिक्रमण पर कडे से कडा रुख अपनाए।

केन्द्रीय सर्तकता आयोग का क्षेत्राधिकार

*221 **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने सरकारी उपक्रम है जिन्होंने अबतक केन्द्रीय सर्तकता आयोग के क्षेत्राधिकार को स्वीकार नहीं किया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) रिजर्व बैंक के, जो सरकारी क्षेत्र कि एक महत्वपूर्ण संस्था है, अभी तक इस आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर रहने क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) केन्द्रीय सर्तकता आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई केन्द्रीय सरकारी उपक्रम नहीं है, जिसने इस के क्षेत्राधिकार को स्वीकार न किया हो।

(ख) रिजर्व बैंक महसूस करता है कि केन्द्रीय सर्तकता आयोग के क्षेत्राधिकार को स्विकार किए जाने में अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ कानुनी कठिनाईयां है। विधि मंत्रालय के परामर्श से कानूनी प्रश्नों की जांच को जा रही है; विधिक राय प्राप्त होने पर उसे ध्यान में रखते हुए अगली कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

Declaration of Roads in Gujarat as National Highways

*222. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to lay a statement showing :

(a) whether Gujarat Government have submitted a proposal to the Centre regarding declaration of (i) Rajkot-Bhavnagar, (ii) Rajkot-Jetpur-Junagardh-Keshod-Veravel-Somnath, (iii) Ahmedabad-Viramgam-Dhraugdhra-Halwad-

Maliya and (iv) Vadodara-Bhavnagar-Una-Veraval-Porbander-Okha-Jamnagar-Jodia-Maliya roads as national highways under the 20-year road plan; and if so, when and the contents thereof;

(b) the length and the outlay estimated for each road; and

(c) when these four roads were declared or are proposed to be declared as National Highways?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) to (c): Presumably, the Member is having in mind the proposals submitted by the Gujarat Govt. for the declaration of the following roads as National Highways in the 5th Plan so as to achieve the target calculated by them according to the "Report of Chief Engineers on Road Development Plan for India (1961-81)":—

S. No.	Name of road	Length in Kms in Gujarat	Estimed cost in lakhs for single lane at 1972 price
1.	Ahmedabad-Culcutta road *via* Surat-Dhulia Nagpur.	85	152.02
2.	Ahmedabad-Bhopal road *via* Indore.	188	453.61
3	Kandla-Bombay costal highway (*via*) Jamnagar-Okha-Porbandar-Veraval, Bhavnagar-Wataman Cambay-Baroda.	996	1964.76
4.	Ahmedabad-Hyderabad road *via* Bulsar-Nasik-Poona	84	180·95
5.	Bhavnagar-Jamnagar road *via* Rajkot.	247	550.00
6.	Baroda-Bhopal road *via* Godhra and Indore.	133	273·30
7.	Ahmedabad-Kandla road *via* Viramgam and Dharamgadh.	190	429.76
8.	Kandla Lakhpat road *via* Gandhidham-Bhuj	184	172.00
9.	Ahmedabad-Jaipur-Delhi road *via* Mehsana-Palenpur-Abu Bawar.	175	139.50
10.	Bagodara-Wataman link road.	26	55.76
		Total: 2308	4371.66

S. Nos. 5, 7 and 3 cover respectively the roads mentioned at (i), (iii) and (iv) in part (a) of the question. The Rajkot-Jetpur-Junagadh-Keshod-Veravel-Somanath road is not covered by these ten routes. Rajkot and Jetpur however, are connected by the N.H. No. 8B.

Due to financial constraints and other priorities, Govt. are unable to declare these roads as national highways.

Reservation for S.C. and S.T. for Appointments for the Posts of Producers and Staff Artists in A.I.R. and Doordarshan

*223. **Shri Ram Prasad Deshmukh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of persons working as producers in the All India Radio and Doordarshan for the last eight years;

(b) their educational qualifications and the number of those producers who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(c) the total number of staff artistes belonging to the Scheduled Castes working there and their percentage to the total number of staff artistes; and

(d) whether the persons belonging to Scheduled Castes will be appointed artistes in future and the percentage thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) 125 in All India Radio and 3 in Doordarshan. The category of Assistant Producer and Producer in All India Radio was merged w.e.f. 1st April, 1971. Information in respect of AIR is thus inclusive of such Assistant Producers who have completed 8 years of service as Assistant Producers and Producers combined.

(b) The names and the educational qualification of producers in AIR and Doordarshan are given in the attached statement (annexure I). Out of the 3 Producers in Doordarshan, none belongs to Reserved category. Out of 125 Producers in AIR, 2 belong to Scheduled Castes. One of these 2 has since been appointed as Station Director.

(c) The total number of staff artistes belonging to reserved categories engaged in AIR and Doordarshan is given in Annexure II, along with the percentage to the total number of staff artistes. **[Placed in Library. See No. L.T. 1739/78.]**

(d) Reservation orders have been made applicable to all categories of staff artistes in AIR, except Instrumentalists and Musicians, w.e.f. 18th September, 1976. At present, reservation orders in Doordarshan apply only to the following six categories :—

1. General Assistant;
2. Lighting Assistant;
3. Floor Assistant;
4. Carpenter;
5. Painter; and
6. Tailor.

A proposal is under consideration for extension of reservation orders to other categories of staff artistes also.

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की योजना बनाना

*224. **श्री अधनसिंह ठाकुर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दश के ग्रामिण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन उद्योगों को स्थापना के लिए स्थानों का चयन करेगो; और यदि हां, तो इस हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) : संसद में 23 दिसंबर 1977 को घोषित उद्योग निति ग्रामाण क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरो में फैले कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी सिद्ध होगी। इसे प्राप्त करने के लिए लघु क्षेत्र के लिए आरक्षीत उद्योगों की सूची को काफी बढ़ाकर उसमें 500 से अधिक वस्तुएं शामिल कर ली गई है। लघु क्षेत्र में बनाए जाने वाले नये उत्पादों तथा प्रक्रियाओं का जैसे-जैसे पता चलता जाएगा, लघु क्षेत्र कि वृद्धि को पर्याप्त समर्थन प्रदान करने हेतु इस सूची की निरन्तर समीक्षा की जाती रहेगी। लघु एवं कटीर उद्योगों के विकास हेतु एक केन्द्र स्थल बनाने तथा ग्रामोद्योगों की सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्र नामक एक एजेंसी स्थापित की जाएगी। इस जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से उद्यमियों को सभी अपेक्षित सेवाएं तथा समर्थन प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। इस केन्द्र के भिन्न-भिन्न विषयोंके उत्तरदायी अधिकारीयों द्वारा चलाया जाएगा ताकि आर्थिक जांच पडताल, मशीनों तथा उपकरणों की सप्लाई, कच्चे माल की व्यवस्था, ऋण सुविधा बाजार, वित्तिय सहायता तथा बैंको से संपर्क स्थापित करने की प्रभावी व्यवस्था की जा सके। ग्रामीण उद्योग परियोजना वाले जिलों में यह संगठन व्यवस्था मई 1978 से कार्यान्वित की जाएगी और धीरे-धीरे इसका विस्तार देश के अन्य जिलों में कर दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि करने व स्थिरता लाने तथा केन्द्र एवं राज्य के साधनों का व्यापक उपयोग किए जाने का सुनिश्चय करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों को चलाने हेतु। उनमें अपेक्षीत कुशलता प्राप्त तथा संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को नियोजित करने तथा जिला उद्योग केन्द्रों का पता लगाने के लिए राज्य की औद्योगिक मशीनरी का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का चयरमैन

1887. **श्री महीलाल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का चेयरमैन कलकत्ता में रहता है जबकि कारपोरेशन का मुख्यालय दिल्ली में है ;

(ख) चेयरमैन हर महीने कितनी बार दिल्ली आता है और इन दौरों और दिल्ली में उसके ठहरने पर कितनी धनराशी खर्च की गई है; और

(ग) क्या इस बेकार के खर्च को रोकने के लिए सरकार का कोई उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) यद्यपि, इस निगम का मुख्यालय दिल्ली में है, किन्तु निगम के महत्वपूर्ण प्रभाव, जो कि मुख्यत: इसकी परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित है, कलकत्ता में स्थित है। निगम नागालैंड तथा असम में एकीकृत लुगदि तथा पेपर मिल स्थापित करने के काम में लगा हुआ है। इन कारणो को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष का कार्यालय कलकत्ता में स्थित है ।

(ख) तथा (ग) : अध्यक्ष समय-समय पर निगम के कार्य के सम्बन्ध में तथा सरकार के साथ परामर्श करने हेतु दिल्ली का दौरा करते है तथा उन्हें निगम के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है। वर्ष 1977 के दौरान उन्होंने 21 बार दिल्ली का दौरा किया और कुल 61 दिन रहे और इस सम्बन्ध में 29,709 रु० का व्यय हुआ। अध्यक्ष महोदय सरकारी दौरे करते है तथा आवश्यकता पड़ने पर निगम के लिए सरकारी क्षेत्रीय उद्यमों पर लागू सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में ऐसी यात्राएं की जाती है।

Power Shortage in Rajasthan

*1888. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether there is an acute power shortage in many States particularly in Rajasthan State at present;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether the Central Government are providing any special assistance to the State Government to solve their problem : and if so, the details thereof ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) States of Uttar Pradesh, Rajasthan, J&K, Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, West Bengal, Assam and the Union Territories of Goa and Delhi are having notified power cuts/restrictions of varying degrees. However, the States of Uttar Pradesh and Karnataka are having acute energy shortage, while West Bengal has peaking capacity shortage. Temporary restrictions are imposed in some other states whenever generation gets reduced due to forced outage of thermal units.

(b) The power shortage in Rajasthan is mainly due to the outage of 220 MW unit at Rajasthan Atomic Power Station for overhaul and maintenance. This unit is out of service since 3rd July, 1977 and is expected to return to service in the first week of May, 1978.

(c) Central Government is rendering whatever assistance is possible to Rajasthan from Badarpur Thermal Power Station in the Central Sector.

बोरिम (गोआ) में पुल का गिरना

1889. श्री एडुआर्डो फलेरो : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बोरिम (गोवा) में एक पुल अनेक वर्ष पूर्व गिर गया था और उसकी भी तक मरम्मत नहीं की गई है जिससे उस क्षेत्र में यात्रियों तथा माल यातायात को बहुत खतरा होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त पुल का पुनर्निर्माण करने का है और यह कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है; और

(ग) उसके लिए कुल कितना उपबन्ध किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : गोआ सरकार मौजूदा पुल के लगभग 250 मी० नीचे की ओर एक बिल्कुल नया पुल बनाना चाहती है और इसके लिए तकनीकी रूप से 1,09,62,000 रुपए का अनुमान भी स्वीकृत कर दिया है । ज्यों ही निविदाओं को जो राज्य सरकार को पहले ही प्राप्त हो गई है और राज्य सरकार उनकी जांच कर रही है, अंतिम रूप दिया जाएगा, त्यों ही काम प्रारंभ करने की संभावना है ।

Import of Defence Material

1890. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the import of defence material is increasing every year;

(b) if so, the extent thereof and whether Government are preparing any scheme to manufacture them indigenously; and

(c) if so, the outlines thereof; and if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) No, Sir.

(b) and (c): Government is continuously engaged in the task of indigenous development of defence stores. The facilities available in Defence Research and Development Organisation and the in-house facilities in various public and Defence Undertakings and private laboratories and factories are utilised. The pace of indigenisation is also continuously monitored for effective action.

Economic Assistance to India by GDR for Rural Development

1891. **Shri Ishwar Choudhary:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been an agreement between India and GDR under which GDR is extending economic assistance to India for rural development;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) the amount of assistance allotted to each project for development of Indian Villages in each State?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) to (c): The Second Session of the Joint Commission for Economic, Scientific and Technical Co-operation between India and GDR was held in New Delhi from 26th to 28th September, 1977. A Protocol of the Session was concluded on 28th September, 1977 providing for cooperation in respect of various projects. No project as such for development of Indian villages was discussed. However, several of the projects covered under the agreement have an impact on the rural sector particularly projects relating to agricultural machinery, milk processing plant, mica industry and food processing.

During the Session specific agreements between the two countries were also concluded relating to subjects which have relevance to the development of rural sector, namely, training in specialised fields of animal husbandry, veterinary services, agricultural cooperatives, forestry, storage and processing of food stuffs and co-operation and agricultural research.

उद्योगों में 2001 रु० और इससे अधिक मासिक परिलब्धियां पाने वाले कर्मचारी

1892. **श्री रोबिन सेन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2001 रु० और उससे अधिक कुल मासिक परिलब्धियां प्राप्त करने वाले अपने कर्मचारीयों के बारे में जानकारी देने के लिए सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक कंपनियो से कहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कंपनियों ने जानकारी दे दी है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क), (ख) और (ग) : भारतीय कंपनियों में काम कर रहे ऐसे विदेशियों और भारत में चल रहा विदेशी कंपनियों में कार्यरत ऐसे विदेशियों और भारतीयों जिनकी मासिक परिलब्धियां 2001 रु० है उनकी सूचना सरकार को भेजने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस 8-2-1978 को जारी किया गया था । यह सूचना ऐच्छिक आधार पर ईकट्ठी की जा रही है और कम्पनियों से 30 मार्च, 1978 तक विवरण भेजने का अनुरोध किया गया है । अब तक कुछ ही विवरणीयां प्राप्त हुई है । पर्याप्त संख्या में विवरणीयां प्राप्त हो जानेपर आंकडों का विश्लेषण किया जाएगा ।

चेकोस्लोवाकिया के साथ बड़े सीमेंट कारखानों के निर्माण के बारे में समझौता

1893. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में बडे सीमेंट कारखाने का निर्माण करने के लिए चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) तकनीकी सेवाएं आदि उपलब्ध करने के लिए यदि चेकोस्लोवाकिया के तकनीकी विदों को कोई फीस दी जानी है तो उसकी शर्तें क्या है;

(घ) क्या समझौते के अनुसार भारत से कुछ निर्यात भी किया जाना है ; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (ङ) : हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची कि क्षमताओं का उपयोग बढाने के लिए चेकोस्लावाकिया के धातुकर्म और भारी इंजीनियरी मंत्री के साथ दिल्ली में हाल ही में हुए विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर सहमति हो गई है कि चेकोस्लोवाकिया रोलिंग मिल और कोक-ओवन इक्विपमेंट का हेवी इंजीनियरी कारपोरेशन से आयात करेगा और अधिक क्षमता के सीमेंट संयंत्रों का निर्माण करने के लिए एच० ई० सी० को सहायता देगा। संविदाओं का विस्तृत शर्तोंपर बात-चीत की जा रही है। तीसरे देशों में परियोजनाओं के लिए सहयोग की सम्भावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया था और इस संबंध में सिमेंट संयंत्रों, पावर संयंत्रों, धातुकर्मिक उपकरणों और क्रूड आयल रिफाईनरी के क्षेत्रों का पता लगाया गया था। भारत के प्रमुख अधिकरणो को जिसमें हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन भी शामिल है, चेकोस्लोवाकियाई संगठनों के साथ और आगे विचार-विमर्श करने के लिए चुना गया था जिसमें उपकरणों, सेवाओं आदि की सप्लाई के संबंध में भारतीय भागीदारो की परिकल्पना की गई है।

Electrification of Jhalawar District in Rajasthan

*1894. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state the progress made so far in the execution work in Jhalawar district of Rajasthan under the Rural Electrification Scheme and the names of tehsils or villages in which this work is in progress at present and the time by which the villages of entire Jhalawar district are likely to be electrified?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): Out of 1441 villages in Jhalawar district 356 stand electrified as on 31st January, 1978. In the Bakani Panchayat Samiti and Jhalapatan Panchayat Samiti in Jhalawar district in Rajasthan, 153 out of 158 villages have been electrified under the two schemes sanctioned by the R.E.C.

There is no indication when all the villages in Jhalawar district would be electrified.

केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र/संस्थान, धनबाद द्वारा भूमि का अधिग्रहण

1995. **श्री एस० जी० मुरूगयन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र/संस्थान धनबाद (बिहार) ने फरवरी, 1963 में खनन अनुसंधान केन्द्र (रामपूर) बैकुंठपूर (सुरगुंजा, मध्यप्रदेश) के लिए 41.80 एकड भूमी खरीदी (अभिगृहीत) कीं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अनुसंधान केन्द्र ने पटवारी के रिकार्ड में भूमि का अन्तरण नहीं करवाया और इस भूमि पर अनुसंधान केन्द्र आरम्भ नहीं किया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस सभी वर्षों में भूमि मूल मालिकों के अधिकार में रही है;

(ङ) क्या यह सच है कि 24 सितम्बर, 1976 को केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद (बिहार) के एक अधिकारी ने बैकुंठपुर का दौरा किया था और इस भूमि को सभाष गुप्त तथा अन्य व्यक्तियों के नाम पंजीकृत करा दिया था;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस भूमि को बेचने का निर्णय किस स्तर पर किया गया था जबकि यह भूमि मूल मालिकों के अधिकार में थी; और

(छ) इस बारे में अन्य ब्योरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) खरीदी गयी भूमि का विवरण इस प्रकार है:

विक्रता का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में	मूल्य
		रु०
1. श्री जान भाई	6.35	2575.00
2. श्रीमती ताराबाई	6.87 1.40	3514.00
3. श्री दलगंजन	2.65 13.08	6497.00
4. श्री मुन्ना लाल	4.13	1712.50
5. श्री गजाधर	0.35	175.00
6. श्री अकलू	0.10 1.85	780.00
7. श्री शिव मंगल	0.70 1.10	807.00
8. श्री चतरी, हंसराज बिसरन बलदव	3.22	1288.00
	41.80	17348.50

(ग) और (घ) : केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र ने इस भूमि को अपने अधिकार में लिया और समर्थ प्राधिकारी के यहां इस खरीद को पंजीकृत कराया गया । प्रशासनिक कारणों में उपकेन्द्र नहीं खोला जा रहा और बाद में प्रस्ताव रद्द कर दिया गया ।

(ङ), (च), (छ) : चूंकि उपकेन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया अतः उपमंडल अधिकारी से भूमी के निपटान के लिए कई बार अनुरोध किया गया पर उनस कोई उत्तर नहीं मिलता । कोल इंडिया लि० की सहायता से भूमि के निपटान के लिए केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र का एक अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया अंतिमतः श्री सुनील कुमार और अन्य को भूमि 20,000/- रू० में 24 सितंबर, 1976 को बेंच दि गयी ।

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को स्वाधीनता सेनानी पेंशन मंजूर किया जाना

1896. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि स्वाधीनता सेनानी पेंशन की मंजूरी के लिए भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों से प्राप्त कितने आवेदनपत्र अनिर्णीत पडे हैं और उन्हें कब मंजूरी दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत करने के लिए भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों का कोई आवेदन पत्र प्रारम्भिक जांच के लिए अनिर्णीत नहीं पड़ा है। स्वीकार्य सबूत के अभाव में 3456 आवेदन पत्र फाईल कर दिये गए हैं।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा केन्द्रों का बन्द होना

1897. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेशम धागे के मूल्य हाल में बढ गये हैं जिस के कारण उत्तर प्रदेश में हजारों हथकरघा केन्द्रों के बन्द होने कि आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो गत छः मास में रेशम धागे के मूल्य को स्थिती क्या रही है और सरकार द्वारा उचित मूल्य पर रेशम धागे कि सप्लाई सुनिश्चीत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। वास्तव में मलबरी कच्चे रेशम कि किमते जनवरी, 1977 में 320 रु० प्रति किलोग्राम थी अब उससे घट कर 280 रु० प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले कुछ महिनों में कीमतें मामूली से उतार चढाव के साथ दृढ बनी रहीं। मुख्य रेशम उत्पादक राज्यों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निम्नलिखित अभ्युपाय किये जाने से कच्चे सिल्क कि कीमतों को उचित स्तर तक बनाए रखना संभव हुआ है :--

(1) मलबरी कच्चे रेशम के लिए किमत स्थिरीकरण योजना लागू करना; तथा
(2) टस्सर कुकून को कच्चा माल बैंक का सुदृढ किया जाना।

तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र के निर्माण में मशीनी और तकनीकी त्रुटियां

1898. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तारापूर परमाणु बिजली संयंत्र के बारे में 11 फरवरी, 1978 के ब्लिट्ज में प्रकाशित समाचार कि ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या संयंत्र के निर्माण में मशीनी और तकनीकी त्रुटियां होने के कारण संयंत्र 'न्यूक्लियर ट्रैप' बन जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का क्या मत है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। ऐसी कोई त्रुटि नहीं है और, इसलिए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि प्लांट एक "न्यूक्लियर ट्रैप" बन जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Issue of Fitness Certificates for Vehicles

*1899. **Shri Sukhendra Singh:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state whether it is a fact that Delhi Transport Directorate issues fitness certificates for vehicles without getting the required forms filled in this regard?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): No Sir. Two forms are required to be filled in for obtaining a certificate of fitness. Form 'A' is required to be filled in by the applicants and Form 'B' by the Board of Inspection. On 28-1-78, Form 'B' was not filled in. The circustances under which the Board failed to fill in this Form on that day are being looked into by the Delhi Administration.

Carpet Centres in Gujarat run by all India Handicraft and Handloom Board

1900. **Shri Chhitubhai Gamit:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the number of Carpet Centres in Gujarat run by All India Handicraft and Handloom Board and the locations thereof;

(b) whether a demand has been made for setting up such carpet centres in Adivasi areas of Surat district; and if so, the locations thereof; and

(c) the time by which these carpet centres would be set up and the steps being taken by Government in this regard?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Nil, at present. Recently, five centres have been sanctiond to be located in Gujarat State.

(b) A request has been received for setting up Carpet Training Centre in Valod Taluka in Surat District.

(c) The request is being examined in consultation with the Gujarat State Handicrafts and Handlooms Corporation.

Uneconomical Routes of D.T.C.

***Shri Natvarlal B. Parmar:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the main routes of Delhi Transport Corporation, which are uneconomical; and

(b) the measures being adopted to reduce the bus-wise and route-wise loss of D.T.C.?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) All the routes of the Corporation operating within the city are un-economical at present as none of these covers the total cost of operation, including interest & depreciation.

(b) Proposals of the Corporation for revision of the fare structure for city services to reduce the losses in the city services are under Government's consideration. Efforts are also being made by the Corporation to improve its fleet utilization and general operational efficiency.

"1077 इन रीट्रास्पैक्ट" न्यूजरील प्रकाश म न आने देना

1902. **श्री एस० जी० मुरूगय्यन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीजन के नवीनतम समाचार-चित्र "1977 इन रीट्रास्पैक्ट" में वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान पिछली सरकार से सम्बद्ध घटनाओं को पूरी तरह से प्रकाश में नहीं आने दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। फिल्म प्रभाग को "इण्डिया 1977" नामक विशेष न्यूजरील में लोक सभा के चुनाव सहित 1977 के प्रथम तीन महीनों की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं कवर की गई थी। तथापि, समाचार पत्रों की कुछ इन टिप्पणियों कि इन तीन महीनों की कवर की गई घटनाओं में एकतरफा झुकाव की धारणा हो, के बाद विशेष न्यूजरील को संशोधन के लिए वापस ले लिया गया था।

पूंजी निवेश और प्रौद्योगिक के आयात में विदेशी भागिता

1903. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के बारे में अपनी नीति स्पष्ट की है जिनमें पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी के आयात के मामले में विदेशी भागिता हो सकती है और क्या सभी क्षेत्रों में विदेशी भागिता की अनुमति देते हुए सूची जारी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) तथा (ख) : विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति देने सम्बन्धी सरकार की नीति का उल्लेख 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के पटल पर रखे गये औद्योगिक नीति विवरण में किया गया है। एक संशोधित विस्तृत सूची जिसमें विदेशी सहयोग को आवश्यक नहीं समझा गया है। सरकार के विचाराधीन है।

हाथ से बनी दियासलाइयों पर बिक्री कर

1904. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा पड़ोसी राज्यों में हाथ से बनी दियासलाइयों पर बिक्री कर से छूट देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण है और इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या सरकार को हाथ से दियासलाई बनाने वाले निर्माताओं की ओर से इस बारे में एक अभ्यावेदन मिला है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) : (ख) तथा (ग) : दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में हाथ से बनी दियासलाइयों पर बिक्री कर से छूट देने का प्रश्न सरकार का ध्यान आकर्षित किए हुए हैं। जहां तक पड़ोसी राज्यों का संबंध है बिक्री कर संविधान के अन्तर्गत राज्य का विषय है, अतः किसी वस्तु पर छूट देने के लिये संबंधित राज्य सरकारों को विचार करना होता है।

(घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें ऐसा एक अभ्यावेदन मिला है।

Setting up of Industries in the Backward Areas

1906. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is still the policy of Government to accord priority to backward areas in the matter of setting up of industries;

(b) whether Bhagalpur district has been declared as economically backward district;

(c) the names of industries for which raw material is available there; and

(d) whether Government propose to set up industries in this backward area and if so, by what time and in which form?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Yes, Sir.

(b) The district of Bhagalpur has been selected as industrially backward to qualify for concessional finance facilities and also the central scheme of investment subsidy.

(c) A techno-economic survey has been carried out and the following industries have been identified on the basis of the raw materials locally available:—

> Spices powder, Rope and Ban making, Wooden Electrical accessories, Bone Meal, Leather footwears and goods, Tooth Powder, Handloom fabrics, Starch from Maize, Bidi making, Dehydration of Potatoes, Oil Extraction, Jute products etc.

(d) Government does not set up industries under the Backward Area Development Programme, but provides various incentives for the purpose which has been done for Bhagalpur district.

International talk regarding radio-active fall out of satellites

1907. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Atomic Anergy** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that reports of radio active fall out from exploded artificial space satellites and danger thereof to the human beings have been received from some countries;

(b) whether any talks are going on at international level to save humanity from this danger; and

(c) the reaction of Government of India thereto?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) The Government of Canada have reported that several pieces of debris from a Soviet nuclear powered satellite have been located in Canada, but no reports of injury to persons have been received so far.

(b) We understand that the Government of Canada proposes to take up this matter in the Outer Space Committee of the United Nations and its Scientific & Technical Sub-Committee and Legal Sub-Committee.

(c) The Government of India is actively participating in the United Nations Outer Space Scientific & Technical Sub-committees with a view to taking all possible steps to strengthen international co-operation in this area.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयुक्त को अधिक अधिकार देना

1908. **श्री राम कंवार बेरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अधिक अधिकार देने का है जिससे वह आदिवासी भूमि के संक्रामण, साहूकारों द्वारा शोषण और सहकारी समितियों द्वारा झूठे ऋण दर्ज किये जाने संबंधी मामलों को निपटा सकें; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूजित जनजातियों के आयुक्त के प्रभावी कार्यकरण, के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मैन्युअल

1909. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने औद्योगिक सुरक्षा के बारे में एक मैन्युअल बनाने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1978 में ऐसी गाइड के लिए सरकार के प्रस्ताव क्या हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) औद्योगिक सुरक्षा के संबंध में अनुदेशों पर पहले से ही कार्य किया जा रहा है। इस समय उनके पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर खेल-कूद में हिस्सा लिया जाना

1910. **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अखिल भारतीय स्तर पर खेल-कुद में हिस्सा लेता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में वर्ष 1978 के लिए सरकार के प्रस्ताव क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) इस मामले पर अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड के साथ बातचीत की जा रही है ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

1911. **श्री निहार लास्कर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार उद्योग की प्रत्येक श्रेणी तथा इस्पात संयंत्रों, उर्वरक निगम, पत्तन न्यास एकक और भारतीय खाद्य निगम के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के संगठन और प्रतिष्ठान का मानकीकरण करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : सरकार के पास उद्योग की प्रत्येक श्रेणी के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के संगठन तथा प्रतिष्ठान का मानकीकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि प्रत्येक सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र में औद्योगिक सुरक्षा बल की संख्या आवश्यकता पर आधारित पद्धति पर निर्धारित की जाती है ।

अनवरत योजना की विचारधारा

1912. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनवरत योजना की विचारधारा कुछ राज्यों द्वारा नहीं सराही गई है ;

(ख) क्या इन राज्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक बुलाये बगैर ही आयोजना में परिवर्तन कर दिए गए थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार के विचार क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : कुछ राज्यों ने इस विषय पर विभिन्न विचार प्रकट किए हैं और यह सुझाव दिया है कि इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाई जाए ।

(ग) संबंधित राज्यों को यह सूचित किया गया कि यह अधिक अच्छा होगा कि योजना आयोग द्वारा उक्त योजना पहले तैयार कर ली जाए और तब उस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार-विमर्श किया जाए ।

धनबाद जिले के बागमारा ब्लाक में देसी वालिया को आदिवासी माना जाना

1913. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद जिले के बागमारा ब्लाक में देसी वालिया जाति के लोगों के साथ आदिवासी माने जाने के मामले में विभेद किया जा रहा है, जब कि उसी जिले के चारु और चन्दनक्यारो ब्लाक में देसी वालिया लोगों को आदिवासी माना गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बागमारा ब्लाक के देसी वालिया लोगों को आदिवासी मानकर उनके प्रति सामाजिक न्याय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) : देसी वालिया जाति को संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबन्धों के अन्तर्गत बिहार राज्य के किसी भाग के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है । यह स्थिति कि यह जाति किस प्रकार धनबाद जिले के चास और चंदनक्यारी ब्लाक में "आदिवासी" के रूप में मानी जा रही है, बिहार सरकार से मालूम की जा रही है ।

Increase in the pay scales of mounting assistants, bromide printers and finishers

1914. **Shri Madan Tiwary:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of Dry Mounting Assistants, Bromide Printers and Finishers, separately in Photo Division of the Ministry and their pay-scales;

(b) whether Government have considered the question of raising their pay-scales; and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) A Statement is attached.

(b) & (c): Their existing pay-scales are based on the recommendations of the 3rd Pay Commission. There have been some representations by the Staff Association for further increase in pay-scales which are under consideration.

Statement

S. No.	Designation of posts	No. of posts	Pay-scales
1.	Dry Mounting Assistant	5	Rs. 290-8-330-10-380-EB-12-500-EB-15-560
2.	Bromide Printer	27	—do—
3.	Finisher	13	—do—

दिल्ली के आटो रिक्शा और टैक्सी चालक

1915. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आटो रिक्शा चालक तथा टैक्सी चालक यात्री द्वारा निर्दिष्ट स्थान को जाने से इन्कार करते हैं और इस कारण यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें मिलीं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) जी, हां । इस आशय की कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ।

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान (28-2-1978 तक) यात्रियों द्वारा बताए गए गंतव्य स्थानों तक जाने से इन्कार कर देने के बारे में 129 लिखित शिकायतें (आटो-रिक्शा चालकों के विरुद्ध 93 और टैक्सी चालकों के विरुद्ध 36) प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा परिवहन निदशालय, दिल्ली के परावर्तन कर्मचारियों ने समय समय पर विशेष अभियानों के दौरान 48 आटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध उसी अपराध के लिए मुकदमें चलाए।

(ग) दोषी चालकों पर अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए अन्तराज्यीय बस टर्मिनल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली जंक्शन पर विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं। नगर के विभिन्न भागों में इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए परावर्तन कर्मचारी यातायात पुलिस के सहयोग से विशेष अभियान भी चलाते हैं।

कलकत्ता और फरक्का के बीच परिवहन सेवा

1916. **श्री शशांक शेखर सान्याल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री कलकत्ता और फरक्का के बीच परिवहन सेवा के बारे में 16 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 489 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त यातायात को चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि इलाहाबाद और कलकत्ता के बीच नदी सेवा वित्तीय दृष्टि से सक्षम नहीं होगी, परन्तु लाभप्रद छोटी सेवाएं फरक्का और कलकत्ता क्षेत्र के बीच संभव हो सकती हैं। व्यापक अध्ययन के बाद एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए "फरक्का और हल्दिया के बीच अंतर-देशीय जल परिवहन सेवा आरंभ करने" की योजना के लिए 1978-79 के दौरान अस्थायी रूप से 1.00 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

सैनिक सामग्री का गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन

1917. **श्री शरद यादव :**
श्री पी० के० कोडियन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया है कि सैनिक सामग्री का उत्पादन आयुध कारखानों में न कर गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष कितने मूल्य की सैनिक सामग्री का उत्पादन कराया जाएगा ;

(ग) क्या उक्त निर्णय से आयुध कारखानों के काम के भार पर, जो पहले ही कम हैं, विपरित प्रभाव पड़ा है; और

(घ) उक्त निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं और आयुध कारखानों को इस प्रकार होने वाली हानि को सरकार किस प्रकार पूरा कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर मुकदमा चलाया जाना

1918. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के राज्यपाल ने कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री देवराज अर्स पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्यपाल ने जांच आयोग के अभ्यावदनों के साथ-साथ, श्री देवराज अर्स तथा उनके कुछ मंत्रियों एवम् अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) : ग्रोवर जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत पहली रिपोर्ट, जिसे उसमें दिए गए निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाही के विचारार्थ कर्नाटक सरकार को भेजा गया था, की जांच करने के बाद, राज्य सरकार ने उस पर प्राप्त कानूनी राय को ध्यान में रखकर रिपोर्ट के अन्तर्गत आने वाले एक आरोप को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने का अनुरोध किया था, जो डा० एम० डी० नटराज की भूमि स्वीकार किए जाने के संबंध में है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अब श्री देवराज अर्स, डा० एम० डी० नटराज तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जांच के लिए एक मामला दर्ज कर लिया है।

राज्य सरकार ने कर्नाटक के एक अन्य भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध शिकायत भेजी थी, जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने के लिए अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों का ज्ञापन

1919. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य सत्य है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के ज्ञापन को तब तक देखेंगे भी नहीं जब तक कि वे हड़ताल को बिना शर्त वापस न ले लें ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा वक्तव्य देने का औचित्य क्या है ; और

(ग) क्या उसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल लम्बी चली थी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) : महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों दिसम्बर 1977 में हड़ताल के दौरान जब प्रधान मंत्री जी से पूना में मिले थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक वे हड़ताल पर हैं तब तक वे मुख्य मंत्री की कर्मचारियों के साथ बात करने के लिए नहीं कह सकते। यह महाराष्ट्र सरकार का काम था कि वह अपने कर्मचारियों की हड़ताल का हल निकालते। प्रधान मंत्री जो ने कर्मचारियों को जो कहा उसके परिणामस्वरूप हड़ताल लम्बी चलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

पंजाब में ईंट के भट्ठों तथा उद्योगों के लिए कोयले की सप्लाई

1920. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 तथा 1977 में दिसम्बर तक उद्योगों तथा ईंटे के भट्टों के लिए पंजाब को कितना कोयला सप्लाई किया गया ;

(ख) क्या सरकार को उद्योग, ईंट भट्ठे संघ का ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है कि उन्हें कोयलाकी सप्लाई नहीं मिल रहीं है और उद्योग वास्तविक रूप से समाप्त होने को हैं ; और

(ग) कोयला की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं और सप्लाई को सामान्य बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री श्री (पी० रामचन्द्रन) : (क) 1977 के दौरान पंजाब में ईंट भट्ठो को सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा लगभग 8.88 लाख टन थी जबकि 1976 में लगभग 4.46 लाख टन कोयला सप्लाई किया गया था। पंजाब के उद्योगों को 1976 में सप्लाई किए गए 6.69 लाख टन स्टोम कोयले की तुलना में 1977 में सप्लाई किए गए स्टोम कोयले की मात्रा लगभग 6.46 लाख टन थी ।

(ख) पंजाब में उद्योगों तथा ईंट भट्ठों में कोयला की कमी के बारे में कुछ अभिवेदन मिले थे ।

(ग) इस वर्ष भारी वर्षा और उसके बाद गोमिया विस्फोटक पदार्थ फैक्टरी में हुई हड़ताल के कारण कोयले का कम उत्पादन हुआ जिसके फलस्वरूप स्टोम कोयला कुछ समय तक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सका। किन्तु दिसम्बर, 1977 के बाद से कोयले का उत्पादन काफी बढा है और अब उद्योगों तथा ईट भट्ठो की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए खान मुहानों पर काफी कोयला है ।

Agreement with Canada on Science and Space Technology

1921. **Shri Rajendra Kumar Sharma**: Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether any new agreement has been concluded with Canada on Science and space Technology;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) whether the Canadian Government have offered some economic assistance for the purpose; and if so, the amount thereof?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b & c): Does not arise.

चीन से विद्रोही नागाओं की वापसी

1922. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं का एक दल जो चीन के यूनान प्रान्त में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लेने तथा हथियार प्राप्त करने गया था वह नागालैंड की सीमापार बर्मा के कोचोन क्षेत्र में लौट चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एन० पाटिल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भूमिगत नागाओं के दो दल चीन से वापस लौट आए हैं और बताया जाता है कि वे अब हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार बर्मा में है ।

(ख) सुरक्षा दलों द्वारा सीमा पर निरन्तर कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

सट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1923. **श्री भगत राम** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेंट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजेशन में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को पीडित किये जाने के विरुद्ध सी० एस० आई० ओ० कर्मचारियों संघ द्वारा चंडिगढ़ में की गई रिले भूख हड़ताल और सांकेतिक हड़ताल और बड़े पैमाने पर धरना दिये जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनको बहाल करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : कथित संगठन में 4 फरवरी, 1978 को कर्मचारियों ने न तो रिले भूख हड़ताल की न सांकेतिक हड़ताल की और न ही बड़े पैमाने पर धरना दिया । हां, लगभग 45 कर्मचारियों ने उस दिन आकस्मिक अवकाश लिया और उनमें से कुछ संगठन भवन के आहते के बाहर बैठे रहे । क्योंकि उनमें से किसी भी कर्मचारियों को बर्खास्त नहीं किया गया इसलिये उन्हें फिर से बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को हुई हानि

1924. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अप्रैल से नवम्बर, 1977 तक कोयले का कम उत्पादन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या है ; और

(घ) घाटे में कमी लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : अप्रैल से नवम्बर, 1977 तक उत्पादन में 18.34 लाख टन तक की कमी हुई जिसके कारण इस प्रकार हैं:– (1) गोमिया विस्फोटक पदार्थ फैक्टरी में हड़ताल (2) गैरहाजिरी (3) असामान्य भारी वर्षा और (4) कोयला खान आदि में बिजली की सप्लाई में रूकावट, आदि ।

(घ) उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जिनके फलस्वरूप जनवरी, 1978 में यह कमी घटकर 1.16 लाख टन रह गई है ।

Reversion of Officers in R.A.W. to their parent departments

1925. **Shri Hukmdeo Narain Yadav**: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether at the time of formation of Research and Analysis Wing (Intelligence Agency) C.B.I. officers were taken therein and whether most of them intend to revert to their parent department but they are not being allowed to do so; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Fall in per capita income

1926. **Shri Y. P. Shastri**: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether there has been a fall in per capita income during 1977-78 as compared to the per capita income in 1976-77;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether there has been a fall in the national per capita income during this year as compared to the last year and whether there has been a fall in the income of those persons who are already living below the poverty line and if so, the percentage of fall in income; and

(d) if there has not been a fall in the per capita income the percentage of increase registered therein?

The Prime Minister (Shri Morarji R. Desai): (a) Detailed estimates of national income for 1977-78 can be prepared only after the end of the year. However, according to the Economic Survey the rate of growth of gross national product during 1977-78 is expected to be about 5 per cent. This should result in higher per capita income during 1977-78 than in 1976-77.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) With 5 per cent anticipated increase in gross national product during 1977-78, the per capita income during the year is expected to increase by about 3 per cent.

Number of Paper Mills and Self-sufficiency in Newsprint

1927. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the total number of paper mills in the country at present both in public and private sectors;

(b) the total annual production of newsprint in these mills;

(c) whether the country has achieved self-sufficiency in this regard; and

(d) if not, by what time self-sufficiency is likely to be achieved?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) & (b): There are at present 87 mills producing paper and paper board. Only one mill *viz.*, National Newsprint and Paper Mill is producing newsprint. The annual production of newsprint during 1976-77 was 57690 tonnes.

(c) No, Sir. The production of National Newsprint & Paper Mills is not sufficient to meet the current demand of about 2 lakh tonnes, and the deficit is being met by imports.

(d) It is not expected that the country would be self-sufficient in Newsprint for the next few years. As newsprint is a cheap variety of paper, the scope for utilizing the scarce and valuable primary forest resources of the country for manufacture of newsprint is limited. However, various schemes such as the expansion of National Newsprint & Paper Mills to a capacity of 75000 tonnes per annum, the Kerala Newsprint Project of the Hindustan Paper Corporation for the manufacture of newsprint with a capacity of 80,000 tonnes per annum, and the Mysore Paper Mills Newsprint Project for the manufacture of newsprint with a capacity of 75,000 tonnes per annum, have been taken up to increase the indigenous production of Newsprint.

पश्चिम बंगाल के कंटाई क्षेत्र में नमक का उत्पादन करने वाले एककों को सहायता

1928. **श्री सौगत राय :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर तट पर विशेषरूप से कंटाई क्षेत्र में नमक का उत्पादन करने वाले एककों को पूरी तरह से वित्त पोषित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा जिन्हो ने हाल ही में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, इस बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : एक दल जिसमें नमक आयुक्त, भारत सरकार, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान साल्ट्स् लि० तथा उद्योग निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार शामिल थे, पश्चिम बंगाल के कोनताई क्षेत्र में अन्य बातों के साथ साथ यह पता लगाने को पहुंचा कि क्या उस क्षेत्र की खाली भूमि का उपयोग कर नमक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । नमक का उत्पादन करने के लिये उन्होंने कुछ और क्षेत्रों का पता लगाया है । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोनताई क्षेत्र से नमक निकालने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नियुक्त की गई अध्ययन टीम की रिपोर्ट मिलने पर इस विषय पर और आगे कार्यवाई की जायेगी ।

"सनलाइट" और "लाइफबॉय" साबुन के मूल्यों में वृद्धि

1929. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी और फरवरी के महीने में हिन्दुस्तान लीवर द्वारा निर्मित और जनसाधारण द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सनलाईट और लाइफबॉय जैसे विभिन्न प्रकार के साबून के मूल्यों में वृद्धि हुई है; यदि हां; तो इसके क्या कारण है; और

(ख) क्या इन साबुनों को कृत्रिम कमी और इन वस्तुओं में तेल की मात्रा कम हो जाने के बारे में सरकार को शिकायतें मिली है ; यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिय क्या कार्यवाही की गई है कि हिन्दुस्तान लीवर द्वारा ये वस्तुएं आइ०एस० आई० के मानक के अनुसार सप्लाई की जाये ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां। ऐसा साबुन बनाने में प्रयुक्त तेलों के ऊंचे मूल्यों के कारण हुआ है।

(ख) सरकार को साबुन की कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। किन्तु साबून में तेलों की कमी के सम्बन्ध में एक शिकायत वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में प्राप्त हुई जिसकी भारतीय मानक संस्था के परामर्श से जाँच की जा रहीं है।

पटसन के मूल्य

1930. **श्री मोहम्मद हयता अली** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन तथा पटसन की वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटसन वस्तुओं में हाल की वृद्धि का कारण यह है कि पश्चिम बंगाल के पटसन मिलों के कुछ मालिक जूट कमिशनर के इन निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं कि कोई भी पटसन मिल चार सप्ताह से अधिक की अवधि का कच्चे पटसन का स्टाक न रखे; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी पटसन मिलों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान कच्चे पटसन तथा पटसन की वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि होती रही। जहां तक पटसन की वस्तुओं का संबंध है इसकी कीमतों में अब गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अक्तूबर 1977 में जब कच्चे पटसन की कीमते 240 रु० प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी तो पटसन आयुक्त ने 225 रु० प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी थी जिससे ऊपर कच्चे पटसन की खरीद तथा बिक्री की अनुमति नहीं थी।

(ख) तथा (ग) : जी, नहीं। पटसन आयुक्त ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अनुमति दी जाने वाली सीमा से अधिक स्टाक रखने के लिए निम्नलिखित चार पटसन मिलों के विरुद्ध दाण्डिक मुकदमे चलाये है :—

1. मैसर्स बेली जूट कम्पनी लिमिटेड,
2. मैसर्स बिड़ला जूट मैन्यु० कम्पनी लिमिटेड,
3. मैसर्स एंग्लो इण्डिया जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, तथा
4. मसर्स चम्पदानी जूट कम्पनी लिमिटेड ।

इस समय मिलों को उनकी छः सप्ताह की खपत तक कच्चे पटसन का भंडार रखने की अनुमति है।

सीमेंट को आयात शुल्क से छूट देना

1931. **श्री अधन सिंह ठाकूर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट को आयात शुल्क से छूट दे दी है ;

(ख) कुल कितना सीमेंट आयात किया जायेगा और आयात के माध्यम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रति बोरी लागत और बिक्री मूल्य क्या है; और

(घ) इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप सीमेंट की सप्लाई में कहा तक सुधार होगा और आयात किये गये इस सीमेंट को किस प्रकार वितरित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने अब तक दक्षिणी कोरिया, पोलैंड और रूमानिया से 8.4 लाख मी० टन घटा/बढो 10% सीमेंट का आयात करने की संविधाएं की है। इस समय सीमेंट का आयात बम्बई, कोचीन, मद्रास और विशाखापत्तनम के बंदरगाहों से किया जा रहा है।

(ग) आयातित सीमेन्ट की प्रति बोरी कोट्टागत लागत लगभग 30 रुपए होती है। आमतौर से आयातित सीमेंट देशी सीमेंट के मूल्य पर ही बेचो जा रही है। फिर भी एक राज्य से दूसरे राज्य में व एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रति बोरी सीमेन्ट के मुल्य में थोडा बहुत अन्तर केन्द्रीय बिक्री कर राज्य बिक्री कर सड़क परिवहन खर्चे व चुंगी आदि के कारण होता है। देशी सीमेन्ट की लागत की तुलना में आयातित सीमेंट की तटागत् लागत अधिक होती है अतः सरकार ने कीमतो का एक पूल बनाने व 7 जनवरी 1978 से सीमेन्ट का गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुफ्त मूल्य बढ़ाकर 17 रूपए प्रति मी० टन तक बढ़ाने का निर्णय किया है ताकि स्थानीय करों सहित सीमेन्ट का फुटकर मूल्य 20 रू प्रति मा० टन या एक रुपया प्रति बोरी से अधिक न बढ़े।

(घ) सीमेंट का आयात करने से सीमेंट सप्लाई की स्थिति में विशेष रूप से बंदरगाहों व आस-पास के क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है। आयातित सीमेन्ट को देशी सीमेन्ट वाली दरों व माध्यम से ही वितरित किया जाता है।

तमिलनाडु में ग्रामीण उद्योग

1932. **श्री रागावलू मोहनरंगम :**
डा० पी० वी० पेरियसामी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामिलनाडु में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना संबंधी व्यापक योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बारे में कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है और कितनी सहायता मंजूर की गई है अथवा मंजूर करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा चलाई गई आयोजना में पांच जिले यथा तिरूनवेल्ली, सेलम, चिंगलपूट, रामनाथपुरम तथा धरम पुरी शामिल किये गये हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को परियोजना स्थापित करने, संवर्धनात्मक योजनाएँ जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामान्य सुविधा सेवा केन्द्र आदि का आयोजन करने के लिए (सारा) खर्च उठाने हेतु केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार के लिए ऋण के रूप में सहायता देने की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बहुत कम ब्याज दर पर उद्यमियों को परियोजना क्षेत्र उद्योग प्रारम्भ करने के लिए दिया जाता है।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध धनराशि के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा निधियों का आवंटन किया जाता है। वर्ष 1962-63 से 1976-77 तक ग्रामीण उद्योग परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को 216.18 लाख रुपये की राशि दी गई है जिसमें 97.57 लाख रुपए अनुदान तथा 118.61 लाख रुपय ऋण के रूप में दिये गये हैं। 1977-78 के चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए तामिलनाडु सरकार को 21.50 लाख रुपय की राशि आबंटित की गयी है जिसमें 9.50 लाख रुप अनुदान तथा 12.00 लाख रुपये ऋण के रूप में हैं।

Conference of Ministers of Energy

†1933. **Shri Laxmi Narain Nayak:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether inaugurating the two day conference of the Ministers of Energy in States in Delhi on the 23rd January, 1978, Prime Minister said that the rates of power for agriculture purposes were higher as compared to industries and the rates if cannot be reduced, should not be higher than those charged from industries;

(b) if so, the names of the States which have implemented the suggestions made by the Prime Minister and have reduced the rates of power for agriculture purposes; and

(c) whether the Central Government have written to the States to reduce the rates of power for agriculture purposes, and if so, when?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) During the course of his Inaugural Address at the Conference of Power Ministers of the States on the 23rd January, 1978, the Prime Minister had observed that the power tariff rates for agriculturists should be lower than for industrialists.

(b) Since April, 1977, tariffs for agriculture have been reduced in the States of Andhra Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. The over-all average rates, inclusive of electricity duty, for agricultural purposes are lower than those for small industries in all the States except in West Bengal where the rate of electricity duty for agriculture is higher than that for small industries.

(c) No specific suggestion has been made to the States for reduction in agricultural power tariffs.

बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा भारत में निवेश

1934. **डा० बी० ए० सैयद मुहम्मद :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री का यह कथित वक्तव्य (4-2-1978 का स्टेट्समैन) कि सरकार "नई औद्योगिक नीति तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की परिधि के भीतर" बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा भारत में निवेश करने के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है, सरकार की नीति का प्रतिनिधित्व करती है ;

(ख) क्या उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित सरकारी अध्ययन दल ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में कतिपय संशोधन करने की सिफारिश की है ; और

(ग) क्या 3 फरवरी, 1978 के "पैट्रियट" में प्रकाशित यह वक्तव्य सही है कि "ये रियायतों का अमरीकी बहुराष्ट्रीय फर्मों के मालिकों की जनता सरकार के मंत्रियो, उच्च अधिकारियों तथा गैर सरकारी व्यापारियों के साथ हुई गोल-मेज बैठक के तुरन्तपश्चात दिये जाना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है" ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां। संसद के सभा पटल पर 23-12-77 को रखे गए औद्योगिक नीति विवरण के पैरा 24 से पैरा 26 में विदेशी विनियोजन के सम्बन्धी सरकारी नीति स्पष्ट कर दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Electrification of Villages in Gujarat

†1935. **Shri Amarsinh V. Rathawa :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the total area in Gujarat which was deemed economically backward as per the recommendations of the Hathi Committee;

(b) the area, out of it for the electrification of which the Central Government have given assistance to Gujarat State; and

(c) the amount of assistance given and the number of villages electrified and the number of villages yet to be electrified as also the time by which these villages are likely to be electrified?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) 114 talukas (12,652 sq. km.) out of 184 talukas (1,08,267 sq. km.) in Gujarat were identified as economically backward by the Hathi Committee.

(b) The Rural Electrification Corporation have so far sanction 48 schemes, envisaging electrification of 1,498 new villages, with five years.

(c) The 48 schemes referred to above cost Rs. 1,523.681 lakhs. Up to 30th November, 1977, 886 villages had been electrified and 612 new villages will be electrified within the next five years.

कागज के मूल्य में वृद्धि

1936. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज उद्योग को मूल्य में वृद्धि और उत्पादन में अनियमिताओं के बारे में उचित सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है;

(ख) क्या इस बारे में उद्योग से बातचीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क), (ख) और (ग) : यद्यपि कागज के मूल्यों पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है फिर भी बिना पर्याप्त औचित्य के मूल्य बढाने की एकतरफा प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार उद्योग हतोत्साहित कर रही है। सरकार से बिना परामर्श किए कुछ मिलों द्वारा कीमतें बढ़ाने पर सरकार की अप्रसन्नता की जानकारी जनवरी, 1978 में हुई बैठक में कागज उद्योग को दे दी गई थी।

सामान्यतः यह उद्योग सरकारी निदेशों के अनुरूप चल रहा है फिर भी कुछ मिलों ने मूल्य वृद्धि को उचित ठहरने की कोशिश की है। सरकार ने इस बात पर बल दिया कि वर्ष 1977 के मूल्य-स्तर को तब तक पुनः लागू रखा जाना चाहिए जब तक मूल्य संशोधित करने के प्रश्न पर विचार नहीं कर लिया जाता। मूल्य स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये सरकार द्वारा विनियमयकारी अभ्युपाय उठाने से पूर्व उद्योग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

Talks of Information Minister with Staff Artistes regarding their problems

1937. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2941 on the 7th December, 1977 and state :

(a) the action being taken on the demands submitted by the staff artistes;

(b) the amenities provided to them after the formation of Janata Government;

(c) whether Government propose to free the radio artistes from bureaucratic hold so as to enable them to discharge their programme responsibilities efficiently; and

(d) if so, by what time and when the avenues of promotion will be provided for them?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) & (b) : The service conditions of staff artistes in All India Radio are more or less at par with regular Government servants, except with regard to pension. Staff Artistes, in lieu of Pension, are entitled to Contributory Provident Fund. Whenever additional Dearness Allowance is sanctioned for regular Government employees, the same is also made applicable to the staff artistes.

The fee scales of staff artistes were revised in June, 1976 on the analogy of Third Pay Commission's recommendations with regard to salary scales of comparable categories of Government employees of AIR. Demands have been made by several categories of staff artistes for further revision of their pay scales ; but it has not been possible to accede to such demands.

(c) & (d) : The question of providing selection grade to Staff Artistes on the pattern of comparable categories of civil posts in the Government is under consideration. It is not the intention to hold staff artistes under any control, except to the extent necessary in public interest within the frame work of Government policy from time to time. The staff artistes are eligible for promotion in terms of recruitment rules framed for various categories of staff artistes.

नागा, मिजो तथा मनीपुरी लोगों को अपने-अपने राज्यों में पुनः मिलाया जाना

1938. **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या नागालैण्ड, मनीपुर तथा मिजोरम के नागा, मिजो तथा मनीपुरी लोगों की ओर से यह मांग को गई है कि नागा, मिजो तथा मनीपुरी लोगों का उनके अपने-अपने राज्यों में मिलाया अथवा पुनः मिलाया जाये ;

(ख) क्या सरकार का विचार नागा, मिजो तथा मनीपुरी लोगों की इस मांग को स्वीकार करने का है कि उनकी जातियों तथा जन-जातियों को उनके स्पष्ट जातीय वर्गों के भेद के आधार पर उनके अपने-अपने राज्यो में रखा जाये ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) : समय समय पर ऐसी विभिन्न मांगे प्राप्त होती रही है। फिर भी, इस समय, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

सेवाओं में आरक्षण के लिए राज्यों को निदश

1939. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने सरकारी सेवाओ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए कोटा आरक्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और इस प्रकार कितने प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया है ;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने भी राज्यों को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : राज्य सेवाओं में आरक्षण दिया जाना संबंधित राज्य सरकारों के सामर्थ तथा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाला मामला है। केन्द्रीय सरकार इस बात से अवगत है कि अनेक राज्य सरकारों द्वारा राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण दिए हुए हैं। किन्तु इस संबंध में पूर्णतया तथा अद्यतन सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ) : संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के साथ पठित, अनुच्छेद 335 के अनुसार राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण देने का काम संबंधित राज्य सरकारों का है, इसलिए केन्द्रीय सरकार के लिए राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई निदेश जारी किए जाने का प्रश्न नहीं है।

सीमेंट की कमी

1940. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे सीमेंट कारखानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या है, जिन्हें सीमेंट की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सीमेंट की समस्या का समाधान करने के लिए नये सीमेंट कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कौन से स्थान का चयन किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1740/78]**

(ख) प्राय: सभी राज्यों से सीमेंट की कमी संबंधी रिपोर्टें मिल रही हैं ।

(ग) और (घ) : सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए अनेक योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है । इन योजनाओं का ब्यौरा बताने वाले तीन विवरण संलग्न हैं ।

Construction of Railway underbridge in Shahdara

†1941. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4065 on 20th July, 1977 regarding construction of Railway underbridge in Shahdara and state :

(a) whether remedial action to pump out rain water accumulated under the bridge has since been completed and if so, the details thereof; and

(b) whether the said bridge has been opened to traffic and if not, the reasons for inordinate delay and when this bridge is likely to be opened to traffic?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) Remedial action of water proofing of sumpwell and installation of pumps is expected to be completed by the end of April, 1978.

(b) It has not been possible to open the bridge to traffic as yet, as the work on the Western side approach road was held up due to the non-availability of a small stretch of land between the bridge and G.T. Ghaziabad Road following a court case which has since been decided in favour of the Delhi Administration. The work has now started and is expected to be completed by the end of April, 1978. The bridge would be opened for traffic soon thereafter.

आर्थिक तथा प्रशासनिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण

1942. **श्री हरि विष्णू कामत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपनी एक चुनाव प्रतिज्ञा के कारण आर्थिक तथा प्रशासनिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए वचनबद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या केन्द्र से ग्राम पंचायत तक सत्ता के ऐसे अन्तरण के लिए कोई व्यापक योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : सरकार ने प्रशासन की कार्यकुशलता में सुधार लाने के अपने प्रयत्नों में समय समय पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे संगठनों के भीतर निचले स्तरों पर शक्तियों का अधिकतम प्रत्यायोजन और अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करें। सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की है, जो पंचायत राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली की जांच करेगी और उनको सुदृढ़ बनाने का सुझाव देगी, जिससे कि योजना तथा विकास की विकेन्द्रीकृत प्रणाली कारगर रूप से कार्य कर सके।

राज्यों से लेकर नीचे पंचायत स्तर तक शक्तियों का अन्तरण राज्य प्रशासन से अधिकार क्षेत्र में आता है ;

महानगरों में अपराध

1943. **श्री वसन्त साठे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानक वर्गीकरण के अनुसार चालू वर्ष में दिसम्बर, 1977 तक दिल्ली में तथा अन्य महत्वपूर्ण महानगरों में अपराधों की संख्या क्या थी और गत वर्ष की तुलना में यह किस प्रकार तुलनीय है;

(ख) अपराध की लहर को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/किए जाने हैं ;

(ग) इन नगरों में प्रत्येक एक हजार की जनसंख्या पर पुलिस की संख्या क्या है और क्या इसमें और वृद्धि करने का विचार है ; और

(घ) क्या यह सच है कि विशेषरूप से दिल्ली के लिए पुलिस की शक्ति बढ़ाने और उसके लिए अच्छे उपकरणों के लिए प्रस्ताव, लम्बे समय से स्वीकृति हेतु विचाराधीन है और यदि हां, तो इस मामले में क्या उपाय किए जाने हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) तक : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गोवा में समुद्र के तटों पर नग्न लोगों की कालोनी

1944. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोवा में कुछ समुद्र तटों को कुछ हिप्पियों तथा विदेशियों ने वास्तविक नग्न-कालोनी में बदल दिया है और वे कई प्रकार की अश्लील और अशिष्ट हरकतें करते हैं तथा हशीश और चरस की तस्करी करते हैं ;

(ख) क्या उनके द्वारा ऐसे अपराध बिना पुलिस हस्तक्षेप के खुल्लमखुल्ला किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ऐसे अपराधों, भ्रष्ट आचरण और अश्लीलता को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : सुदूर स्थानों में विदेशियों के नग्न रूप में दिखाई देने के कुछ मामले देखे गये। इस सम्बन्ध में 1977 में 29 तथा चालू वर्ष में 3 विदेशियों पर मुकदमें चलाये गये। आबकारी तथा पुलिस विभागों द्वारा अवैध रूप से स्वापक पदार्थ रखने के संबंध में 1977 में 30 मामले और 1978 में 21 मामलें दर्ज किये गये।

(ग) तथा (घ) : निवारक कार्रवाई करने के लिये स्वापक अपराधों की सजा जुर्माने के साथ अथवा बगर जुर्माने के तीन वर्ष तक बढ़ा दी गई है। अपराध से अधिक कारगर ढंग से निपटने के लिए कलंगुटे बाह्य चौकी का दर्जा बढ़ा कर पुलिस थाने के स्तर तक कर दिया गया है। अन्जुना में भी जो हिप्पियों की एक लोकप्रिय तैरगाह है, इस क्षेत्र की कारगर गश्त के लिए दिसम्बर, 1977 में एक बाह्य चौकी स्थापित की गई है।

जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और देवरिया में उद्योगों की स्थापना

1946. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों अर्थात् जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और देवरिया में पटेल आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव के अनुसार सरकार का कोई उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में किस किस उद्योग को स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से इकट्ठी की जा रही है।

पोंग बांध परियोजना में कर्मचारियों की छंटनी

1947. **रणजितसिंह :**
श्री दुर्गाचन्द :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० एस० एल०, पोंग बांध परियोजनाओं में लगे विभिन्न श्रेणियों के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी अब तक छंटनी की जा चुकी है ;

(ख) उन कर्मचारियों को रोजगार दिलाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों का एक पूल बनाने का है जो विभिन्न राज्यों में परियोजना कार्यों को पूरा करे तथा जिसके माध्यम से ऐसे कर्मचारियों के लिये स्थायी सेवा सुनिश्चित हो सके ताकि इन कर्मचारियों के दिल में सेवा संबंधी असुरक्षा की भावना हमेशा के लिय खत्म हो जाए ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 1-11-1966 से संबंधित राज्यों की ओर से इस परियोजना के निर्माण-कार्य का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया था और बाद में 1-10-1967 से ब्यास निर्माण

बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकारों का तथा केन्द्रीय वित्त, ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व है। ब्यास परियोजना में निम्नलिखित यूनिटें हैं :—

यूनिट एक—ब्यास सतलुज लिंक

यूनिट-दो-पौंग स्थित ब्यास बांध

ब्यास पारेषण लाइनें।

(1) निर्माण की व्यस्ततम अवधि में नियुक्त किये गये कामगारों की संख्या (श्रेणिवार)

	ब्यास सतलुज लिंक	पोंग स्थित ब्यास बांध
पर्यवेक्षी	3115	1554
कुशल	13727	8224
अकुशल	19771	6178
जोड़ .	36613	15956

(2) इन परियोजनाओं पर सिविल निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने के फलस्वरूप, ब्यास परियोजना की आवश्यकताओं की दृष्टि से छंटनी किए गए कामगारों की संख्या।

पर्यवेक्षी	1847	741
कुशल	7925	4557
अकुशल	14443	3206
जोड़ .	24215	8504

ब्यास परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में कामगार ब्यास परियोजना की आवश्यकताओं की दृष्टि से फालतू हो गए थे। अतः इन फालतू कामगारों की छंटनी करना आवश्यक हो गया था। ब्यास परियोजना प्रशासन का अपना कोई संवर्ग नहीं है क्योंकि यह इसी परियोजना के लिए एक पूर्णतः अस्थायी निर्माण संगठन है और जब काम पूरा हो जाएगा तो इसका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा।

(ख) ब्यास परियोजना के पूरा हो जाने पर कामगारों को वैकल्पिक रोजगार देने की समस्या पर भारत सरकार 1974 से ध्यान दे रही है और इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) सितम्बर, 1974 में भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ मामले को उठाया था और कामगार जिन संघटकों में काम पर लगे थे, उन संघटकों के पूरा हो जाने पर जिन कामगारों की छंटनी किए जाने की संभावना थी उन्हें राज्य सरकारों में खपा लेने का अनुरोध उनसे किया था। इसके परिणामस्वरूप पंजाब तथा हरियाणा की राज्य सरकारों ने ब्यास परियोजना से छंटनी हुए कर्मचारियों के लिये सेवा में प्रवेश की आयु जैसी कुछ शर्तों में ढील दी है।

(2) वैकल्पिक रोजगार ढूंढने तथा परियोजना के फालतू कामगारों को खपाने में सहायता करने के लिए ब्यास परियोजना ने सितम्बर, 1974 में एक "प्लेसमेंट सेल" भी स्थापित किया था। बाद में इस सेल को सुदृढ़ किया गया था और इसे ब्यास परियोजना के निदेशक (पूनर्वास) की देख-रेख में रखा गया था ।

(3) अन्य राज्य सरकारों को भी अपने-अपने संगठनो में फालतू कामगारों को खपाने के लिये लिखा गया था ।

(4) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (फालतू कर्मचारी कक्ष) से भी सम्पर्क किया गया और वे इस बात पर सहमत हो गए कि जिन कर्मचारियों ने परियोजना में तीन वर्ष से अधिक की सेवा कर ली हो उनके नाम देश में कहीं भी पुनर्नियुक्ति के लिये वे रजिस्टर कर लेंगे ।

(5) जनवरी, 1976 में केन्द्रीय सरकार के विद्युत् सचिव ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सचिवों के साथ हुई एक बैठक में इस समस्या पर विचार-विमर्श किया था और उनसे अनुरोध किया था कि ब्यास परियोजना के छंटनीशुदा कर्मचारियों को वे अपने-अपने राज्यों के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने की प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और उनके द्वारा शुरू की जाने वाली नयी परि-योजनाओं में नियुक्ति के लिए इन छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दें ।

(6) दिसम्बर, 1976 में श्रम मंत्रालय ने रेल, निर्माण और आवास/नौवहन और परिवहन/इस्पात और खान मंत्रालयों में उन कुशल और अर्धकुशल कामगारों की सूची परिपत्रित की थी जिन्हें ब्यास परियोजना प्राधिकारियों द्वारा फालतू घोषित किये जाने की संभावना थी और इन मंत्रालयों से अनुरोध किया था कि वे अपने अधीन संस्थाओं परियोजनाओं को यह सलाह दे कि इस श्रम शक्ति के लिए वे अपनी-अपनी आवश्यकताएं रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय को बताएं ।

(7) ब्यास परियोजना में कार्यरत कामगारों की यूनियन ने इस प्रस्तावित छंटनी के संबंध में कतिपय मांगे की थी। पक्षों के अनुरोध पर मांगों के संबंध में समझौता करने के लिये यूनियन और ब्यास परियोजना प्रबंध के प्रतिनिधियो के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किए गए थे । काफी समय तक हुए विचार-विमर्श के बाद 28 जून, 1977 को समझौता हो गया था। (मूल रूप में समझौते की प्रति संलग्न है)

(8) जुलाई 1977 में केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, ग्राम विद्युतीकरण निगम, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, भाखड़ा-ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम केन्द्रीय जल आयोग, चुखा जल-विद्युत् परियोजना और भारत के राष्ट्रीय जल-विद्युत् शक्ति निगम से भी अनुरोध किया गया था कि इन कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया में उत्तीर्ण हो जाने पर उन्हें अपने-अपने संगठन में खपाने की संभाव्यता पर विचार करें ।

(9) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ केन्द्र सरकार ने पूनः मामला उठाया था जिसमें यह सुनिश्चित् करने के लिये उनसे कुछ विशेष उपाय करने के लिये

अनुरोध किया था कि छंटनी किए गए कामगारों को वे अपने-अपने विभागों/संगठनों में काम पर लगा लें।

(10) पंजाब सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि ब्यास परियोजना के छंटनी किए गए कामगारों में से जो भी योग्य पाए जाएं, उन्हें थीन बांध परियोजना पर वे खपा लें। इस संबंध में परियोजना प्राधिकारियों ने भी पंजाब सरकार को एक पत्र भेजा है। ब्यास परियोजना से छंटनी हुए 353 कामगारों को सलाल परियोजना में खपाया जा चुका है। इसके अलावा लोकतक, गिरिबाटा, चुखा और अन्य परियोजनाओं पर वैकल्पिक रोजगार खोज दिये गये हैं।

(11) ब्यास से छंटनी किये गये कामगारों को विदेशों में भेजने के लिए ब्यास परियोजना प्रशासन ने हाल ही में एक 'ब्यास प्रोजेक्ट वर्कर्स कोआपरेटिव सोसाइटी' बनाई है और इस सोसाइटी का पंजीकरण श्रम मंत्रालय, विदेश रोजगार कक्ष में करवा लिया है। श्रम मंत्रालय ने इस शर्त पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र दे दिया है कि विदेश में नियुक्ति कराने संबंधी जो कार्य इस सोसाइटी ने हाथ में लिया है वह ब्यास परियोजना के फालतू कर्मचारियो तक ही सीमित रहेगा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1741/78]

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे निर्माण और इंजीनियरी निगम हैं जिनमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। ब्यास परियोजना के छंटनी किये गए कर्मचारी इन संगठनों से संपर्क कर सकते हैं। जहां तक आवश्यकता होगी वहां तक ये निगम उपयुक्त व्यक्तियों को खपा सकते हैं। छंटनीशुदा कामगार, परियोजना में काम कर रहे 'प्लेसमेंट सैल' से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

बड़े औद्योगिक एककों द्वारा छोटे पैमाने के क्षेत्र को बकाया राशि का भुगतान

1948. **श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के क्षेत्र को समयपर राशि का भुगतान न करने वाले बड़े औद्योगिक एककों को भविष्य में बैंक ऋण नहीं दिया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं। वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से बड़े एककों द्वारा बिलों के भुगतान में विलम्ब किये जाने की समस्या पर सभी प्रकार से विचार करने तथा छोटे एककों की कठिनाइयों को सुलझाने के लिये नीति बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्य निषेध के लिए उचित वातावरण बनाने के लिए विशेष सैल

1949. **श्री सरत कार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य निषेध के लिए उचित वातावरण बनाने के लिए सूचना और प्रचार निदेशालय में एक विशेष सैल बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और अब तक कितनी प्रगति हुई है और मद्यपान की बुराई के विरुद्ध जनता में व्यापक जागृति उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : जबकि ऐसा कोई विशेष सैल नहीं है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मद्य निषेध को एक मुख्य अभियान विषय के रूप में अपनाया है और इसके अधीन माध्यम एकक हर संभव तरीके से मद्य निषेध पर सतत प्रेरणात्मक और शिक्षाप्रद प्रचार कर रहे हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, गीत और नाटक प्रभाग, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, फिल्म प्रभाग, आदि द्वारा नाटक, वार्ता परिचर्चा, इन्टरव्यू, फिल्में, लोक माध्यम, आदि जैसे प्रचार के सभी उपलब्ध रूपों के जरिए मद्य-पान के बुरे प्रभावों और मद्य निषेध की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जा रहा है।

Survey of Economic condition of Chhotanagpur and Santhal Pargana in Bihar

1950. **Shri R.L.P. Verma:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the original inhabitants of Chhotanagpur and Santhal Pargana in Southern parts of Bihar are living below poverty line and this region has been totally ignored in matter of planning although this is the richest region of India in mineral, water and forest resources; and

(b) whether Government propose to meet an assessment of the area after conducting a survey of economic, social, educational and commercial conditions of the original inhabitants?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) & (b) : Disaggregated data about the income levels of the original inhabitants of Chhota Nagpur and Santhal Parganas area is not available. It is not correct to say that this region has been totally ignored in the matter of Planning. A special authority named 'Chhota Nagpur and Santhal Paraganas Autonomous Development Authority' was created for formulating the development plans for this area. The role and functions of this authority have been reorganised recently in order to make it effective. In addition to outlays of the State Plan in different sectors of development, a tribal sub-plan covering 112 blocks is being implemented in this area with special Central assistance. This sub-plan specifically aims at narrowing the gap in the level of development between the tribal and other areas. The Chhota Nagpur and Santhal Parganas Autonomous Development Authority coordinates and supervises the preparation of the sub-plan for the area and its implementation and also makes assessment of the resource-endowments, the socio-economic conditions of the people and the potential of the area.

Number of Cement Factories and their Quality

1951. **Shrimati Chandravati:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the number of cement factories in the country;

(b) the extent of increase in the price of cement per bag since 1966-67 and what was the price in 1966-67;

(c) the criteria for the quality of cement;

(d) whether it is a fact that the quality of cement has gone down despite the increase in prices and whether the wages of the workers have increased in the same ratio in which the price of cement has gone up; and

(e) whether it is a fact that the orders for cement were cancelled by certain countries in 1973, 1974, 1975 and 1976 on account of its substandard quality?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) There are 55 cement factories in the country.

(b) As there was no formal price and distribution control over cement during 1966-67, information about retail prices per bag during that year is not available.

(c) & (d): The Indian Standards Institution have laid down the necessary specifications for quality of cement both in terms of its physical & chemical characteristics. Cement Quality Control Order, 1962 issued under the Essential Commodities Act, 1955 is also in force. Manufacture and sale of sub-standard quality of cement will contravene the provisions of the Cement Quality Control Order and will be liable to penal action. By and large there have been no serious complaints about the quality of cement produced in the country. The wages of the workers in the cement industry are governed by the various Wage Board Awards for the industry. The exworks price of cement manufacturing units has been fixed on the recommendations of the Tariff Commission.

(e) No contracts for cement by other countries were cancelled during the year 1973, 1974, 1975 and 1976 due to the sub-standard quality.

इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड द्वारा किर्लोस्कर के सहयोग से कम्प्यूटरों का उत्पादन

1952. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किर्लोस्कर के सहयोग से कम्प्यूटर बनाने का प्रस्ताव ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कम्पनी, इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड को लाइसेंस दिये जाने के विरुद्ध परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या आपत्तियां उठाई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) : परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, श्री एच० एन० सेठना ने, सार्वजनिक क्षेत्र के निगम, मैसर्स इलेक्ट्रॉनिकी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) के निदेशक-मण्डल के अध्यक्ष की हैसियत से, उन हानिकर प्रभावों के संबंध में अपनी चिन्ता जाहिर की है जो मैसर्स इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स इंडिया मैन्यूफैक्चर (आई० सी० आई० एम०) लिमिटेड द्वारा देश में आई० सी० एल०-2904 क्रम के कम्प्यूटरों के बनाने के प्रस्तावित कार्यक्रम से ई० सी० आई० एल० के वाणिज्यिक हितों पर पड़ेगा, साथ ही इससे देश में कम्प्यूटरों के अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रभाव पड़ेगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि ई० सी० आई० एल० के कार्यक्रमों पर कोई संभावित हानिकर प्रभाव न पड़े, सरकार ने मैसर्स आई० सी० आई० एम० को आई० सी० एल०-2904 क्रम के कम्प्यूटर के निर्माण के लिए हाल ही में जारी किए गए आशय-पत्र में यह शर्त लगाई है कि यह आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस में केवल तभी परिवर्तित किया जा सकता है जब मैसर्स आई० सी० आई० एम० अपनी विदेशी ईक्विटी (साम्यापूंजी) को घटाकर 40 प्रतिशत कर दे जैसा कि विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन

अधिनियम के अधीन दिए गए अनुमोदन के अनुसार आवश्यक है । मैसर्स आई० सी० आई० एम० को जारी किया गया आशय-पत्र आई० सी० एल० 2904 क्रम के कम्प्यूटरों की एक निश्चित संख्या अर्थात् ऐसे 100 कम्प्यूटरों के उत्पादन के लिए तथा कम्प्यूटरों के उपान्त उपस्करो (पेरिफेरल्स) के निर्माण के लिए है जिनको मेसर्स आई० सी० आई० एम० तथा भारत के अन्य अभिकरणों की आवश्यकता होगी ।

Television Centres in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan

1953. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Television Centres have not so far been set up in Madhya Pradesh and Rajasthan with the result that both the States are deprived of such useful media (except some areas covered by the telecast made through the satellite); and

(b) if so, the time by which both these States would be able to get the benefit of television media?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) and (b): The telecasts made under the Satellite Instructional Television Experiment (SITE) which covered six States in the country, including Madhya Pradesh and Rajasthan, ended on 31-7-1976. Subsequently, Government decided to provide continuity of the service in these States by setting up terrestrial TV transmitters at six Centres during the Fifth Plan and continuing the base production centres at Delhi, Hyderabad and Cuttack. Four transmitters have so far been set up under this scheme, the first one having been commissioned at Jaipur (Rajasthan) on 1-3-1977 and the second one at Raipur (Madhya Pradesh) on at Muzaffarpur (in Bihar) and Sambalpur (in Orissa) by April, 1978. A proposal at Muzaffarpur in Bihar) and Sambalpur (in Orissa) by April, 1978. A proposal to construct studios at Raipur, Muzaffarpur and Gulbarga and shift the base production studios from Delhi to Jaipur is under consideration.

गालीचों के निर्माण के लिये लाइसेंस

1954. **श्री शिवाजी पटनायक :**

श्री के० ए० राजन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने गालीचों के निर्माण के लिये बड़े-बड़े व्यापार गृहों को जारी किये गये लाइसेंसों के बारे में स्पष्टोकरण मांगा है ;

(ख) क्या उक्त स्पष्टीकरण दे दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इन लाइसेंसों को मंजूरी दी थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ङ) : इस मंत्रालय को गालीचे बनाने के लिये बड़े व्यापारिक गृहों को जारी किये गए लाइसेंसों के बारे में योजना आयोग से स्पष्टोकरण मांगे जाने के बारे में कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी योजना आयोग के एक अधिकारी ने हस्तशिल्प

के विकास आयुक्त का ध्यान बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस दिये जाने के विषय पर 2 फरवरी, 1978 को पत्र में छपी इस समाचार की ओर आकृष्ट किया है । पिछली सरकार के कार्यकाल में (1) मैसर्स भारत कारपेट्स (2) मैसर्स मोदी कारपेट्स तथा (3) मैसर्स टफ्टेड कारपेट्स एण्ड वुलेन इंडस्ट्रीज लि० को लाइसेंस जारी किये गये थे । हाथ से बने गालीचों के उत्पादन को बढ़ावा देने के औचित्य तथा इससे अधिक रोजगार मिलने की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुये भविष्य में गालीचों को मशीनों से बनाये जाने के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा ?

ससुराल वालों द्वारा स्त्रियों को परेशान किये जाने के बारे में प्रतिनिधि मंडल

1955. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्त्रियों को उनके पतियों और ससुराल वालों द्वारा परेशान किये जाने के बारे में एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में उनसे मिला था ;

(ख) क्या प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं को जलाये जाने के बहुत से मामलों पर प्रकाश डाला और इस बात पर ध्यान दिया कि उन्हें कानून द्वारा पर्याप्त संरक्षण प्राप्त नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : 20 जनवरी, 1978 को महिलाओं का एक प्रतिनिधि मण्डल गृह मंत्री से मिला तथा दहेज की सामाजिक कुरीति तथा ससुराल वालों द्वारा दुर्व्यवहार, जिसके परिणामस्वरुप कभी कभी जवान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है अथवा वे आत्महत्या कर लेती हैं, के बारे में बात की ।

(ग) प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया गया था कि हत्या अथवा हत्या करने के प्रयास के मामलें अथवा महिलाओं के दुर्व्यवहार से संबंधित किसी अन्य प्रक्षेप अपराध से उत्पन्न मामले जब पुलिस में दर्ज किये जायेंगे तो पुलिस उचित रुप से ध्यान देगी । प्रतिनिधिमण्डल को यह भी आश्वासन दिया गया था कि यदि इस संदर्भ में पुलिस की लापरवाही का कोई विशिष्ट मामला उनके ध्यान में लाया जायगा तो उसकी जांच की जाएगी ।

Full-fledged All India Radio Station at Varanasi

1956. **Shri Chandra Shekhar Singh**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether a demand has been made on behalf of the people of Varanasi for upgrading Varanasi Station of All India Radio into a full-fledged station;

(b) the time by which it will be done and the details in this regard; and

(c) whether Government propose to set up Television Centre at Varanasi in view of the fact that this place has been the Centre of civilisation and culture from time immemorial and if so, the details in this regard?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) Yes, Sir.

(b) The work on the construction of permanent studioes at Varanasi with a view to converting this auxiliary centre into a full-fledged station is likely to

start in the current year and the studioes are expected to be ready by the end of 1980.

(c) Setting up of a T.V. Relay Centre at Varanasi is being considered along with other projects for inclusion in the Draft Roll-on-Plan (1978—83). However, implementation of the scheme will depend on the approval of the Planning Commission, availability of resources and the relative priority accorded to it.

सेंसरशिप नियम

1957. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 22 फरवरी, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 347 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई नीति देते समय अश्लीलता और अशिष्टता संबंधी खोसला आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा है ;

(ख) क्या ये सिद्धान्त भारत में प्रदर्शन के लिये आयात की जाने वाली विदेशी फिल्मों पर भी लागू होंगे ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान फिल्मोत्सव 1978 में दिखाई गई कुछ फिल्मों के संबंध में ए० आई० एफ० पी० काउंसिल के श्री सुबोध मुकर्जी द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म सेंसर बोर्ड को जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धांत भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की फिल्मों पर लागू होंगे ।

(ग) जी, हां ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं हेतु धनराशि

1958. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के बजट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि का उपबन्ध किया गया था ;

(ख) उपरोक्त धनराशि में से कितनी धनराशि व्यय नहीं की गई, कितनी धनराशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं से भिन्न अन्य योजनाओं पर व्यय की गई, व्यपगत हो जाने दी गई ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) गत वर्ष (1976-77) के बजट में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कुल राशि जिसका उपबन्ध किया गया था, 71,18,19,000 रु० केवल इकहत्तर करोड़ अठ्ठारह लाख उन्नीस हजार रुपये थी ।

(ख) तथा (ग) : कोई धनराशि किसी अन्य योजना पर व्यय नहीं की गई थी । स्वैच्छिक संगठनों को कम अनुदान देने के कारण 3.70 लाख रुपये की राशि खर्च नहीं की गई ।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत नई परियोजनाएं

1959. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने कुछ नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में किन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ग) इसके लिए कितनी राशि का स्वीकृति दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) 8 राज्यों को 25 नई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 6 फरवरी, 1978 को स्वीकृत की गई थीं । फरवरी, 1978 तक 19 राज्यों को कुल 263 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की गई थीं ।

(ख) इन 25 स्कीमों में से 3 स्कीमें महाराष्ट्र की हैं जिनमें 5 वर्ष में 123 नए गांवों का विद्युतीकरण करने, 946 कृषि पम्पों का ऊर्जन करने तथा 137 लघु उद्योगों को बिजली देने और 1540 घरेलू/वाणिज्यिक कनेक्शन देने तथा गांवों में 980 स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने की परिकल्पना है । कुल मिलाकर महाराष्ट्र में पांच वर्षों में पूरी किए जाने के लिए 20 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें चल रही हैं जिनमें 563 नए गांवों का विद्युतीकरण करने, 4102 पम्पसेटों तथा 364 लघु उद्योगों को ऊर्जित करने तथा 5866 घरेलू/वाणिज्यिक कनेक्शन देने और गांवो में 4400 स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने की परिकल्पना है ।

(ग) तीन स्कीमों के लिए 88.004 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है । 1977/78 के दौरान, 20 स्कीमों के लिए निगम ने 662.45 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया है ।

आदिवासियों और जनजातियों के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय

1960. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निम्नतम श्रेणी के 10 करोड़ लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए योजना में क्या विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं ;

(ख) उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है ;

(ग) आगामी योजना में आदिवासी और जनजाति के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए योजना में क्या लक्ष्य हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगो की दशा को सुधारने के लिए अगली योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की परिकल्पना है ।

(ख) प्रति व्यक्ति आय की आय के समूहों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है ।

(ग) और (घ) : ये उप योजनाएं, जिनके अंतर्गत 230 लाख जनजातीय लोग आए हैं, अगली योजना में जारी रहेंगी । योजना पर इस समय विचार हो रहा है । एक विनिर्दिष्ट अवधि में पूर्ण रोजगार देने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप ही इन उपयोजनाओं में यह कार्यक्रम इस प्रकार

पुनर्निर्धारित किया जाएगा कि जिससे जनजातीय लोगों के परिवारों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। इसका मुख्य बल इन विषयों पर रहेगा—कृषि-सुधार, बागवानी, छोटी सिंचाई, वनोद्योग-प्रधान कार्यक्रम, भूमिहीनों के लिए कार्यक्रम, पशुपालन, ऋण और विपणन तथा शिक्षा।

बदरपुर विद्युत संयंत्र का नियन्त्रण दिल्ली नगर निगम को सौंपा जाना

1961. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर विद्युत संयंत्र का नियन्त्रण दिल्ली नगर निगम को सौंपे जाने के बारे में दिल्ली प्रशासन से उन्हें अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र एक क्षेत्रीय केन्द्र है जिसे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के साथ-साथ उत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किया गया है। हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि इस विद्युत केन्द्र को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अंतरित कर दिया जाए।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हुई हानि

1962. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को वहां पर विकसित की गई निर्माण क्षमता का उपयोग करने के लिये आवश्यकता से बहुत कम क्रयादेश मिल रहे हैं ;

(ख) 1-1-78 को वास्तविक स्थिति क्या थी ;

(ग) क्या विविधीकरण कार्यक्रम को पूरा कर लिया गया है और वहां पर उनके अधीन उत्पादन कार्य शुरू हो गया है और नई वस्तुओं के लिये कितनी मांग उत्पन्न की गई है ; और

(घ) निर्यात के लिये किये गये प्रयास किस सीमा तक सफल रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) 1978-79 उत्पादन के कार्यक्रम में एच० ई० सी० के पास जो क्रयादेश है तथा निकट भविष्य में प्राप्त होने वाले क्रयादेश पर्याप्त है। पहले से विकसित उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए आगामी वर्षों में एच० ई० सी० को अतिरिक्त क्रयादेशों की आवश्यकता होगी। देश के साथ-साथ विदेशी बाजारों से अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिए मुनासिब कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) 1 जनवरी, 1978 को एच० ई० सी० के पास लगभग 206 करोड रुपये के मूल्य के क्रयादेश थे।

(ग) एक इंजीनियरिंग एकक में निरन्तर विविधीकरण प्रक्रिया उपकरणों की बाजार मांग पर निर्भर है। एच० ई० सी० ने हाल ही में जिन मुख्य क्षेत्रों में विविधीकरण किया है वे हैं—खनन उपकरण का निर्माण, सामान उठाने-रखने के उपकरण, सीमेंट संयंत्र उपकरण, चीनी संयंत्र उपकरण तथा स्पोंज आयरन बनाने के उपकरण निर्मित करना। 14 माइन वाइंडर तथा 7.84 करोड़

रुपये मूल्य के सामान उठाने-रखने के उपकरण के क्रयादेश प्राप्त हो चुके हैं तथा कार्यान्वित किये जा रहे हैं, युक्तिसंगत सहयोग करार पर अंतिम रूप से निर्णय हो जाने के पश्चात्, एच० ई० सी० को अन्य उपकरणों के क्रयादेश प्राप्त होने की आशा है ।

(घ) लगभग 30 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों के निर्यात के क्रयादेश प्राप्त हुये हैं ।

तापीय संयंत्रों के निर्माण संबंधी विशेषज्ञ पेनल की सिफारिशें

1963. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तापीय संयंत्रों के अधिक तेजी से निर्माण के संबंध में मंत्रिमण्डल की उपसमिति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पेनल ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उन्हें कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :(क) और (ख) : विद्युत विकास कार्यक्रम का निष्पादन करने के लिए वर्तमान निर्माण अभिकरणों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए और ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता लाने के लिए सुझाव देने के निमित्त सरकार द्वारा गठित समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

Power Shortage in Industries

1964. **Shri Birendra Prasad:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether both big and small industries are unable to utilize their full capacity due to power shortage and the percentage by which production has fallen on this account; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to meet the power shortage?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) In as much as the industry sector accounts for about 60% share in the total consumption of electrical energy, power cuts other than of marginal percentage have an impact on industrial production, particularly in the case of continuous process industries such as aluminium, caustic soda, calcium carbide, graphite electrodes etc., which are also power intensive in terms of their process. However, it is difficult to identify the loss in industrial production/under-utilization of capacity due to power shortage alone as other factors like lack of finance, slackness in demand, labour disputes, availability of inputs etc. also affect the industrial production.

(b) (i) About 2000 MW are expected to be commissioned this year upto March, 1978. For the year 1978-79, a target of 3662 MW of capacity has been fixed consisting of 2655 MW of thermal and 1007 MW of hydro capacity. Further, steps are also being taken to improve the performance of the existing thermal power stations.

(ii) Since some of the industries can make up their shortage of electrical energy by generating their own energy from the process operations in what is known as the 'Total Energy Concept', it has recently been decided that in future, whenever a letter of intent/industrial licence is issued in respect of an

industry where either process steam will be required or waste heat will be available; a condition should be imposed that the entrepreneur will install captive power generation capacity of the appropriate size subject to applicable electricity regulations. This would be particularly valid in the case of continuous process industries which use stream and power.

(iii) In order to alleviate the problem created by unforeseen cuts of power supply and to ensure that interruption in production as a result of such power cuts are minised to the extent possible, it has been decided to extend the facility for import of stand-by diesel generating sets to actual users who may require such stand-by power supply to sustain their production effort. Keeping this in view import of diesel generating sets is permitted for sizes above 625 KVA without following the advertisement procedure.

मंत्रि-परिषद के सदस्यों के लिए आचरण-संहिता

1965. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रि-परिषद के सदस्यों के लिए कोई आचरण-संहिता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) : मंत्रियों के लिए एक आचरण संहिता है । संहिता की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । **(ग्रंथालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी० 1742/78)**

Improvement in Transport System in Bihar

1966. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Government of Bihar have submitted a scheme to the Central Government to bring about improvement in transport system in the State during 1977-78 and 1978-79 and asked for more amount for the purpose; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) No such scheme has been received by this Ministry.

(b) Does not arise.

प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण

1967. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के प्रथम श्रेणी की निम्नतम सेवाओं में उन रिक्त स्थानों के लिए जो पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया है ;

(ख) क्या जैसा कि तीसरी श्रेणी के भीतर श्रेणी चार से श्रेणी तीन और श्रेणी तीन से श्रेणी दो की सेवाओं में पदोन्नति के मामले में व्यवस्था है, प्रथम श्रेणी की न्यूनतम सेवाओं में आरक्षित

पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक रूप से विचरा करने की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार प्रथम श्रेणी की सेवा के मामले में भी श्रणी चार, तीन और दो की सेवाओं के लिए आरक्षित रिक्त स्थानो के लिए अपनाई जा रही नीति के समान पृथक रूप से विचार करने की व्यवस्था करने के बारे में निदेश जारी करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत ।

(ख) तथा (ग) : समूह 'ग' (श्रेणी III) से समूह 'ख' (श्रेणी II) में समूह 'ख' (श्रेणी II) के भीतर तथा समूह 'ख' (श्रेणी II) से समूह 'क' (श्रेणी I) की निम्नतम सीढ़ी (रंग) में चयन के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए विचार किए जाने की कोई पृथक व्यवस्था नहीं है । केवल समूह 'घ' तथा समूह 'ग' पदों/सेवाओं में चयन के आधार पर पदोन्नति के संबंध में विचार किए जाने के लिए पृथक व्यवस्था की गई है । समूह 'ग' से समूह 'ख' में और समूह 'क' की निम्नतम सीढ़ी में चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जन जातियो के लिए ऐसा कोई पृथक रूप से विचार का क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि इन उच्चतर स्तरो पर एक ओर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के दावों और दूसरी ओर प्रशासन की कार्य कुशलता तथा वरिष्ठ योग्य व्यक्तियो के मनोबल के परि-रक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की बहुत अधिक आवश्वकता का अनुभव किया जाता है । इस स्थिति में कोई परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

सभी सेवाओ/पदों में, अर्थात् समूह 'घ', 'ग', 'ख' तथा 'क' (श्रेणियां IV, III, II, तथा I) में अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जन जातियो के लिए वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियो में क्रमशः 15 प्रतिशत तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक आरक्षण उपलब्ध है । इन पदो-न्नतियो में इस प्रकार का कोई विचार करने का क्षेत्र नहीं है, किन्तु उनको सापेक्ष वरिष्ठता पर ध्यान दिए बिना, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नत किया जाएगा, बशर्ते कि वे पद के लिए निर्धारित भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार पात्र हो और यदि वे उसके उपयुक्त पाए जाएं ।

रामगंदम सुपर तापीय विद्युत् संयंत्र का निर्माण

1968. **श्री जो० एस० रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगंदम सुपर तापीय विद्युत संयंत्र का निर्माण-कार्य कब शुरू होगा ;

(ख) इसके पूरा करने की समय-सूची क्या है ; और

(ग) इसके द्वारा उत्पादित की गई बिजली का कितना हिस्सा आन्ध्र प्रदेश को दिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : प्रथम चरण में 1100 मेगावाट की प्रतिष्ठापना वाले रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत संयंत्र के लिए सरकार ने अभी हाल ही में अनुमोदन प्रदान कर दिया है । इस चरण में 200-200 मेगावाट वाले तीन यूनिट और 500 मेगावाट का एक

यूनिट होगा । 200 मेगावाट के प्रथम उत्पादन यूनिट को 1982-83 में चालू करने का तथा उसके बाद के 200-200 मेगावाट के यूनिटो को छः-छः महोने के अन्तराल से चालू करने का कार्यक्रम है । 500 मेगावाट का यूनिट 1984-85 में चालू करने का कार्यक्रम है ।

(ग) रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केंद्र एक क्षेत्रीय केंद्र होगा और इससे होने वाले लाभों का आबंटन दक्षिणी क्षेत्र के राज्यो और संघ शासित क्षेत्रों में किया जाएगा । आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस केंद्र से विद्युत के आवंटन के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है ।

मिग-21 को दूर तक भार करने वाले विमानों में परिवर्तित किया जाना

1969. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग-21 को दूर तक भार करने वाले विमान में परिवर्तित करने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यासों के क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां ।

(ख) डीप पेनीट्रेशन विमानों से जिन कार्यों की अपेक्षा की जाती है, उन कार्यों को करने के लिए मिग विमानो में किंचित परिवर्तन करना संभव नहीं है ।

कलकत्ता के गार्डन रीच यार्ड में एक बल्क केरियर चलाये जाते समय हुई दुर्घटना

1970. **श्री के० मालन्ना** :
श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7-2-1978 को दक्षिण-पश्चिम कलकत्ता के गार्डन रीच में इसके यार्ड में एक बल्कि कैरियर चलाये जाने के समय एक दुर्घटना में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड का एक सहायक पर्यवेक्षक मारा गया था तथा तीन अन्य श्रमिक घायल हुये थे और इनमें से एक श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दुर्घटना का शिकार हुये व्यक्तियों को मुआवजा देने और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : बल्क केरियर जलावतरण के बाद जब उसे गोदी से चलाया जा रहा था तो उस समय एक सहायक पर्यवेक्षक और तीन कर्मचारी लंगर-स्थल के रस्सो वाले खतरनाक इलाके में भटक गए और नायलान के रस्से के अचानक कशाघात के कारण उन्हें चोट लग गई । गोदी को डिस्पेंसरी में घायलों की तत्काल उपचार किया गया और फिर उन्हें अस्पताल में भज दिया गया । इनमें सहायक पर्यवेक्षक को रास्ते में मृत्यु हो गई । घायल कर्मचारियों में से दो को, अस्पताल में प्रथम उपचार के बाद उसी दिन छुट्टी दे दी गई । तीसरे कर्मचारी का अस्पताल में उपचार किया गया और अब वह ठीक हालत में ड्यूटी पर आ गया है ।

(ग) कम्पनी ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार दुर्घटना के शिकार इन कर्मचारियों को मुआवजा देने की कार्यवाही की है। अन्येष्टि तथा अन्य खर्चों का वहन कम्पनी ने किया है।

राज्य सरकार के कारखाना निदेशालय ने इस मामल में कानूनी तौर पर जांच शुरू कर दी है और इस की रिपोर्ट वे शीघ्र ही प्रस्तुत करने वाले हैं। इस बीच, कम्पनी ने लंगर-स्थल के रस्सों वाले खतरनाक इलाके में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए, पर्याप्त सुरक्षा उपाय के रूप में, इस इलाके में तार लगाने का फैसला किया है।

राज्यों में कोयले की मांग और उसकी सप्लाई

1971. **डा० सुब्रहमण्यम स्वामी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976, 1977 और 1978 (अनुमानित) के दौरान अखिल भारतीय आधार पर कोयले की मांग और उसके उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त वर्षों के लिए विभिन्न राज्यों के लिए कोयल की मांग की तुलना में कोयले की वास्तविक सप्लाई सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : कोयले की मांग, उत्पादन और सप्लाई के वर्ष 1976-77 के वास्तविक आंकड़े तथा वर्ष 1977-78 और 1978-79 के अनुमानित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(मिलियन टनों में)

वर्ष	मांग	उत्पादन	सप्लाई
1976-77 . .	103.37	101.04	98.4
1977-78 (अनुमानित) .	105.00	101.00	*103.0 (प्रत्याशित)
1978-79 (प्रत्याशित) .	112.00	113.5	112.00

*उत्पादन और मांग के बीच की कमी, आशा है कि स्टाक से पूरी कर दी जाएगी।

उक्त आंकड़ों में देश के सभी राज्यों की वास्तविक और अनुमानित मांगें तथा की गई सप्लाई शामिल हैं।

किस्म नियंत्रण और लागत मूल्य संबंध

1972. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपने एक निर्णय में किस्म नियंत्रण और लागत मूल्य संबंधी के मामले में उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए उद्योग में औम्बुइसमैन संस्था बनाने के लिए दिए गए सुझाव पर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार किस्म नियंत्रण और मूल्य लागत संबंध के मामले में उपभोक्ता के हित की रक्षा करने के लिए उद्योग में आम्बडसमेन संस्थान को प्रस्ताव को व्यवहारिक नहीं समझती है । इस उद्देश्य के लिए तंत्र (औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो, एकाधिकारी और प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग भारत मानक संस्था आदि) पहल से ही आस्तित्व में हैं । देश में उपभोक्ता आन्दोलन को बृहत आधार पर प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे कि उपभोक्ता के अधिकारों के लिए आग्रह किया जा सके और इस संबंध में विद्यमान कानूनी उपबन्धों को भी उपयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों का विद्युतीकरण

1973. **श्री जगन्नाथ शर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रो में कितने गांव हैं जिनमें अभी तक विद्युतीकरण किया जाना है;

(ख) इन गांवो के विद्युतीकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या निकट भविष्य में प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कोई प्रयास किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धो ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य के पर्वतीय क्षेत्रो में कुल 15,010 गांव हैं । इनमें से, 2,501 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं । उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रो में जिन गांवो का अभी विद्युतीकरण किया जाना है उनकी संख्या 12,509 है ।

(ख) निधियों की कमी तथा पहाड़ी क्षेत्रो में ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं का अलाभकारी होना, इन क्षेत्रों में धीमी प्रगति के मुख्य कारण हैं । इन क्षेत्रों में भार क्षमता और भार वृद्धि भी पर्याप्त नहीं है ।

(ग) और (घ) : पिछड़े क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । आगामी वर्षो के लिए ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

मंत्रालयों में सचिवों, अतिरिक्त/संयुक्त सचिवों की संख्या

1974. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में, जिनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय और रेलवे बोर्ड, डाक-तार, सीमा-शुल्क और आयकर विभाग शामिल नहीं हैं, सचिवो, अतिरिक्त सचिवों और संयक्त सचिवों के क्रमश: कितने-कितने पद हैं ;

(ख) उनमें से कितने पद भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा और कितने पद अन्य सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं और इन सेवाओं के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता कितनी है ;

(ग) क्या मंत्रालयों में उच्च पदों के लिए अन्य सेवाओ का प्रतिनिधित्व अब बढ़ाने का प्रस्ताव है ; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) क्या नियुक्ति के मामले में कम सेवावधि वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियो की तुलना में अधिमान दिया जाता है और यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (घ) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

(ग) और (घ) : केन्द्र में उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के कार्य-अवधि पद किसी सेवा विशेष के अधिकारियों के लिए आरक्षित नहीं होते हैं । ऐसे पदो को, प्रत्येक पद को विशिष्ट अपेक्षाओं और केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए प्रस्ताव पर, अधिकारियो को योग्यताओ तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय सेवाओ और अन्य संगठित केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं के उपलब्ध अधिकारियो में से, उनकी उपयुक्तता के आधार पर भरा जाता है । ऐसे कार्य-अवधि पदों पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए सेवा की एक जैसी अवधि अपनाई जाती है ।

विवरण

दिल्ली में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयो/विभागो (सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और रेलवे, डाक व तार, सीमा शुल्क तथा आयकर को छोड़कर) में सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर कार्य कर रहे भारतीय प्रशासन सेवा तथा अन्य सेवाओं के अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण 3-3-1978 को

क्र० सं०	सेवा	सचिव (पदेन सचिव सहित)	दिल्ली में निम्नलिखित पदों पर सेवा कर रहे अधिकारियो की संख्या		जोड़ (कालम 3 से 5 तक)	प्रतिनिधित्व का प्रतिशत
			अपर सचिव (पदेन अपर सचिव सहित)	संयुक्त सचिव (पदेन संयुक्त सचिव सहित)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	भारतीय प्रशासन सेवा .	28	24	110	162	57.9
2	अन्य सेवाएं*	20	17	81	118	42.1
	जोड़	48	41	191	280	100.0

*इनमें केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरो सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सीमान्त क्षेत्र प्रशासन सेवा, औद्योगिक प्रबन्ध पूल, इंडियन आर्डनेन्स फैक्ट्री सर्विस, भारतीय पूर्ति सेवा, केन्द्रीय विधि सेवा/केन्द्रीय कम्पनी कानून सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय लेखा सेवा, परीक्षा तथा लेखा सेवा/भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय रेल सेवाएं (आई० आर० ए० एस०, आई० आर० टी० एस०, आदि आदि,) शामिल हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियां

1975. **डा० भगवानदास राठोर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी, 1978 तक की अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को भागो (रूट्स) पर बसें चलाने के लिए बस लाइसेंस देने के संबंध में मंत्रालय और केन्द्रीय सरकार के अधीन राज्य के प्रशासन द्वारा घोषित लक्ष्यों को कहा तक पूरा किया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने भी इस निर्णय को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियो से संबंधित उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिनको बस लाइसेंस दिए गए ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) ट्रकों के लिए परमिट देने के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था तब की जा सकती है जब मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाए। इसके लिए और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिये अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक संसद के चालू सत्र में पुरःस्थापित करने की संभावना है। इस समय इस मामले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सांविधिक कोटा अथवा आरक्षण नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० और आई० पी० एस० के लिये एक ही राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा आयोजित करना

1976. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० और आई० पी० एस० के लिए एक ही राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा के विचार का समर्थन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने सेवा सम्बन्धों मामलों को निपटाने के लिए यू० पी० एस० सी० को अपीलीय प्राधिकार देने के लिए कहा है ; और

(ग) सरकार द्वारा यदि इन विचारों पर कोई विचार किया गया है तो वह क्या है और यदि उन पर कोई निर्णय किया गया है अथवा किये जाने का विचार है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने सरकार (अर्ध-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों सहित) के अधीन कनिष्ठ श्रेणी I तथा श्रेणी-II स्तरों (अब समूह 'क' तथा 'ख') पर सीधी भर्ती के सभी पदों के लिए राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा को एक सामान्य योजना का सुझाव दिया है ।

(ख) जी हाँ, श्रीमन् ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

Secretary of Ministry detained by Police

1977. **Shri Roop Nath Singh Yadav :**
Shri S. R. Damani :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Secretary of the Ministry of Tourism and Civil Aviation was detained for more than two hours in Shriniwaspuri Police Station in Delhi on the 21st January, 1978 ;

(b) whether a police officer has been suspended without conducting an enquiry into the incident; and

(c) the action being taken to check incidents of vagrancy in Delhi so that police could function effectively?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) & (b) : According to the information available with us, on the night between 29-30/1/78, at about 0045 hrs. Shri Naik while travelling in a car stopped at the Ashram Chowk to wait for his family which was coming in another car. An ASI of the Delhi Police who was in charge of the Police Post established near this site accosted him and later directed him to go to the Police Station along with him. The matter was brought to the notice of the higher authorities and a departmental enquiry has been ordered against the ASI. Meantime, the ASI was placed under suspension as preliminary enquiries established certain lapses on his part.

(c) Delhi Police is taking action under Bombay Police Act and preventive sections of Cr. P. C. to check incidents of vagrancy.

Action on Report of Shah Commission

1978. **Shri Mritunjay Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Shah Commission set up to enquire into the excesses committed during emergency would submit to Government piecemeal reports on completion of enquiry on each charge or would submit a consolidated report on the completion of enquiry into all the charges;

(b) if piecemeal reports are likely to be received, the charges on which first report would be received indicating the time by which such a report would be received ; and

(c) whether Government would wait for the report of Shah Commission or would start taking preliminary departmental action and/or action under Indian Penal Code even before the report of Shah Commission is received?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a), (b) & (c) : The Shah Commission have indicated that they may submit an interim report and that no decision has been taken as to when and on what terms of reference, the interim report will be submitted. The term of the Commission is till 30-6-1978. The Government will await its report.

भारत में क्राकरी एकक

1979. **डा० बापू कालदाते** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में क्राकरी एककों की संख्या, उनके नाम, उनकी स्थापना का स्थान, उत्पादन-क्षमता और निर्यात की मात्रा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान पंजीकरण के लिए जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या नए एककों की स्थापना के लिए अथवा निर्यात के लिए कोई पूर्व अनुमति आवश्यक होती है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) देश में क्राकरी बड़े क्षेत्र/संगठित क्षेत्र तथा लघु क्षेत्र में बनाई जाती है । बड़े क्षेत्र/संगठित क्षेत्र के क्राकरी एककों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है: —

एकक का नाम	वार्षिक उत्पादन क्षमता (मी० टनों में)	एककों द्वारा किया गया निर्यात (मूल्य में)
1. गवर्नमेंट सिरमिक फैक्टरी, गुडूर (आन्ध्र प्रदेश) .	50	नगण्य
2. परशुराम पाटरी वर्क्स कं० लि०, थानगढ़, गुजरात .	1,440	नगण्य
3. डेलाइट सिरेमिक्स राजकोट, गुजरात . .	3,600	नगण्य
4. हितकारी पाटरीज (प्रा०) लि०, फरीदाबाद (हरियाणा)	4,800	42,000/-रुपए 1975-76 में
5. काश्मीर सिरेमिक्स लि०, कटुआ (जम्मू एवं काश्मीर) .	996	नगण्य
6. स्टेंडर्ड पाटरी वर्क्स लि०, आलवे, केरल . .	150	नगण्य
7. केरल सिरेमिक्स लि०, कुन्दरा, केरल . .	450	—वही—
8. नवभारत पाटरीज लि०, बम्बई . . .	2,700	80,900 रुपए 1976-77 में
9. सेंट्रल पाटरीज लि०, नागपुर . . .	820	नगण्य
10. यू० पी० सिरेमिक्स लि०, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश .	3,600	—वही—
11. बंगाल पाटरीज लि०, कलकत्ता . . .	11,840	55,700 रुपए 1975-76 में
12. एलाइड सिरेमिक्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता . .	600	नगण्य
13. नालन्दा सिरिमिक्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, रांची . .	3,000	—वही—
योग .	34,046	

वर्ष 1972 के दौरान हुई लघु उद्योगों की गणना के अनुसार 148 एकक लघु क्षेत्र में क्राकरी का उत्पादन करने में लगे हुए थे । वर्ष 1972 में उनका उत्पादन 2.29 करोड़ रु० का हुआ । लघु एककों ने क्राकरी का कोई निर्यात नहीं किया ।

(ख)

एकक का नाम	किस वर्ष में एकक की संगठित क्षेत्र में लाइससीकृत/ रजिस्टर्ड किया गया	एकक का स्थान	लाइसेंस प्राप्त रजिस्टर्ड वार्षिक क्षमता
1. डा० पी० आर० गुलाटी, फरीदाबाद (हरियाणा)	1977 (लाइसेंसीकृत)	अलवर (राजस्थान)	200 टन
2. हितकारी पॉटरीज प्रा० लि०, फरीदाबाद (हरियाणा)	1975 (रजिस्टर्ड)	फरीदाबाद (हरियाणा)	2,400 टन (अतिरिक्त)
3. यू० पी० सिरेमिक्स लि०, गाजियाबाद (उ० प्र०)	1976 (रजिस्टर्ड)	गाजियाबाद (उ० प्र०)	2,400 टन (अतिरिक्त)
4. गुजरात सिरेमिक्स प्रा० लि०, भावनगर, गुजरात	1977 (रजिस्टर्ड)	लिम्बदी, जिला-सुरेन्द्रनगर (गुजरात)	600 टन
5. डेल्टा पॉटरीज लि०, गुड़गांव (हरियाणा)	1977 (रजिस्टर्ड)	गुड़गाव (हरियाणा)	1,800 टन
6. श्री सी० रामकृष्ण, नई दिल्ली .	1977	जिला-खम्मान (आन्ध्र प्रदेश)	1,690 टन

(ग) क्राकरी के निर्यात के लिए पूर्व-अनुमति की आवश्यकता नहीं है । नए एककों की स्थापना के लिए स्वीकृतियां, जहां पूक्त होती हैं, औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रविधियों के अनुसार दी जाती हैं ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 को बिहार में सहरसा से जोड़ना

1980. **श्री बी० पी० मण्डल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में कोसी डिवीजन के मुख्यालय को सहरसा से राजपथ संख्या 31 द्वारा जोड़ने की मांग दीर्घावधि से चली आ रही है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि संख्या 31 पर पसराह और सहरसा को जोड़ने वाली 18 मील लम्बी सड़क से पटना और अन्य स्थानों से सहरसा पहुंचने में 100 मील से अधिक दूरी कम हो जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के सामरिक और वाणिज्यिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उनका विचार राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 को डिवीजनल मुख्यालय के साथ जोड़ने में राज्य सरकार से सहयोग करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) : प्रस्तावित सड़क राज्य सड़क होगी और इसलिए राज्य सरकार मामले से संबंधित होगी । इस सड़क की कोई मांग सामरिक महत्व के आधार पर अथवा क्षेत्र के आर्थिक महत्व के आधार पर भारत सरकार को नहीं बताई गई है ।

खुर्जा, उत्तर प्रदेश के पौटरी एककों में काम करने वाले कर्मचारी

1981. **श्री मोहनलाल पिपिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खुर्जा में विभिन्न पौटरी एककों में कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं और उन्हें आवास, बच्चों के स्कूलों आदि के बारे में दी जा रही सुविधाओं का स्वरूप क्या है ; और

(ख) क्या कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार खुर्जा में विभिन्न पौटरी एककों में लगभग 10,000 कारीगर सेवा नियोजित हैं । चूंकि कारीगर खुर्जा के आसपास के गांवों के रहने वाले हैं, इसलिये उनके आवास अथवा बच्चों के लिए किसी स्कूल की व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ख) छठी योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ।

Inclusion of Certain Castes in Scheduled Castes in Bihar

1982. **Shri Surendra Jha Summan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a caste, by the name of Khalbe (Tanti) in North Bihar which is considered socially untouchable and which is economically, educationally and politically very backward, has not been included in the list of Scheduled Castes ;

(b) whether in the report of the Commission on Backward Classes submitted to Government, castes such as Khalbe, Tanti, Tatwan, Pan and Chopal have been stated as sub-castes (different branches) of a main caste and even then only Pan and Chopal sub-castes have been included in the list of Scheduled Castes and the rest have not been included therein and hence deprived of the facilities admissible to them ;

(c) whether in 1968, the Bihar Government had also recommended their inclusion in the list for scheduled castes ; and

(d) if so, the time by which action is proposed to be taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) No community by the name of Khalbe (Tanti) has been included in the list of Scheduled Castes for the Bihar State.

(b) & (c) : At present 'Chaupal' and 'Pan, Sawasi' communities are specified as Scheduled Castes for the whole of Bihar State. The Backward Classes Commission set up by the Government of India in 1953 had proposed the inclusion of 'Tanti, Tatwa', 'Tanta Patwa' and 'Tanti Pan' in the list of Scheduled Castes for the Bihar State. The Government of Bihar were of the opinion that Tantis were not suffering from the stigma of untouchability and there was no

justification for including them in the list of Scheduled Castes. Subsequently in 1968, the Joint Committee of Parliament on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill 1967 also examined the matter and recommended that Tanti and Tantwe may be added as synonyms/sub-castes of 'Pan Sawasi' Scheduled Caste.

(d) The above recommendation of the Joint Committee will be taken into consideration when the Government of India would undertake a legislation for the comprehensive revision of the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

कोका कोला और आई० बी० एम० कम्पनियों के समापन का आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

1983. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला और आई० बी० एम० कम्पनियों के समापन का रोजगार तथा आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) अन्तर को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) ऐसे विदेशी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए, जो इस देश के आर्थिक विकास के विचार से हो, समुचित रूप से स्थायी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस उपाय करने का विचार है अथवा सोचे जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) कोका-कोला और आई० बी० एम० कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादन कार्य को प्रावस्थाबद्ध रूप में समाप्त करने के फलस्वरूप आर्थिक या रोजगार स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है ।

(ख) जहां तक कोका-कोला का संबंध है, सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम मैसर्स मार्डन बेकरीज इण्डिया लिमिटेड ने कोका-कोला के स्थान पर "77" नामक एक पेय बाजार में भेजना शुरू कर दिया है । विद्यमान सिद्धांतों के अनुसार सामान्य रूप से "77" बनाने का अधिकार केवल उन्हीं एकको को दिए गए हैं जो देश में पहले कोका-कोला व फेन्टा की बोतलें भर रहे थे ।

जहाँ तक आई० बी० एम० का संबंध है, केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ उपयोगकर्ता स्वयं उनकी (आई० बी० एम० की) पद्धति को बरकरार रखना चाहें, आशा है कि कम्प्यूटर मैनटनेंस कारपोरेशन (सी० एम० सी०) देश में लगभग 1000 आई० बी० एम० संगणकों (कम्प्यूटरों) क्यूनिट रिकार्ड मशीनों की कारगर ढंग से देखरेख संबंधी सेवाएँ प्रदान कर सकेगी । देश में संगणक निर्माण की बढ़ती हुई क्षमता की आवश्यकता की अधिकांश पूर्ति पहले से ही सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटड के उत्पादन-कार्यक्रम के द्वारा की जा रही है । इसकी कुछ और मांग की पूर्ति वर्ष 1978-79 में शुरू होने वाले छोटे-संगणक उद्योग से की जाएगी तथा शष आवश्यकता की पूर्ति प्राप्त होने विश्व-व्यापी निविदाएँ प्राप्त होने के कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े आकार की मशीनों के चयनात्मक आयात के द्वारा की जाती रहेगी ।

(ग) विदेशी विनियोग की अनुमति केवल सूक्ष्म और उच्च प्राथमिकता वाले, निर्यातोन्मुख उद्यमों तथा उन अन्य क्षेत्रों में दी जाती है । जिनमें इन्हें जरूरी समझा जाता है और जो राष्ट्रीय हित में होता है ।

रक्षा निर्माण एकक

1984. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा निर्माण एकक इस समय कम संख्या में श्रमिकों के साथ काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या हाल में आयुध कारखानों में छंटनी की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दूरदर्शन कार्यक्रमों के स्तर में गिरावट

1985. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दिल्ली में दूरदर्शन कार्यक्रमों का स्तर तेजी से गिर रहा है ; और

(ख) इसके स्तर को सुधारने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) और (ख) : सरकार को यह पता है कि दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से टेलीकास्ट किये जा रहे कार्यक्रमों के स्तरों में सुधार की गुंजाइश है । कार्यक्रमों में अच्छे स्तरों को बनाये रखने के लिए ही नहीं, अपितु उनमें सुधार करने के लिए भी सतत प्रयास किये जा रहे हैं । 'खबरें बोलती हैं" तथा 'दिल्ली और आसपास' जैसे कुछ कार्यक्रम जो अपेक्षित स्तर के नहीं थे, बन्द कर दिये गए हैं । "साइंस क्विज" तथा "क्विज फार रूरल आडियंसिस" जैसे नए कार्यक्रम चालू किये गय हैं । विशेष रूप से नाटक तैयार करने की योजना में दूरदर्शन कार्यक्रमों में व्यावसायिक तथा शौकिया नाटक कलाकारों को शामिल किया जा रहा है ।

रुग्ण औद्योगिक एककों के लिए करों में रियायतें

1986. **श्री जी० एम० बनतवाला** :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रुग्ण औद्योगिक एककों का एकीकरण करने और उन्हें करों में रियायतें देने के प्रस्तावों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) उक्त समिति के निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी हैं ; और

(घ) समिति को कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ख) : रुग्ण औद्योगिक एककों का सुस्थिति वाले एककों के साथ विलय करने के लिये सुकर बनाने के लिए वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1977 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में एक नई धारा 72-क जोड़ी गई है और विलय के कतिपय मामलों में

अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता तथा संचित व्यापार हानि को आगे ले जाने और उसे हटाने सम्बन्धी उस अधिनियम के निर्धारित उपबन्धों में छूट दी गई है । नई धारा 72-क की उपधारा (1) में व्यवस्था है कि जहां एक औद्योगिक उपक्रम वाली कम्पनी का अन्य कम्पनी के साथ विलय का मामला हो और केन्द्रीय सरकार, विशेष प्राधिकरण की सिफारिशों पर सहमत हो कि इस सम्बन्ध में निर्धारित कतिपय शर्तें पूरी हो गई हैं तथा केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम के अन्य किन्हीं उपबन्धों में कुछ निहित होने पर भी उस संबंध में घोषणा कर सकती है कि विलय होने वाली कम्पनी की संचित हानि तथा अनवशोषित मूल्यह्रास को यथा प्रकरण या विलय होने वाली कम्पनी के गत वर्ष के मूल्यह्रास भत्ते को जिस वर्ष कि विलय हुआ है हानि माना जाएगा तथा हानि और मूल्यह्रास भत्ता को अग्रेमीत करने या हटाने के बारे में निर्धारित आयकर अधिनियम के अन्य उपबन्ध तदनुरूप प्रवृत्त होंगे ।

आयकर सम्बन्धी रियायतें प्राप्त करने की अर्हता की शर्तों के मार्गदर्शी सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बना लिए गए हैं । केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72-क के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति "विशेष प्राधिकरण" के रूप में घोषित की गई है :—

अध्यक्ष

1. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ।

सदस्य

2. सचिव, कम्पनी कार्य विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ।
3. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ।
4. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ।
5. अध्यक्ष, प्रत्यक्षकर केन्द्रीय बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ।

विलय में रुचि रखने वाली कम्पनियों के विलय के लिए प्राप्त आवेदनों की "विशेष प्राधिकरण" जांच करेगा और यह तय करेगा कि उपरिलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संदर्भ में अन्य बातों के साथ साथ विलय जन हित में है अथवा नहीं तथा अलग अलग मामले के आधार पर केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगा । "विशेष प्राधिकरण" द्वारा सरकार को विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जायेगी । "विशेष प्राधिकरण" विलय आवेदनों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने की कोशिश करेगा ।

Pension to Employees Working on Contract

1987. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government intend to give pension to those employees who have rendered Government service for more than 25 years continuously;

(b) if so, the reasons for not giving pension to those officers who work on contract upto the age of 58 years in All India Radio;

(c) whether Government propose to make any change in the policy of the previous Government to enable such persons to get pension; if so, when; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a), (c) and (d): Pension is admissible to those Government servants who at the time of retirement under the rules, hold a permanent post in a substantive capacity and have rendered not less than 10 years qualifying service. Temporary Government employees and contract employees are not eligible for pension. Temporary employees receive terminal gratuity in terms of the Central Civil Services (Temporary service) Rules 1965, as amended from time to time and contract employees receive the benefits indicated against part (b) of the Question. There is no proposal under consideration to change this position.

(b) Contract employees are not eligible for Pension. They are entitled to Contributory Provident Fund benefits. Gratuity is also admissible where specifically agreed under the terms of contract. In the case of All India Radio Staff Artists, gratuity has also been allowed in addition to the Contributory Provident Fund benefits under certain conditions.

रवीन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली में उपकरण

1988. **श्री भगतराम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रवीन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली में विदेश से आयात किये गये ध्वनि और विद्युत उपकरण में जंग लग रहा है और उसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके उचित रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) रवीन्द्र रंगशाला में आयातित उपकरणों सहित ध्वनि और विद्युत उपकरणों का उपयोग रंगशाला में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है । तथापि, रंगशाला के बहुत ही कम उपयोग के कारण उपकरणों का सर्वोत्तम उपयोग करना संभव नहीं हुआ है ।

(ख) व्यय में किफायत करने की दृष्टि से उपकरणों के अनुरक्षण का कार्य आकाशवाणी के सिविल निर्माण स्कन्ध द्वारा किया जा रहा है ।

Tender for retreading the tyres of vehicles of the Ministry of Defence

1989. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the names of firms which had submitted their tenders for retreading the tyres of vehicles of the Ministry of Defence and Ordnance Depots in response to tenders invited by F.O.D.—I, Udhampur during the last three years, year-wise;

(b) the names of the parties from whom tenders were invited and whether it is a fact that most of these firms were from Delhi and if so, whether it is a fact that their tenders were identical and how many parties had quoted lower rate in their tenders than those of parties from Delhi and what are the names of such parties ; and

(c) whether any educated unemployed and Harijan had also submitted the tenders, who were working in Jammu area and if so, how much work has been entrusted to that party ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Under the existing procedure, inviting of tenders for retreading of tyres for the Army and finalising the rate contracts is the responsibility of Director General of Supply and Disposals, New Delhi, under the Ministry of Supply & Rehabilitation. F.O.D.—I does not invite any tenders for retreading of tyres.

(b) and (c): Do not arise.

देश में ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार व्यक्ति और नए रोजगारों के अवसर पैदा करना

1990. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री आर० कोलनथाइवेलु :

क्या योजना मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राज्यवार, ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में अध्ययन आंकड़ों को एकत्रित किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) नये रोजगारों के अवसर पैदा करने के लिए, क्या वार्षिक लक्ष्य रखा गया है तथा क्या सूचो में दर्ज पिछले व्यक्तियों को रोजगार देते हुए नए व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी ;

(ग) चालू वर्ष में कितने नए रोजगारों की व्यवस्था की गई है तथा राज्यवार कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए गए हैं ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में जो रोजगार प्रधान नीति बनाई है, उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने रोजगार, बेरोजगारी और अल्परोजगार के संबंध में आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से अपने 27वें दौर में (1972-73) विस्तृत जांच की थी । इस सर्वेक्षण के आधार पर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी (जिसमें अल्परोजगार भी शामिल है) के राज्यवार आंकड़ों का विवरण संलग्न है ।

(ख) रोजगार उत्पन्न करने के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। उद्देश्य है अगले दशक में बेरोजगारी को समाप्त करना ।

(ग) और (घ) : अगली पंचवर्षीय योजना के लिए रोजगार नीति इस समय तैयार की जा रही है और योजना दस्तावेज में स्पष्ट की जाएगी । गहन कृषि में, पशुपालन, बागबानी, मछली पालन और वन उद्योग जैसे संबद्ध कार्यकलापों में, और कुटीर तथा लघु उद्योगों में रोजगार की सबसे अधिक क्षमता है । सेवा क्षेत्रों में, आधारभूत व्यवस्था, विद्युत् उत्पादन और सामाजिक सेवाओं में निवेश से भी काफी रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं । रोजगार उत्पन्न करने वाले इन सभी क्षेत्रों के लिए बड़े योजना परिव्यय प्रस्तावित किए जा रहे हैं । अगले 5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजना के लक्ष्यों और कार्यक्रमों के रोजगार पर संभावित प्रभाव को योजना दस्तावेज में बताया जाएगा ।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार ढूंढनेवाले/रोजगार के लिए उपलब्ध व्यक्ति दिवसों का विवरण

(आंकड़े '000 में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	2,087	431
2. असम	70	13
3. बिहार	1,926	177
4. गुजरात	489	184
5. हरियाणा	105	45
6. हिमाचल प्रदेश	7	5
7. जम्मू व कश्मीर	127	15
8. कर्नाटक	1,029	257
9. केरल	1,657	295
10. मध्य प्रदेश	649	130
11. महाराष्ट्र	1,726	584
12. मणिपुर	16	3
13. मेघालय	8	1
14. नागालैंड†	†	1
15. उड़ीसा	995	61
16. पंजाब	175	65
17. राजस्थान	379	93
18. तमिलनाडु	1,894	531
19. त्रिपुरा	32	4
20. उत्तर प्रदेश	1,038	174
21. पश्चिम बंगाल	1,250	422
22. चण्डीगढ़†	†	2
23. दिल्ली	6	75
24. गोवा, दमण व दीव	64	10
25. पांडेचेरी	22	8
अखिल भारत	15,759	3,582

†सर्वेक्षण केवल शहरी क्षेत्रों में ही किया गया था।

स्रोत :—राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन—27 वां दौर (1972-73)।

प्रदूषण की समस्या

1991. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के महासागरों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रदूषण को रोकने के उपायों पर अन्य देशों से बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो कब और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारत ने ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों और सम्मेलनों से अपने आप को संबंधित किया हुआ है जिन का उद्देश्य जहाजों द्वारा समुद्रों में किए गए प्रदूषण का निरसन, नियंत्रण और संशोधन करना है। 1954 के तेल द्वारा समुद्र के प्रदूषण को रोकने के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के भारत द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के अनुसरण में मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 में उपयुक्त उपबन्धों का समावेश किया गया है। इन उपबन्धों के अनुसार कोई भी भारतीय जहाज सभी देशो के प्रतिबंधित क्षेत्रो में तेल का विसर्जन नहीं कर सकता और न ही कोई विदेशी जहाज भारतीय तट रेखा के चारों ओर के प्रतिबंधित क्षेत्र में तेल का विसर्जन कर सकता है। 20,000 टन के सकल भार के या इससे बड़े सभी नए टैंकरो पर, संकटकालीन स्थिति को छोड़ कर, समुद्र में कहीं पर भी तेल का विसर्जन करने पर प्रतिबन्ध है। समुद्र की विधियों पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संचालन के परिणामस्वरूप, भारत ने 1976 के सीमांतर जल क्षेत्र, महाद्वीपीय शैल्फ अनन्य (अपवर्जित) आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम का अधिनियमन किया है ताकि समुद्री पर्यावरण का परिरक्षण और प्रतिरक्षण किया जा सके और भारत के आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शैल्फ के भीतर समुद्री प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण किया जा सके।

समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार की गई । एक संयुक्त राष्ट्र परियोजना के अधीन भारत द्वारा हिन्द महासागरीय क्षेत्र में ऐसी संस्थाओं की एक संदर्शिका (डायरेक्टरी) तैयार की गई है जिसके पास समुद्री प्रदूषण का मानीटरन करने की क्षमता है।

Shortage of Bread in Delhi

1992. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether there was a shortage of bread in Delhi during the last week of January ; and

(b) if so, the reasons therof ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) No report of shortage of bread in Delhi was received.

(b) Does not arise, in view of (a) above.

Thein Dam

†1993. **Shri S. S. Somani:**
Shri Ranjit Singh:
Shri Durga Chand:

Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Thein Dam dispute has not been resolved so far;

(b) if so, whether the question of supply of electricity to Rajasthan from this dam is also undecided; and

(c) if so, the reasons therefor and when this dispute is likely to be resolved?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) to (c): It has been decided to commence construction on the Thein Dam Project. The question of sharing of power is to be decided later.

आर्थिक अपराधों के लिये विशेष न्यायालय

1994. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे संबंध केन्द्रीय अधिनियमो के अंतर्गत आने वाले आर्थिक अपराधों से पूरी तरह से निपटाने के लिये कुछ विशेष न्यायालय स्थापित करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र को कोई ऐसा प्रस्ताव है कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानान्तरण आदि के अधिकार राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के पास रहेंगे ;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक वास्तविक रूप दिये जाने की संभावना है ;

(घ) क्या राज्य सरकारें इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई ह ;

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिय बहुत से न्यायालय अथवा न्यायाधीश नियुक्त करने पड़ेंगे ; और

(च) क्या इससे निचले तथा उच्च न्यायालयो में मुकदमें की संख्या बढ़ेगी जिनकी संख्या पहले ही बढ़ती जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) से (च) : विशेष न्यायालयो की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है ।

केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र/संस्थान, धनबाद द्वारा भूमि का अधिग्रहण

1955. **श्री एस० जी० मुरूगयन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र/संस्थान, धनबाद (बिहार) ने फरवरी, 1963 में खनन अनुसंधान केन्द्र (रामपुर), बैकुंठपुर (सरगुजा, मध्य प्रदेश) के लिए 41.80 एकड़ भूमि खरीदी (अधिगृहीत की) ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि अनुसंधान केन्द्र ने पटवारी के रिकार्ड में भूमि का अन्तरण नहीं करवाया और इस भूमि पर अनुसंधान केन्द्र आरम्भ नहीं किया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि इन सभी वर्षों में भूमि मूल मालिकों के अधिकार में रही है ;

(ङ) क्या यह सच है कि 24 सितम्बर, 1976 को केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद (बिहार) के एक अधिकारी ने वैकुंठपुर का दौरा किया था और इस भूमि को सुभाष गुप्त तथा अन्य व्यक्तियों के नाम पुंजीकृत करा दिया था ;

(च) यदि हां तो उसके क्या कारण है और इस भूमि को बेचने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया था जबकि यह भूमि मूल मालिकों के अधिकार में थी ; और

(छ) इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हां, श्रीमन ।

(ख) खरीदी गयी भूमि का विवरण इस प्रकार है :

विक्रेता का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में	मूल्य (रु० में)
1. श्री जान भाई	6.35	2,575.00
2. श्रीमती ताराबाई	6.87 140	3,541.00
3. श्री दलगंजन	2.65 13.08	6,497.00
4. श्री मुन्ना लाल	4.13	17,12.50
5. श्री गजाधर	0.35	175.00
6. श्री अकलू	0..10 1.85	780.00
7. श्री शिव मंगल	0.70 1.10	807.00
8. श्री चतुरी, हंसराज बिसरन बलदेव . .	3.22	1,288.00
	41.80	17,348.50

(ग) और (घ) : केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र ने इस भूमि को अपने अधिकार में लिया और समर्थ प्राधिकारी के यहां इस खरीद को पंजीकृत कराया गया । प्रशासनिक कारणों से उपकेन्द्र नहीं खोला जा सका और बाद में प्रस्ताव रद्द कर दिया गया ।

(ङ); (च), और (छ) : चूंकि उपकेन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया, अतः उपमंडल अधिकारी से भूमि के निपटान के लिए कई बार अनुरोध किया गया पर उनसे कोई

उत्तर नहीं मिला । कोल इंडिया लि० की सहायता से भूमि के निपटान के लिए केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र का एक अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया । अंतिमत: श्री सुनील कुमार और अन्य को भूमि 20,000/- रु० में 24 सितम्बर, 1976 को बेच दी गयी ।

Opening of fire in Dalli Rajhara Iron Ore Mines

1996. **Shri Aghan Singh Thakur :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether fire was opened in the Dalli Rajhara Iron Ore Mines during emergency in which several people were killed ;

(b) if so, whether any compensation was paid to the families of the people killed ; and if so, the amount paid and if not, the reasons therefor ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to provide relief to families and children of those killed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) According to the information furnished by the State Government there was no incident of police firing in the Dalli Rajhara Iron Ore Mines during the emergency.

(b) and (c) : Does not arise.

रुग्ण औद्योगिक एककों का स्वस्थ एककों के साथ विलय

1997. **श्री के० लकप्पा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे बीमार औद्योगिक एककों का उद्योगवार ब्यौरा क्या है जिन्हें 1977 के दौरान सरकारी नियंत्रण में लिया गया अथवा जिनका अन्य एकको के साथ विलय किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : वर्ष 1977 के दौरान निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधो के अन्तर्गत सरकारी नियन्त्रण में लिया गया है :—

वस्त्र उद्योग . .	1. मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं०, दत्ता राम लैड पथ, टेन्क रोड, बम्बई ।
	2. मैसर्स प्रियलक्ष्मो मिल्स, बड़ौदा ।
	3. मैसर्स श्री शुभलक्ष्मो मिल्स लि०, कैम्बे ।
	4. मैसर्स इन्दौर टेक्सटाइल लि०, उज्जैन, (म० प्र०) ।
	5. मैसर्स सोमासुन्दरम् सुपर स्पिनिंग मिल्स मुथानेन्डेल, जिला रामनाथपुरम (तमिलनाडु) ।
पटसन उद्योग . .	6. मैसर्स यूनियन जूट कं० लि०, चार्टर्ड बैंक बिल्डिग, कलकत्ता ।
	7. मैसर्स खरदाह कं० लि०, बैलेजली पैलेस, कलकत्ता ।
	8. मैसर्स एलेक्जेंडर जूट मिल्स, कलकत्ता ।
ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल उद्योग	9. मैसर्स बंगाल केमिकल एण्ड फारमास्यूटिकल वर्क्स, कलकत्ता ।
रबड़ गुड्स उद्योग .	10. मैसर्स नेशनल रबड़ मेन्यूफैक्चरर्स लि०, कलकत्ता ।

सरकार ने अब तक आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 72-क के अन्तर्गत कर से छूट के लिए प्रयोजनार्थ रुग्ण एकक का स्वस्थ एकक के साथ विलय का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है।

पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड, क्विलोन, केरल

1998. **श्री के० लकप्पा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य के केन्द्रीय सरकार से किये गये अपने अनुरोध में पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड, क्विलोन, केरल को उसके कुप्रबंध और लंबी अवधि तक बंद रहने और विभिन्न सरकारी बकाया राशि की, जिसमें कर्मचारियों की सांविधिक बकाया राशि शामिल है, भुगतान न किये जाने के कारण सरकारी नियंत्रण में लेने को कहा है ;

(ख) क्या सरकार ने उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के उपबंध के अन्तर्गत किसी जांच के आदेश दिए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उचित कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) राज्यों और जनता दोनों और उद्योग और इसके कर्मचारियों के हितों में इसको कब तक सरकारी नियंत्रण में लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अन्तर्गत पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड क्विलोन केरल के प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लेने के बारे में अब तक केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड, क्विलोन, केरल के कार्यकरण की जांच के आदेश नहीं दिये है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में कुप्रबन्ध

1999. **श्री के० लकप्पा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को अपने नियंत्रण में लेने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) कम्पनी के वर्तमान प्रबंधकों द्वारा उद्योग को रुग्ण और अस्वस्थ बनाये जाने से पूर्व इसे शीघ्र ही अपने नियंत्रण में लेने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

Reply to letters written by M.Ps.

2000. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government will take any action to ensure that the letters written by Members of Parliament to officers are replied ; and

(b) whether it is a fact that many officers of Ministries do not reply to the letters written by Members of Parliament ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) & (b) : The following standing instructions already exist to ensure that prompt action is taken on letters from MPs and that replied are sent to them at appropriate level :

(i) *Central Secretariat Manual of Office Procedure :*

The personal staff officers at senior level namely, Joint Secretary/director, in each Ministry/Department are required to maintain a register wherein relevant details about the letters received from MPs and their disposals are noted. This register is to be submitted to the officer concerned twice a month. A similar register is also required to be maintained by the concerned sections (cf. para 97).

(ii) *Manual for Handling Parliamentary work in Ministries.*

Communications received from M.Ps. should be attended to promptly. The communication addressed to the Minister will as far as practicable be replied by the Minister himself. In other cases a reply will normally be issued over the signature of an officer not below the rank of joint secretary (cf. para 14.9).

Review of the cases of transfer and suspension of employees of ordnance factories

2001. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in spite of his orders the officers of Ordnance Factories did not review the cases of transfer and suspension of the employees for months ; and

(b) if so, the action being taken by Government to expedite the implementation of his orders ?

The Minister of state in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अन्तर्देशीय जल परिवहन का कार्यकरण

2002. **श्री रोबिन सेन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्देशीय जल परिवहन के कार्यकरण के सम्बन्ध में अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के कर्मचारी संघ, पटना द्वारा किये गये पुनरीक्षण की एक प्रति प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्पूर्ण मामले में व्यापक जांच कराने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(ग) समीक्षा में की गई संघ की मांगों पर विचार किया गया है और यह पता चला है कि इनकी विस्तार से जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन की प्रगति के लिए खर्च की गई राशि

2004. **श्री रोबिन सेन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 में जब गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड को अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के साथ मिलाया गया था, तब से अन्तर्देशीय जल परिवहन की कार्यप्रगति के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गयी है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक हुई कार्य प्रगति का सार क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड 1967 में अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के साथ मिला दिया गया । पहली अप्रैल, 1967 से आज तक केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रों के अधीन अन्तर्देशीय जलपरिवहन के विकास के लिए 20.35 करोड़ रुपये व्यय किए गये हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-1743/78**]

अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय में तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति

2005. **श्री रोबिन सेन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समुद्री इंजीनियरी तथा यातायात के मामलों संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय में तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) : समुद्री इंजीनियरी की समस्याओं से निपटने के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय में सहायक समुद्री इंजीनियर का एक पद पहले ही से है और इस पद पर एक तकनीकी अधिकारी कार्य कर रहा है । जहां तक यातायात मामलों का संबंध है, इस मंत्रालय में एक संगठन है अर्थात् परिवहन अनुसंधान निदेशालय, जिसका एक सामान्य कार्य अन्तर्देशीय जल परिवहन सहित परिवहन के सभी साधनों से यातायात का अध्ययन करना है ।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक उपक्रमों की स्थापना

2006. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या इलेक्ट्रोनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य से एक शिकायतों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में कोई भी केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी उपक्रम स्थापित नहीं किया गया है और उसके लिये मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या राज्य के औद्योगिक विकास निगम को विदेशी सहयोग के साथ कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों (सी० एम० ओ० एस०) का निर्माण करने के लिये आशय-पत्र जारी किया गया है और वह आवश्यक मंजूरी के लिये इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य को कब तक इसकी मंजूरी दे दी जायेगी और उससे कितने रोजगार के अवसर पैदा होंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में यह अनुरोध किया गया था कि राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना स्थापित की जाय और इसके साथ यह भी अनुरोध किया गया था कि भाग (ग) में उल्लिखित परियोजना के लिए केन्द्रीय सहयोग उपलब्ध कराया जाय ।

(ग) तथा (घ) : वर्ष 1975 में पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग विकास निगम को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया और विदेशी सहयोग के साथ सी० एम० ओ० एस० एकीकृत परिपथ (इंटीग्रेटेड सर्किट) तथा इलेक्ट्रॉनिकी वॉच माड्यूलों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। किन्तु निगम इस औद्योगिक लाइसेंस पर अमल नहीं कर पाया, क्योंकि निगम ने विदेशी सहयोग के लिये जो व्यवस्था की थी वह असफल रही। इसलिए पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग विकास निगम ने जून, 1977 में विदेशी सहयोग के बारे में एक नया प्रस्ताव पेश किया जिसमें भूमि और भवन पर 65 लाख रुपये, स्वदेशी पूंजीगत उपस्करों पर 80 लाख रुपये, आयात किये जाने वाले पूंजीगत उपस्करों पर 16 लाख डालर तथा विदेशी सहयोग-कर्ता को 5 वर्ष की अवधि के दौरान तकनीकी जानकारी के रूप में दी जाने वाली 24 लाख डालर का पूंजी-निदेश शामिल था। इस परियोजना में लगभग 345 व्यक्तियों को काम पर लगाए जाने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में इस पेशकश का विश्लेषण किया है और इस संबंध में पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग विकास निगम के साथ विचार-विमर्श किया गया है। इलक्ट्रॉनिकी विभाग ने उद्योग मंत्रालय से सिफारिश की है कि इस प्रस्ताव को परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाय ।

आयुध कारखानों के कर्मचारियों के लिए रात्रि ड्यूटी भत्ता

2007. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों और सम्बद्ध प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता देने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रात्रि ड्यूटी भत्ते में संशोधित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) इस प्रश्न पर अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

(ग) अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की आशा है ।

हल्दिया, पश्चिम बंगाल में जहाज मरम्मत कम्प्लेक्स

2008. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया, पश्चिम बंगाल मे कुछ समय पूर्व सरकार ने जहाज निर्माण कम्प्लेक्स की स्थापना के मामले में जांच करने के बारे में एक 'अध्ययन दल' की नियुक्ति की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन दल के निर्देश-पद क्या हैं ;

(ग) क्या इस बीच प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) हल्दिया, पश्चिम बंगाल में कम्प्लेक्स स्थापित करने के दीर्घ-सवधि से विचाराधीन मामले पर सरकार कब तक अपनी अनुमति देगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां ।

(ख) अध्ययन दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :

(I) कलकत्ता क्षेत्र में एक गोदी एवं जहाज मरम्मत कम्प्लेक्स की व्यवहार्यता पर तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से विस्तार से जांच करना ।

(II) जहाज मरम्मत यार्ड के परिचालन और स्वामित्व पोत मरम्मत कर्त्ताओं और संबंधित नौवहन कम्पनियों को सौंपने की व्यवहार्यता ।

(III) भारतीय नौवहन निगम द्वारा पहले ही प्रस्तावित प्रथम चरण के रूप में सूखी गोदी के निर्माण की व्यवहार्यता और बाद में इसे जहाज मरम्मत कम्प्लेक्स में समाकलित करना ।

(ग) अध्ययन दल ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

(घ) दल ने सूखी गोदी के चारों और एक जहाज मरम्मत कम्प्लेक्स की स्थापना करने की सिफारिश की है जो हल्दिया में 45,000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाजों को संभालने के सक्षम हो और इस का प्रबंध किसी सरकारी कम्पनी को सौंपने की भी सिफारिश की है । दल ने कलकत्ता में किसी अतिरिक्त सूखी गोदी की स्थापना करना आवश्यक नहीं समझा है, परन्तु कलकत्ता में मौजूदा सूखी गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाओं का अधिकतम प्रयोग करने के विभिन्न उपायों की सिफारिश की है ।

(ङ) जब व्यापक परियोजना प्रस्ताव तयार कर लिए जाए और सरकार उनकी जांच कर लें ।

भारत का कुल निर्यात माल

2009. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का कुल कितने प्रतिशत निर्यात माल अन्तर्देशीय केन्द्रों सड़क मार्ग द्वारा बन्दरगाहों पर भेजा जाता है और निर्यात माल को सड़क द्वारा बन्दरगाहों तक भेजने के रास्ते में क्या रुकावटे आती हैं ;

(ख) बड़ौदा के आपरेशन रिसर्च ग्रुप द्वारा अन्तर्देशीय केन्द्रों से बन्दरगाहों तक सड़क द्वारा निर्बाध ढंग से माल भेजने के बारे में सरकार को कुछ समय पहले क्या सिफारिशें की गई थीं ; और

(ग) बड़ौदा के आपरेशन रिसर्च ग्रुप के इस सुझाव पर, कि चूंकि भारत के 60 प्रतिशत से अधिक माल की ढुलाई बन्दरगाहों तक सड़क द्वारा की जाती है अतः इस सड़क परिवहन को सुगम बनाने के लिये 10,000 अन्तर्राज्यीय ट्रक परमिट दिये जायें सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 1971 में प्रकाशित भारत के निर्यात माल की देशी ढुलाई के सर्वेक्षण पर कार्य अध्ययन दल, बड़ौदा के निष्कर्षों के अनुसार सड़क परिवहन का मूल्य में 66.5 प्रतिशत का हिस्सा है और पत्तनों को ढोये गये निर्यात माल के टनभार में 51.1 प्रतिशत का है, जिसमें खनिजधातु शामिल नहीं हैं जिसका भारी मात्रा में निर्यात होता है और जिसको ढुलाई विशेष कार्यक्रम के अधीन रेलवे द्वारा की जाती है। उसी रिपोर्ट के अनुसार सड़क द्वारा माल की निर्बाध ढुलाई में जो मुख्य कठिनाइयां थी, वे निम्नप्रकार थी :—

(1) लदान भार प्रतिबन्ध

(2) तंग सड़के और पुलियां

(3) बहुत खराब पक्की सड़कें

(4) भीड़ भाड़ वाले खंड और व्यस्त रेलवे लेवल क्रासिंग

(5) कमजोर पुल और पुलियां

(6) जांच चौकियां

(ख) इस सम्बन्ध में दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :—

(I) निर्माण कार्यों का उच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम और मौजूदा त्रुटियों को पूरा करने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियंत्रित रूटों में सुधार।

(II) चुंगी चौकियों को हटाने और अन्य जांच चौकियों में भारी कमी करने के लिए कानून को अधिनियमित करना।

(III) ट्रकों के लिए कुल 10,000 अखिल भारत ग्रीन परमिट जारी करना ताकि वे बिना किसी रुकावट के भारत भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर तथा उन से 50 कि० मी० अन्दर तक (माल उठाने और उतारने के लिए) चला सकें।

(ग) अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने 21-9-72 को इस सिफारिश पर विचार किया। यह नोट किया गया कि ट्रकों के लिए विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं, जो आयोग ने तैयार की थी, के अधीन विभिन्न राज्यों द्वारा सम्पूर्ण भारत में अन्तर्राज्यीय परिचालन की लम्बी दूरी के लिए लगभग 7200 क्षेत्रीय परमिट जारी किए जाने की संभावना थी। राज्य सरकारों द्वारा किए गए द्विपक्षीय और बहु-देश्यीय करारों में भी काफी संख्या में नियमित अन्तर्राज्यीय परमिट (लगभग 45,000) और इससे भी अधिक संख्या में अस्थायी परमिट देने की व्यवस्था है। उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए सिफारिश पर कोई कार्यवाही करनी आवश्यक नहीं समझी गई।

सरकार ने बाद में, 1975 में राष्ट्रीय परमिट योजना चालू की ताकि सड़क द्वारा माल की लम्बी दूरी की ढुलाई सुगम हो।

सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड में भ्रष्टाचारों के बारे में प्रतिवेदन

2010. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड में भ्रष्टाचारों के बारे में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन, स्वांग ब्रांच द्वारा दिनांक 4 जनवरी, 1978 के पत्र के साथ भेजा गया विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

मालवाही वाहनों की संख्या

2011. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1 जनवरी, 1978 को ट्रक, टेम्पो आदि मालवाही वाहनों की कुल संख्या क्या थी और प्रथम एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त पर क्रमशः उनकी क्या संख्या थी ;

(ख) 1 जनवरी, 1978 को भारत में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई क्या थी, राष्ट्रीय राजपथों की कुल लम्बाई क्या थी और प्रथम एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में उक्त लम्बाईयां क्या थीं ; और

(ग) महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु राज्यों में 1 जनवरी, 1978 को पक्की सड़कों की लम्बाई क्या थी और प्रथम एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त पर उक्त लम्बाईयां क्या थीं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों और संघशासित प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की भर्ती

2012. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या में आगे और कृत्रिम रूप से कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) राज्य-वार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों का नियतन किया गया; और

(घ) सीधी भरती वालों का प्रतिशत क्या है और राज्य सेवाओं से पदोन्नति संबंधी प्रतिशतता क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : राज्य संवर्गों की पद संख्या तथा उनकी संरचना का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है। सांविधिक नियमों के अधीन यह कार्य सामान्यतः तीन वर्ष में एक बार किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक राज्य संवर्ग की पद-संख्या का श्रेष्ठतम स्तर पर नियतन किया जाना है, जिससे कि वे राज्यों तथा केन्द्र की प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो सकें। इस अवधिक कार्य के एक अंश के रूप में, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक संवर्ग की पद संख्या में कटौती अथवा अन्यथा की सम्भाव्यता की जांच करेगी ।

(ग) राज्यवार आवंटित किए गए भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) जम्मू व कश्मीर तथा सिक्किम के भारतीय प्रशासन सेवा के संवर्गों को छोड़कर, राज्य सेवाओं से चयन तथा पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय राज्य सरकार तथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अधीन वरिष्ठ पदों की संख्या के 33$\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । शेष पदों की सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है ।

जम्मू व कश्मीर तथा सिक्किम के भा० प्र० से० संवर्गों के मामले में राज्य सेवाओं से चयन तथा पदोन्नति द्वारा भा० प्र० से० में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अधीन वरिष्ठ पदों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। शेष पदो को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।

विवरण

राज्य वार भारतीय प्रशासन सेवा के कुल अधिकारीयों का नियतन

राज्य का नाम	कुल प्राधिकृत पद सं०	1-1-1978 को अधिकारियों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	269	241
असम-मेघालय	170	135
बिहार	301	284
गुजरात	201	169
हरियाणा	148	132
हिमाचल प्रदेश	102	84
जम्मू एवं कश्मीर	107	86
कर्नाटक	219	190
केरल	142	114
मध्य प्रदेश	324	283
महाराष्ट्र	294	260
मणिपुर-त्रिपुरा	120	77
नागालैण्ड	48	35
उड़ीसा	181	170
पंजाब	154	146
राजस्थान	198	177
सिक्किम	41	2
तमिल नाडू	269	237
संघ राज्य क्षेत्र	172	135
उत्तर प्रदेश	497	351
पश्चिम बंगाल	264	230
योग	4221	3538

अहमद वूलन मिल, अम्बरनाथ (महाराष्ट्र)

2013. **श्री आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मंत्री अहमद वूलन मिल, अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) के बारे में 30 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2025 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सरकार ने अहमद वूलन मिल, अम्बरनाथ, जिला थाना (महाराष्ट्र) के प्रबन्धक मण्डल को पूर्ण श्रमिक क्षमता का उपयोग करने के लिए सभी प्रयास करने को कब कहा;

(ख) उक्त मिल में इस समय नियोजित श्रमिकों का संख्या कितनी है;

(ग) क्या मिल के प्रबन्धकों ने सरकार द्वारा दिये गये अनुदेशों का पालन किया है और यदि नहीं, तो प्रबन्धकों ने उसके क्या कारण बताये हैं; और

(घ) क्या सरकार प्रबन्धकों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (घ) : नवम्बर, 1977 में सरकार ने मिल को अपने उत्पादन और श्रमिकों के उपयोग में सुधार करने के लिए पूरी कोशिश करने की सलाह दी थी। मिल प्रबन्धकों ने सूचित किया है कि वे वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त वित की व्यवस्था कर रहे हैं और अपने कार्यकरण को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयासों के परिणामों की जांच की जा रही है।

लक्षद्वीप में सरकारी कर्मचारी

2014. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्र लक्षद्वीप में सरकारी कर्मचारों की श्रेणी-वार संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से कितने स्थायी हैं और कितने कर्मचारी 10 वर्ष और उससे अधिक की अवधि की सेवा के पश्चात् भी अस्थायी हैं; और

(ग) उन्हें स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पद, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं० 21/2/74-स्थापना (डी) दिनांक 11-11-75 में I, II, III तथा IV श्रेणी के स्थान पर ए० बी० सी० और डी वर्ग से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। लक्षद्वीप प्रशासन में सरकारी कर्मचारियों की वर्गवार कुल संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ग	जोड़
ए	9
बी	65
सी	1050
डी	635
जोड़ . .	1759

(ख) उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या जो स्थायी है तथा दस वर्ष तक अधिक सेवा वाले अस्थाई सरकारी कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ग	स्थाई	उन अस्थायी कर्मचारियों की संख्या जिनकी 10 वर्ष और इससे अधिक सेवा है ।
ए	6	शून्य
बी	17	शून्य
सी	390	167
डी	307	153
जोड़ . .	720	320

(ग) इनमें से बहुत से अस्थाई सरकारी कर्मचारियों को अर्ध-स्थाई कर दिया गया है। फिर भी, इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए, एक विशेष एकक लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा गठित कर दिया गया है ।

D. T. C. Income

†2015. **Shri Sukhendra Singh :**
Shri Natvarlal B. Parmar :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is fact that despite covering more kilometres, the income of Delhi Transport Corporation has declined in December, 1977 as compared to that in November, 1977; and

(b) the remedial action being taken by Government in this regard; and

(c) the financial positon of the D. T. C. for the current year ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) According to provisional figures, the Corporation has suffered a net loss of Rs. 1334.91 lakhs from April, 1977 to January, 1978.

मध्य प्रदेश में रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान

2016. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान हैं और उनमें से कितने मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं; और

(ख) क्या रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश राज्य में बड़े पैमाने के इलेक्ट्रोनिक उद्योगों को आरम्भ करने के बारे में सरकार की कोई योजना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) देश में रक्षा अनुसंधान स्थापनाओं की कुल संख्या 42 है (इनमें फील्ड प्रयोगशालाएं तथा टाइप सर्टिफिकेशन और एयर-वर्दीनेस संबंधी पहलुओं से संबंधित प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं); इनमें से एक, अर्थात रक्षा अनुसंधान तथा विकास स्थापना, ग्वालियर, मध्यप्रदेश में स्थित है।

(ख) जी नहीं ।

केरल में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन रोकना

2018. **श्री के० ए० राजन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की केन्द्रीय पेंशन रोक दी है और अब तक उन्होंने जो राशि प्राप्त की है उसे पूरा वापस करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 63 मामलों में पेन्शन रद्द कर दी गई है। इनमें से 21 व्यक्तियों ने कोचीन पुलिस हड़ताल में भाग लिया था और उस कारण सजा काटी थी और एक मामले में यातना मालाबार विशेष पुलिस हड़ताल के संबंध में थी। भारत सरकार द्वारा इन पुलिस हड़तालों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन स्वीकृत करने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में मान्यता नहीं दी गई हैं। पहले पेंशन अस्थाई आधार पर स्वीकृत की गई थी क्यों को यह स्पष्ट नहीं था कि यातनाएं इन दो पुलिस हड़तालों से संबंध थी।

शेष मामलो में आवेदकों ने कुछ विधायकों के सह-बन्दी प्रमाण प्रस्तुत किये थे, जिन्होंने बताया जाता है, कि गलती से ऐसे प्रमाण पत्र जारी किये हैं। इन प्रमाण पत्रों को आवेदकों की यातनाओं के दावों के समर्थन में पर्याप्त सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था ।

(ग) राज्य सरकार ने पुलिस हड़ताली में भाग लेने वालों के मामले में केवल वसूली को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

(घ) पुलिस हड़तालों में भाग लेने वाले कुछ व्यक्ति मामले को केरल उच्च न्यायालय में ले गये है और मामला न्यायाधीन है।

सरकारी विभागों में प्रयुक्त प्रपत्रों (फार्मों) को आसान बनाना

2019. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आम जनता के लाभ के लिए तथा कागज में मितव्ययिता बरतने के लिए सरकारी विभागों में प्रयुक्त प्रपत्रों को आसान बनाने हेतु कार्यवाही कर रही है; और

(ख) इन प्रपत्रों की संख्या कम करने, कागज और छपाई में मितव्ययिता लाने में अब तक क्या परिणाम रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्। प्रशासन में कार्य-कुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए प्रपत्रों (फार्मों) को युक्तिसंगत तथा आसान बनाने और प्रपत्रों के आकारों, विशेषकर जिन्हें जनता द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, के मानकीकरण को सिफारिशें करने के लिए एक कृतिक बल की नियुक्ति की गई है।

(ख) जिस कृतिक बल को नियुक्ति फरवरी, 1978 में की गई थी, उसने अभी तक अपना विचार-विमर्श पूरा नहीं किया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा नीतियों का बनाया जाना

2020. **श्री निहार लास्कर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने गत तीन वर्षों के दौरान नीतियां निर्धारित करने के लिए उप महा निरीक्षकों और कमाण्डेन्टो के वार्षिक समन्वयकारी सम्मेलन आयोजित किए थे;

(ख) यदि हां, तो पिछला सम्मेलन कब हुआ था;

(ग) क्या वर्ष 1978 में ऐसा सम्मेलन करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 1977 में केन्द्रीय मंत्रियों ने कितने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एककों का निरीक्षण किया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसकी जांच की जा रही है।

(घ) कोई नहीं।

प्रादेशिक सेना अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु में वृद्धि

2021. **श्री निहार लास्कर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रादेशिक सेना अधिकारियों और इनफेन्ट्री के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को बढाने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सेवा निवृत्ति आयु क्या हैं और सेवा निवृत्ति आयु में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) । प्रादेशिक सेना के इंफेंट्री के अफसरों की सेवा-निवृत्ति की आयु इस समय निम्नलिखित हैं:—

(1) मेजर और उनसे नीचे . .	50 वर्ष
(2) लेफ्टि० कर्नल . . .	52 वर्ष या लेफ्टि० कर्नल के रूप में 4 वर्ष का सेवाकाल, इनमें जो भी पहले हो।

सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है।

मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर कम्पनी संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त शिवगनानम समिति का प्रतिवेदन

2022. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर कम्पनी के कार्याचालन का विस्तृत विश्लेषण करने हेतु उच्च शक्ति प्राप्त शिवगनानम समिति नियुक्त की थी;

(ख) क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) तथा (ख) : सरकार ने मे० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बडौदा के कार्यों की पूरी जांच करने के लिए श्री एम० शिवगनानम, उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार की अध्यक्षता में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 23-6-1971 को एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने 7 अक्तूबर, 1971 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ग) समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों/टीका-टिप्पणियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) एक सुयोग्य व्यवसाय की दृष्टि स अर्हता प्राप्त महाप्रबंधक नियुक्त किया जाना चाहिए, जो दो प्रबंध निदेशकों के बजाय जिससे अधिकार संबंधी झगड़ेबाजी होती है, सीधे एक प्रबंध निदेशक के अधीन काम करेगा।

(2) कम्पनी के पास पर्याप्त रूप से निर्धारित नियंत्रण सीमाएं, पर्याप्त वित्तीय और उत्पादन आयोजन, पूंजीगत सामान में मौके का और आयोजित निवेश और यथोचित रूप से प्रणालीबद्ध वस्तुसूची नियंत्रण होना चाहिए।

(3) एक वित्तीय सलाहकार/नियंत्रण होना चाहिए, जिसे प्रबंध-सूचना और लागत लेखा की वैज्ञानिक पद्धति लागू करनी चाहिए।

(4) समिति ने महसूस किया कि मैनेजमेंट उपयुक्त वित्तीय नितियां नहीं अपना रहा था, जिसके कारण अन्ततोगत्वा उत्पादन में हानि और वित्तीय हानियां हुई। उस समय मैनेजमेंट में "व्यावसायिक कार्य कुशलता" की कमी भी थी।

(5) यह पाया गया था कि कारखाने में कतिपय शाखाओं पर वर्क्स मैनेजर का पूरा अधिकार नहीं था जिसकी गतिविधियों से उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा। यह भी सिफारिश की गई थी कि परचेज डिवीजन केवल एक प्राधिकार के अधीन होना चाहिए।

(6) धन की कमी से आमतौर पर कच्चे माल और हिस्सेपूर्जों की अनुपलब्धता के कारण संयंत्र की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा था।

(7) कम्पनी को फिर से चालू करने के लिए 175 लाख रुपये तक नकद राशि तत्काल लगाना।

(8) यह पाया गया था कि इस एकक द्वारा निर्मित 35 अ० श० और 50 अ० श० दोनों के ट्रैक्टरों के लिए निर्धारित मूल्य अन्य ट्रैक्टर निर्माताओं के इसी प्रकार के ट्रैक्टरों के मूल्यों की तुलना में सबसे कम थे।

2. समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश के अनुसरण में सरकार द्वारा फरवरी, 1972 में ट्रैक्टर का बिक्री मूल्य बढ़ाया गया था। मूल्य में वृद्धि के बावजूद भी इस एकक में ट्रैक्टरों का उत्पादन उपयुक्त स्तर तक कायम नहीं रखा जा सका। वास्तव में नवम्बर, 1972 में उत्पादन ठप्प हो गया और बड़ी तादाद में श्रमिकों की छटनी की गई थी। तब सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन उपक्रम का प्रबंध-ग्रहण किया। गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को इसका अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया था। अधिकृत नियंत्रक के जरिए प्रबंध की अवधि 11 मार्च, 1979 तक बढ़ा दी गई है।

पनडुब्बियां बनाने के लिये आधुनिकतम सुविधायें

2023. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ण रूप से अपने ही देश की प्रौद्योगिकी के आधार पर पनडुब्बियां बनाने के लिए आधुनिकतम सुविधायें उपलब्ध करने के बारे में निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए लाइसेंस और प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए कुछ अन्य देशों के साथ बातचीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : पनडुब्बियों का निर्माण देश में करने की आवश्यकता को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। परन्तु हमारे अपने शिपयार्डों में पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है इसलिए इनका

आरंभिक निर्माण-कार्य विदेशी सहयोग से किया जाना होता है। तदनुसार, विदेशों के अनेक शिपयार्डों के साथ तकनीकी विचार-विमर्श जारी है। इस संबंध में प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के बाद इसमें अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध आरोप

2024. **श्री रोबिन सेन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत लोक सभा चुनाव के दौरान जाली मतपत्र छापने संबंधी आरोप के बारे में एक आई० पी० एस० अधिकारी और सरकारी मुद्रण के भूतपूर्व अधीक्षक के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० एस० डी० पाटिल) : (क) गत लोक सभा चुनाव में सरकारी मुद्रणालय, पश्चिम बंगाल में दुहरे मत पत्र छापने के संबंध में जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारी

2025. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कुल कर्मचारियों में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कार्य-दर तथा समय-दर, भूमिगत तथा भूमि के ऊपर श्रमिकों तथा अधिकारियों के राष्ट्रीयकरण के समय क्या प्रतिशतता थी और अब क्या है तथा मजूरी वेतन और अन्य सुविधाओं के रूप में उन पर कितना सापेक्ष व्यय किया गया;

(ख) क्या राष्ट्रीयकरण से गैर-उत्पादक व्यक्तियों पर व्यय बढ़ा है और जिससे कोयला खानों को निरन्तर हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस रूख को बदलने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), (ख) व (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फरक्का में पतन

2026. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री फरक्का में बन्दरगाह के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है और इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : हल्दिया और फरक्का के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा शुरू करने के प्रस्ताव का व्यावहारिक अध्ययन करने के लिए 1978-79 की वार्षिक योजना में 1 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस व्यावहारिक अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत फरक्का पर तटीय सुविधाओं और प्रबन्ध सुविधाओं के भी शामिल करने का विचार है।

प्रादेशिक सेना सेवा में सेवा करने पर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लाभ

2027. **श्री निहार लास्कर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रादेशिक सेना में सेवा करने पर सरकारी कर्मचारियों की क्या

(1) सेवा में वेतन वृद्धि

(2) नकद इनाम

(3) अन्य सुविधायें

जैसे लाभ दिए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (1) शून्य।

(2) (क) प्रादेशिक सेना की मध्य प्रदेश स्थित इन्फेंट्री बटालियन के तीन सर्वोत्तम "अन्य रैंक" प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य सरकार ने तीन नकद पुरस्कार स्थापित किए हैं। प्रत्येक पुरस्कार 100 रु० का है।

(ख) राज्य सरकार 2,500 रुपए और 1,500 रुपए के नकद पुरस्कार क्रमशः उन प्रादेशिक सेना अलंकरण और प्रादेशिक सेना मैडल पाने वालों को देती है जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं।

(3) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान रक्षा सेवा प्राक्कलन से मिलने वाले वेतन तथा भत्तों के अतिरिक्त पूरा सिविल वेतन पाने की अनुमति होती है।

Proposal for Registration of Marriages

2028. **Shri S. S. Somani** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government are considering a proposal to provide for registration of marriage; and

(b) Whether Government have appointed any committee to go into this question, and if so, the details in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) Yes, Sir.

(b) An inter-departmental working group to go in to the question of recommending an infra-structure for registration of marriages was set up by the Union Health and Family Welfare Ministry. The working group has submitted its report to the concerned Ministry and has recommended that the registration

of marriages should be separate from those relating to registration of births and deaths.

The Union Ministry of Law has prepared a draft bill for compulsory registration of all marriages throughout India.

Irregularities committed in appointments in the Ordnance Equipment Factory, Kanpur

2029. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether serious irregularities are being committed in appointments in the Ordnance Equipment Factory, Kanpur;

(b) if so, whether Government will take steps to stop them ; and

(c) if not, whether Government will inquire into the appointments made against the quota reserved for sportsmen; etc.

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no quota reserved for sportsmen.

Transfer of Manager of Ordnance Equipment Factory, Kanpur

2030. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether no higher officer is allowed to remain on one post and one place for more than 3 years as per the Government orders; and

(b) if so, the number of such higher officers as are violating this rule and if not, the number of years since when the Manager, Ordnance Equipment Factory, Kanpur has not been transferred and reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh): (a) There is no fixed tenure for officers for inter-factory transfer but normally they are considered for inter-factory transfer on completion of about 5 years or due to promotion and exigencies of service.

(b) The question of violation of any rule does not arise. There are five Managers, besides General Manager in Ordnance Equipment Factory, Kanpur with periods of stay from six months to about seven years as shown below :—

	In OEFC	Total stay in Kanpur
General Manager	8 months	3 Years
Manager (Prod)	6 Yrs/9 months	6 Yrs/9 months
Manager (Leather)	6 Yrs/9 months	12 Years
Manager (Plg.)	6 Yrs/7 months	8 Yrs/5 months
Manager (Textiles)	7 Yrs/4 months	18 Yrs/8 months
Manager (Admin)	4 Yrs/9 months	6 Yrs/2 months

कोटाडीह (रानीगंज) में माल डिब्बों में लदान करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति

2031. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान कोटाडीह (रानीगंज) कोयला खान में नियुक्त माल-डिब्बों में लदान करने वाले 800 हरिजन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उनको बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Mills producing Controlled Cloth

2032. **Shri Rajendra Kumar Sharma :**
Shri Ganga Bhakt Singh :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number and the names of the mills not producing controlled cloth during 1977-78;

(b) the names of the mills which have produced controlled cloth below the fixed target; and

(c) the action taken against such mills?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) to (c) : Necessary information is being collected and shall be laid on the Table of the Sabha shortly.

लघु क्षेत्र के लिये बैंक ऋण संबंधी समस्याओं के बारे में प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

2033. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री नटवर लाल बी० परमार :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री के० पुरी की अध्यक्षता वाली समिति ने लघु क्षेत्र के लिये बैंक ऋण सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस सिफारिशों के आधार पर कार्य करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशें की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) सभी बैंको द्वारा 25,000 रु० की अग्रिम राशियों और 25,000 रु० से 2,00,000 रु० के बीच की अग्रिम राशियों के लिए सरल किये गये आवेदन-पत्र और जांच प्रपत्र अपनाना;

(ii) छोटे एककों, जीव्य योजनाओं और तकनीकी अर्हता प्राप्त उद्यमियों की न्यूनतम सीमान्त आवश्यकताएं लचीली होनी चाहिए तथा मार्जिनों के मामले में इन पर जोर नहीं डाला जाना चाहिए; उद्यमियों को इक्विटी अंशदान आवश्यकतानुसार किस्तों में जमा करने, उदार ऋण सहायता निधि अथवा एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

(iii) बैंकों को परियोजना की जीव्यता पर निर्भर करना चाहिए, छोटे ऋणों के मामलों में तृतीय पक्षी की गारन्टी लेने की आम प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अनुषंगी प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गई ऋण मुक्त औद्योगिक आस्तियां उचित आवश्यकता होने पर पहले प्रभार से मुक्त की जानी चाहिए; बैंकों को उसके बराबर बन्धक स्वीकार करना चाहिए।

(iv) अदायगी कार्यक्रम में फालतू जनित्रण क्षमता को भी ध्यान से रखा जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए भुगतान शुरू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। एकक द्वारा फालतू उत्पादन प्रारम्भ कर देने के बाद ब्याज आसान किस्तो में वसूल किया जाना चाहिए; भुगतान कार्यक्रम की संमीक्षा की जानी चाहिए और बिजली की कटौती, मन्दी अथवा प्राकृतिक प्रकोपों के मामलो में उनकी पुनः सूची तैयार की जानी चाहिए।

(v) ब्रांच मैनेजरों द्वारा निर्णय लेने की शक्तियों की संमीक्षा की जानी चाहिए ताकि 60% से 80% तक के ऋण संबंधी निर्णय शाखा स्तर पर हो लेने का सुनिश्चिय किया जा सके। छोटे ऋण लेने वालों के आवेदन पत्रों को 4 सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए।

(vi) ब्याज दर की एक स्लैब प्रणाली अपनायी जानी चाहिए; पुनः स्थापित किये जा रहे रुग्ण एककों के मामलों में ब्याजदर में विशेष रियायत दी जानी चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों के लिए रियायती ब्याजदर लागू की जानी चाहिए; बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दी गई अग्रिम राशियो पर सेवा प्रभार नहीं लिया जाना चाहिए; बैंकों को सामान्यतया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्त प्राप्त करना चाहिए और एसा न करने का निर्णय लिये जाने की स्थिति में अपनी रियायती ब्याजदर ऐसे ऋणों पर लागू करनी चाहिए।

(vii) बिल रिडिस्काउन्टिंग योजना के अन्तर्गत लघु औद्योगिक एककों के बिलों को कोई विशेष सीमा निर्धारित किए बिना स्वीकार किया जाना चाहिए।

(viii) परियोजना मूल्यांकन रुग्ण एककों के पुनःस्थापन; बकाया राशि की वसूली करने और विपणन सहायता के लिए बैंकों का लघु उद्योग सेवा संस्थानों का और

अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, सरकार द्वारा लघु उद्योग सेवा संस्थानों को कुशलता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। उद्यमियों को चाहिये कि वे बैंकों को आंकड़े प्रस्तुत करें और योजनाओं पर बैंकों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए।

(ix) रिपोर्ट के क्रियान्वयन को देख रेख करने के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में लघ उद्योगों, रिजर्व बैंक और बैंकरों के प्रतिनिधियों की एक एक समिति गठित की जानी चाहिए।

(ग) ये सिफारिशें भारत सरकार के विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

बैंक ऋण के संबंध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति

2034. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों की बैंक-ऋण समस्याओं सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने हाल में यह सिफारिश की है कि बैंकों की पारम्परिक प्रतिभूति उन्मुख दृष्टिकोण को त्याग कर योजनाओं की अर्थक्षमता के आधार पर ऋण मंजूर करने चाहियें;

(ख) क्या समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विशेषकर छोटे ऋणों के मामले में किसी तीसरे पक्ष से गारन्टी प्राप्त करने सम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया को समाप्त किया जाये; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच सिफारिशों पर विचार कर लिया है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

Material given on Credit by Hira Textile Mill, Ujjain

2035. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the quantum of material given on credit by Hira Textile Mill, Ujjain to Shri Rayon Textile Mill, Ujjain since its inception todate and the payment made therefor so far and the payment yet to be made; and

(b) the names of the parties to whom the Hira Textile Mill has sold yarn, beam and other material for use in machinery and the number of parties to whom these yarn etc., have been given on credit and whether it is also a fact that payment therefor has not been made even though long time has elapsed since then and whether steps will be taken to realise the cost of the material including interest thereon?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Hira Textile Mills, Ujjain was nationalised with effect from 1st April, 1974. It has not supplied any material on credit to Shri Rayon Textile Mill, Ujjain. However, material like nuts bolts, lead rods, perforated Steel strips etc., of a total value of Rs. 376/- only were supplied on loan to the said firm during 1975-76 and 1976-77.

(b) The Hira Textile Mills has sold yarn, beam and other material for use in machinery to the following parties :

(1) Bunkar Sahakari Samiti, Asta.
(2) Kunjco, Ujjain.
(3) Prabhu Dayal Thotla, Indore.
(4) Abdul Karim Haji Mohammed, Gautampura.
(5) Prabhu Dayal Keshav Lal, Ujjain.
(6) Ganesh Traders, Ujjain.
(7) Mohamed Hussain Mohd. Yousouf, Ujjain.
(8) Ajay Kumar Sunil Kumar, Ujjain.
(9) Aziz Mohammed Ansari, Ujjain.
(10) Shakti Textiles, Ujjain.
(11) Swastic Textiles, Ujjain.
(12) Prem Textiles, Indore.
(13) Arvind Textiles, Indore.
(14) Vishnu Textiles, Ujjain.
(15) Shakti Chalit Bunkar Sahakari Samiti, Ujjain.
(16) D. K. Textiles, Ujjain.
(17) Bunkar Sahakari Sangh, Ujjain.
(18) Ramesh Chand Nand Kishore, Ujjain.
(19) Mohanlal Balbux, Ujjain.
(20) Bajranglal Radhakrishan, Ujjain.
(21) Ganesh Fabrics, Ujjain.
(22) Mangi Lal Dhulichand, Ujjain.
(23) Nema Textiles, Ujjain.
(24) Rajesh Textiles, Ujjain
(25) Laxmi Textiles, Ujjain.
(26) Shri Voile House, Ratlam.
(27) Vijay Kumar Deeswala, Ujjain.
(28) Vimal Kumar Maheshwari, Ujjain.
(29) Shyam Textiles, Ujjain.

Of these, two parties at sl. no. (28) and (29) were supplied sized beam, yarn etc., on credit, prior to March, 1976. Since March, 1976 all such supplies have been made against payment. There is no outstanding amount against the party at S. No. (28). The total outstanding against the party at serial no. (29) was Rs. 69,827.63 in March, 1976, against which Rs. 23,400 has been received and the balance now outstanding is Rs. 46,427.63. Necessary steps are being taken

to recover this amount. The question of interest would be considered separately. The subsidiary would also be asked to consider the recovery of interest.

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

2036. **श्री टी० ए० पई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिए पिछले बजट में 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरुप वर्ष भर में रोजगार के कितने अतिरिक्त अवसर बनाये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) वर्ष 1977-78 के बजट अनुमानों में योजनागत मदों के अंतर्गत (विज्ञान और प्रोद्योगिकी योजना हेतु 40 लाख रुपए के प्रावधान को छोड़कर) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। बाद में वर्ष 1977-78 के संशोधित अनुमानों में प्रावधान को 44.65 करोड़ रुपए (विज्ञान और प्रोद्योगिकी योजना सहित) तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही वर्ष 1977-78 में हुए व्यय की सही राशि जानी जा सकेगी।

(ग) चालू वर्ष में लगभग 5.14 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

धागे के मूल्यों में वृद्धि

2037. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों से धागे की कीमतों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश भर के बुनकरों ने मूल्य में वृद्धि तथा सरकार की एकाधिकारिक नीतियों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने हेतु 17 फरवरी को मूल्य वृद्धि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और धागे का मूल्य कम करने और सार्वजनिक वितरण पद्धति के माध्यम से पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) (क)और (ख) : सूती धागे के थोक बिक्री के मूल्य पिछले कुछ महीनों में मूल्यों में थोड़ी वृद्धि दिखलाते हैं। थोक बिक्री मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 1977 में 196.9 था तथा जनवरी, 1978 में 200.9 था उनकी तुलना में फरवरी, 1978 में बढ़कर 201.5 तक पहुंच गया था।

(ग) जी नहीं ।

(घ) कीमतों के उतार चढ़ाव बाजार की सामान्य स्थितियों को बताते हैं। धागे के मूल्यों में कमी लाने हेतु प्रभावी कार्रवाई केवल सूत जैसे निवेश की कीमतों में कमी करके ही की जा सकती है तथा इस समय इन क्षेत्रों में बाजार की सामान्य प्रवृत्तियों में हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझा जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रथम बिन्दु बिक्री कर लेवी पद्धति स्वीकार करना

2038. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने सामान्य उपयोग की कुछ वस्तुओं के बारे में प्रथम बिन्दु बिक्री कर लेवी पद्धति अपनाना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो नई पद्धति का ब्यौरा क्या है और मूल्य स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) : दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार कुछ वस्तुओं पर प्रथम बिन्दु पर बिक्री कर समय-समय पर लगाया गया है। यह पद्धति नई नहीं है और दिल्ली में 1961 से प्रचलन में रही है । तथापि, प्रथम बिन्दु की वस्तुओं की सूची में अनेक बार और अभी हाल में 1-2-1978 को संशोधन किया गया है।

बिक्री कर लगान की प्रथम बिन्दु पद्धति के अंतर्गत, कर उस व्यापारी द्वारा, देय है जो दिल्ली में आयात करता है अथवा ऐसी वस्तुएं बनाता है जिनकी पहली बार दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में बेचता है और जहां अधिनियम के अंतर्गत वह कर देने के लिए जिम्मेदार नहीं है वहां कर अधिनियम के अंतर्गत कर देने के जिम्मेदार सबसे पहले वाले व्यापारी द्वारा बिक्री पर देय है। प्रथम बिन्दु लेवी पद्धति में कर का भार कम है जबकि बिक्री की अंतिम अवस्था के भार के साथ उसकी तुलना की जाती है क्योंकि अंतिम अवस्था में कर उस मूल्य पर लगाया जाएगा जिसमें बीच की सभी अवस्था पर लाभ सम्मिलित होगा।

राष्ट्रीय आय के बारे में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया गया सर्वेक्षण प्रतिवेदन

2039. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि जहां राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई वहां जनसंख्या में दो प्रतिशत की समग्र वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण प्रतिवेदन का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सर्वेक्षण प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्य अनुमानों के अनुसार, राष्ट्रीय आय के 1975-76 में 39,626 करोड़ रुपए होने की तुलना में 1976-77 में 40,164 करोड़ रुपए (1970-71 की कीमतों पर) होने का अनुमान है। इससे राष्ट्रीय आय में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है। इस अवधि में जनसंख्या में कुल मिलाकर 2 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण, 1970-71 की कीमतों पर अनुरूप प्रति व्यक्ति आय में, 1975-76 में 659 रुपए से 1976-77 में 655 रुपए होने में सीमांत गिरावट दिखाई देती है। वर्तमान कीमतों पर, 1976-77 में राष्ट्रीय आय 64,279 करोड़ रुपए आती है और प्रति व्यक्ति आय 1,049 रुपए आती है।

(ग) सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप और कुछ अच्छे मौसम के कारण भी, राष्ट्रीय आय के 1977-78 में लगभग 5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है जिसका अर्थ होगा प्रति व्यक्ति आय में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि।

1978-79 की वार्षिक योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि करने, अर्थात् 1977-78 के योजना परिव्यय से 17 प्रतिशत वृद्धि करने की परिकल्पना है। 1978-79 के केन्द्रीय सरकार के बजट में भी अर्थ-व्यवस्था में निवेश और वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिए कई उपायों का उल्लेख किया गया है।

1978--83 के लिए मध्यावधि योजना भी तैयार की जा रही है जो जल्दी ही राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों और नीति सम्बन्धी उपायों का ब्यौरा इस योजना में दिया जाएगा।

रुई का आयात

2040. **श्री भगतराम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के रुई आयात के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) प्रति टन किस दर से तथा किस-किस देश से इसका आयात किया गया ; और

(ग) भारतीय रुई का उसी प्रतिटन मूल्य क्या था ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Uniform rates for supply of electricity to rural areas

*2041. **Shri Sukhendra Singh**: Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) wheher Government have considered the question of uniform rates for supply of electricity to the rural areas;

(b) whether the State Governments have also given their comments in this regards; and

(c) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) to (c): The question of uniformity in the power tariff rates for different categories of consumers throughout the country, including the rural areas, had been considered in the past but was given up. No such proposal is under consideration at present. It is, however, proposed to set up an All India Committee of Experts to make practical recommendations for rationalizing the tariff structure and improving the over-all working of the State Electricity Boards within whose competence the matter of tariff fixation lies.

Scheme for uplift of Adivasis in Kota District

2042. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether any scheme is being considered for the uplift of adivasis of the Shahbad Tehsil and nearby places in Kota district of Rajasthan; and

(b) if so, the details thereof.

The Minilter of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) & (b): A programme has been drawn up for the development of the Saharias, a primitive tribal group in the Kishanganj and Shahbad Tehsils in Kota District of Rajasthan. A Saharia Vikas Samiti has been formed for this programme. Rs. 7.00 Lakhs will be spent during the current year. State Government have proposed an outlay of Rs. 10.00 Lakhs for the year 1978-79 which will be considered in due course.

कपड़ा आयुक्त के कार्यालय पर व्यय और उसके कृत्य

2043. **श्री टी० ए० पई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में कपड़ा आयुक्त के कार्यालय पर कितना व्यय हुआ है ;

(ख) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में इस संगठन के कर्मचारियों की संख्या क्या रही है ; और

(ग) इस संगठन के आवश्यक कृत्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क)

(लाख रुपयों में)

वर्ष	व्यय
1975-76	97.47
1976-77	92.87
1977-78 (जनवरी 1978 तक)	81.35

(ख)

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	
	राजपत्रित	अराजपत्रित
1975-76 . .	104	818
1976-77 .	104	818
1977-78 . . .	99	804

(उपर्युक्त आंकड़ों में बुनकर सेवा केन्द्रों/हथकरघा प्रौद्योगिकी की संस्थानों के पद शामिल नहीं है क्योंकि ये अब हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं।)

(ग) वस्त्र आयुक्त के कुछ आवश्यक कार्य निम्नलिखित हैं :

(i) वस्त्र उद्योग के संगठित क्षेत्र के लिए विकास आयुक्त के रूप में कार्य करना और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी किए गए विभिन्न वस्त्र नियन्त्रण आदेशों के अनुसार विनियमकारी कार्यों को करना।

(ii) वस्त्र क्षेत्र के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय के रूप में कार्य करना।

(iii) तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना और उद्योग को उसकी तकनीकी कठिनाईयों में विशेष-रूप से आधुनिकीकरण के संबंध में सलाह देना।

(iv) वस्त्र उत्पादन और वितरण की प्रवृत्तियों की मोनोटर करना।

इंडिया टोबैको कंपनी और वजीर सुल्तान कम्पनी की सिगरेटें बनाने की क्षमता

2044. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जबकि इंडिया टोबैको और वजीर सुल्तान जिसका सिगरेट बनाने में संयुक्त रूप से एकाधिकार है के पंजीकरण के अनुसार उनकी अधिष्ठापित क्षमता क्रमश: 24,00 करोड़ और 8,00 करोड़ है, उन्होंने वर्ष 1973 और 1974 में क्रमश: 35,00 करोड़ और 14,00 करोड़ की सिगरेट बनायें ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि हाल में उनकी लाइसेंससुदा क्षमता संशोधित करके क्रमश: 36,00 करोड़ और 16,00 करोड़ कर दी गई थी और यह इंडिया टोबैको कम्पनी और वजीर सुल्तान कम्पनी को 25 प्रतिशत सामान्य अधिक उत्पादन की अनुमति को ध्यान में रखते हुए यह प्रभावी रूप से क्रमश: 45,00 करोड़ और 20,00 करोड़ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क), (ख) और (ग) : इन दोनों कम्पनियों का वर्ष 1973 और 1974 का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

	1973	1974
इंडिया टोबेको कम्पनी	33,574	32,077
वजीर सुल्तान एण्ड कम्पनी	133,930	12,856

इण्डिया टोबैको कम्पनी और वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी उद्योग विकास एवं विनियम अधिनियम की धारा 10 के अधीन जारी किए गए पंजीयन प्रमाण-पत्रों के अधीन सिगरेटों का उत्पादन कर रही थी जिसमें क्षमता का उल्लेख नहीं किया गया था। किन्तु संशोधित उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1973 के अनुसार पंजीयन प्रमाण-पत्र 1976 में निम्नलिखित क्षमता का पृष्ठांकन किया गया था :—

मे० आई० टी० सी० लि० . . . . 3600 करोड़ संख्या।

मे० वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी . . . 1600 करोड़ संख्या।

सरकार की सामान्य औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस अथवा पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त कम्पनियों को कुछ शर्तों के आधार पर उनमें उल्लिखित क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है।

कलकत्ता की तुलना में दिल्ली में बिजली संकट

2045. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को कलकत्ता की तुलना में अधिक गम्भीर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो बदरपुर, दिल्ली में एक अन्य बिजली एकक की स्थापना करके दिल्ली को कलकत्ता की अपेक्षा अधिक महत्व देने का क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भाखड़ा प्रणाली से जल-विद्युत की सहायता मिलने के कारण, विद्युत की उपलब्धता के बारे में दिल्ली की स्थिति कलकत्ता की स्थिति से थोड़ी सी अच्छी है। बदरपुर ताप-विद्युत केन्द्र एक क्षेत्रीय केन्द्र है जो दिल्ली की मांग को पूरा करने के उपरान्त पडोसी राज्यों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, को सहायता प्रदान करता है। उत्तरी क्षेत्र की दिर्घावधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बदरपुर में 210 मेगावाट का विस्तार हाल ही में स्वीकृत किया गया है। कलकत्ता के भार में वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता स्वीकृत की गई है/की जा रही है।

कोयला उद्योग को हुई हानि

2046. **श्री समर मुखर्जी :**
श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण को बाद इस उद्योग के 140 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) इस भारी धनराशि की हानि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अकुशल प्रबंधकों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) कोयले के मूल्य में वृद्धि किये बिना ही कोयला उद्योग में हुई इस हानि को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) अंतिम लेखों से यह पता चलता है कि 31-3-77 तक का संचित नुकसान लगभग 182 करोड़ रुपए है ।

(ख) नुकसान के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(i) "राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता"—जिसके कारण इस कम्पनी को अधिक मजदूरी देनी पड़ रही है—1 जनवरी, 1975 से ही लागू हो गया जबकि कोयले की कीमत में 1 जुलाई, 1975 से संशोधन किया गया ।

(ii) कोयले की कीमत में 1 जुलाई, 1975 से संशोधन करते समय सरकार ने केवल रु० 17.85 पैसे प्रति टन मूल्य वृद्धि करने की अनुमति दी, यद्यपि इस समस्या का अध्ययन करने वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने कोयले की उत्पादन लागत के आधार पर रु० 21.80 प्रति टन कीमत बढ़ाने की सिफारिश की थी ।

(iii) यह कीमत निर्धारित करते समय कोयले की जितनी मांग बढ़ने की आशा की गई थी, वास्तव में मांग उतनी नहीं हुई ।

(iv) उत्पादन लागत बढ़ गई है जिसके कारण—बोनस के स्थान पर अनुग्रह भुगतान, भंडार सामग्री, मशीनरी, बिजली और उत्पादन के अन्य साधनों की लागत में वृद्धि ।

(ग) इस नुकसान के कारण ऐसे हैं जिन पर प्रबंध मंडल का कोई वश नहीं है ।

(घ) कोयले जैसे बुनियादी ईंधन की कीमत में वृद्धि के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि फिलहाल कोयले की कीमतों में कोई वृद्धि न की जाए । फिर भी, कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे किफायत हो, कार्यकुशलता बढ़े और उत्पादन लागत में कमी हो ।

यमुना नगर और जगाधरी में कोयले की कमी

2047. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यमुना नगर तथा जगाधरी को कोयले की गम्भीर कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) वहां पर स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार यमुना नगर और जगाधरी में कोयले की अत्यधिक कमी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी विभागों में सचिवों की सेवा निवृत्ति आयु

2048. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के कुछ विभागों में सचिव 60 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे विभाग कौन से हैं जहां ऐसा नियम विद्यमान है ;

(ग) क्या सरकार उन्हें बदलने तथा दूसरे सरकारी विभागों के समान बनाने के बारे में विचार कर रही है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो किस तारीख से ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क), (ख), (घ) तथा (ङ)। परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलक्ट्रोनिकी विभागों में अस्थायी नियुक्तियों के मामले को छोड़कर वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् ।

कार्यात्मक क्षेत्रों में पदों का भरा जाना

2049. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन्** :
श्री सुब्रहमण्यम स्वामी :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग के इस विचार को स्वीकार न करने का निर्णय किया था कि कार्यात्मक क्षेत्रों (फंक्शनल एरिया) में सभी पद पूर्णतया तकनीकी कर्मचारियों द्वारा भरे जाने चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अन्य सिफारिशें कौन सी हैं जिन्हें अब तक स्वीकार नहीं किया गया था लेकिन जिन्हें सरकार द्वारा अब स्वीकार किया जा रहा है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार करके प्रशासन में आमूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने 17-11-77 को लोक सभा के पटल पर एक विवरण पहले ही रख दिया है, जिसमें प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार निर्णय के ब्यौरे दिए गए हैं। जहां तक कार्मिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का संम्बन्ध है, तब से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

तमिल फिल्मों में अश्लीलता

2050. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने तमिल फिल्मों में 'चुम्बन' को अनुमति देने के प्रयासों के विरुद्ध चेतावनी दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी अन्य राज्यो ने भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं, ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इस आशय का समाचार समाचार पत्रों में छपा था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुच्छेद 370 में परिवर्तन उसको हटाना

2051. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :**
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री ने कलकत्ता में यह वक्तव्य दिया है कि "जम्मू और कश्मीर के लोगों की सहमति के बिना अनुच्छेद 370 में परिवर्तन नहीं किया जा सकता अथवा उसे हटाया नहीं जा सकता" ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) सरकार ने इस आशय की समाचार रिपोर्ट जो फरवरी, 1978 में प्रेस में प्रकाशित हुई थी देखी है ।

(ख) जैसा कि 29 जून, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2144 के उत्तर में पहले कहा गया था सरकार का संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का विचार नहीं है ।

वर्ष 1975–76 से 1977–78 के दौरान कोयले का उत्पादन

2052. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कोयले का उत्पादन कितना हुआ और वर्ष 1977-78 का अनुमानित उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या वर्ष 1977 में कोयले के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ग) गत वर्ष दैनिक औसत उत्पादन की तुलना में इस समय कोयले का दैनिक औसत उत्पादन क्या है ; और

(घ) क्या कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने और कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) कोयले का पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ उत्पादन तथा 1977-78 का अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टनों में)

1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
88.41	99.69	101.04	101

(ख) और (ग) : कोयला खानों में बिजली की सप्लाई में व्यवधान, गोमिया की विस्फोटक पदार्थ फैक्टरी में हड़ताल और असामान्य भारी वर्षा के कारण 1977–78 के दौरान उत्पादन में कुछ कमी हुई। कोयले का उत्पादन बढ गया है और जनवरी 1978 में औसत दैनिक उत्पादन दर 3.75 लाख टन हो गई जबकि जनवरी, 1977 में यह 3.63 लाख टन थी।

(घ) कोयला उत्पादन को बढाने के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप औसत उत्पादन दर फरवरी 1978 में 3.93 लाख टन हो गई है जब कि यह दर नवम्बर 1977 में 3.13 लाख टन थी। कोयले की मांग को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा।

योजना प्राथमिकताओं में परिवर्तन

2053. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 3 फरवरी, 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "रैडिकल चैनजिज़ इन प्लान पिरियरिटी एसेन्सल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है जिसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया था कि यदि आगामी दशक में मूल सेवाओं को निर्धनतम वर्ग तक पहुंचाने के वचन को पूरा करना है तो योजना प्राथमिकताओं में आमूल परिवर्तन करना होगा ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि देश में सामाजिक सेवाओं में विस्तार से जनता को अब तक अनुपातिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) योजना आयोग रोजगार के अवसरों को बहुत अधिक बढ़ाने और गरीबी को कम करने के उद्देश्यों पर आधारित 1978-83 के लिए पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर रहा है। सरकार यह आशा करती है कि आयोग ऐसे उपाय सुझाएगा जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि लोगों के सबसे अधिक गरीब वर्गों को एक निश्चित समयावधि में कुछ मूल सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएं। इस योजना के प्रारूप पर जल्दी ही राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया जाने वाला है।

अमेठी में श्री संजय गांधी की जीप पर गोली चलाई जाने की कथित घटना की जांच

2054. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मार्च लोक सभा चुनावों के पूर्व अमेठी के निकटत श्री संजय गांधी की जीप पर गोली चलायी जाने की कथित घटना के संबंध में जांच पूरी हो गई है और केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने इसे निराधार पाया है ;

(ख) क्या इस घटना के संबंध में भूल-चूक के लिए उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) जी, हां श्रीमान्।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार इस घटना के संबंध में अमेठी जिले के किसी न्यायिक अधिकारी को भूल-चूक का दोषी नहीं पाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Setting up of a Committee to go into the loss incurred by Coal India Limited

2055. **Shri Subhash Ahuja**: Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether a Committee is proposed to be constituted by Government to go into the losses incurred by the Coal India Ltd.;

(b) if so, when; and

(c) the area-wise break-up of losses incurred by the Coal India Ltd.

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) and (b): No Sir. A committee is however studying the possibility of economies in the cost of production of coal.

(c) The area-wise break-up of losses incurred by Coal India Limited is not available but the company, as a whole is estimated to have suffered an accumulated loss of about Rs. 182 crores till 31-3-1977.

Survey regarding coal reserves in Betul District of Madhya Pradesh

2056. **Shri Subhash Ahuja**: Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Government are conducting a survey of the coal reserves in Betul district in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the time by which mining of coal would be started in such coal reserves?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) & (b): Yes, Sir. The coal reserves in the area are already under exploitation and detailed exploration is going on for planning new mines. It is likely that additional new mines may be taken up for exploitation in 1980-81.

Mining of Coal in Dhanbad (Bihar)

2057. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state whether some of the colonies in Dhanbad town (Bihar) are proposed to be vacated to facilitate mining of coal in coal mines in Dhanbad?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): No, Sir.

प्राक्कलन समिति का अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के लिए तकनीकी संगठन

2058. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने 1969 में अपने 74 वें प्रतिवेदन में खेद के साथ यह कहा था कि अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास में सब से बड़ी रुकावट राज्यों में तथा केन्द्र में आवश्यक तकनीकी संगठनों का न होना है;

(ख) यदि हां तो, इस बारे में उसने क्या सिफारिशें की;

(ग) क्या केन्द्र ने उनकी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां, ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग), (घ) और (ङ) : केन्द्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय में तकनीकी पदों में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है। जहां तक राज्यों का संबंध है प्रत्येक राज्य सरकार में पृथक संगठन पृथक सेलों जिन्हें पृथक रूप से अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बंधी मामलों के लिए जिम्मेदारी ठहराया जा सके, के गठन की आवश्यकता पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है और राज्य सरकारों पर जोर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी संबंधित राज्य सरकारों ने अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बधी मामलों से निपटने के लिए अपने पृथक संगठनों सेलों का गठन किया है। शेष राज्य सरकार अर्थात जम्मू और कश्मीर सरकार से वैसी ही कार्यवाही करने के लिए कहा गया है ।

विवरण

प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिशें नीचे उद्धृत की गई है :--

समिति को सूचित किया गया है कि मार्च, 1967 में निदेशालय को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड को निदेशालय में मिला दिया गया। हाल ही में गठित की गई अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की सिफारिशों के आधार पर अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय को और अधिक शक्तिशाली बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। समिति को आशा है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी सिफारिशों पर शीघ्रता से जांच की जाएगी और जो मंत्रालय द्वारा स्वीकार की जाएगी बिना किसी विलम्ब के कार्यान्वित की जाएगी।

(सिफारिश सं० 5)

(ii) समिति ने इस पर खेद प्रगट किया है कि यद्यपि अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति (1959) ने साफ साफ शब्दों में बताया कि राज्यों में तकनीकी संगठनों के अभाव के कारण ठोस आधार पर अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास में कावट आई, तथापि मंत्रालय में इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । समिति को यह बताया जाने पर दुख हुवा है कि अब भी अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास का एक मुख्य कारण राज्यों तकनीकी संगठनों का अभाव है और ऐसे संगठनों के अभाव के कारण किसी ठोक प्रकार की क्षेत्रीय परियोजनाओं को नहीं तैयार किया जा सका, जिसमें कि जलमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण, यातायात सर्वेक्षण इत्यादि की विस्तृत लागत का उल्लेख किया। समिति यह कह ने के लिए बाध्य है कि मंत्रालय जो कि अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास तथा अन्य परिवहन साधनों के साथ उपयुक्त समन्वय के लिए जैसा कि होना चाहिए था, ने आवश्यक ध्यान नहीं दिया है जैसा कि राज्यों में ठोस तकनीकी संगठनों के गठन के प्रश्न पर दिया जाना चाहिए था । समिति का विचार है कि मामले में संबंधित राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए थी ।

(सिफारिश सं० 13)

(iii) समिति ने देखा है कि जन, 1968 में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर राज्य के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलनों के पश्चात, कुछ राज्यों ने पहले ही उपयुक्त संगठनों अथवा कम से कम अलग से सेलों के गठन पर कार्यवाही करती है जिन्हें कि अन्तर्देशीय जल परिवहन योजनाओं के निर्माण तथा उनके कार्यान्वियन के लिए अनन्य रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सके । समिति को आशा है कि यदि आवश्यक हुआ तो अन्य राज्य सरकारों को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वियन के संबंध में संगठनों को और मजबूत करने को कहा जाएगा ।

(सिफारिश सं० 4)

अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, पटना में कार्य कर रहे कर्मचारी

2059. **श्री शामप्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, पटना में नैमित्तिक रूप से कार्य कर रहे सभी अस्थायी कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को स्थायी तथा नियमित आधार पर रखने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइवेट पार्टियों को किराए पर दिए गए अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के जहाज

2060. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के, कुछ जहाज कुछ प्राइवेट पार्टियों को परिचालन के लिए किराए पर दिए जाएंगे अथवा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भगवती समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विरुद्ध नहीं है,

(ग) क्या सरकार अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के जहाजों के लिए अपनी स्वयं की वर्कशाप स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) उक्त (क) के उत्तर के कारण प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) कार्यशाला की स्थापना लाभप्रद नहीं पाई गई है ।

गैस टर्बाइन जेनरेटरों के लिये परियोजनाओं की स्थापना करना

2061. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने गैस टर्बाइन जेनरेटरों के लिए कुछ परियोजनाएं स्थापित करने का उनसे अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित स्थानों पर गैस टर्बाइन जेनरेटरों की प्रतिष्ठापना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने एक प्रस्ताव भेजा है :—

1. गौरीपुर . . .	1 × 20 मेगावाट
2. हल्दिया	2 × 15 मेगावाट
3. सिलीगुड़ी	2 × 15 मेगावाट

तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन के लिए परियोजना का मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में किया जा रहा है ।

Employees in dry dock in Vishakhapatnam

2062. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of temporary employees engaged in the work being carried on by M.E.S. on dry dock in Vishakhapatnam and the action taken by Government to confirm them; and

(b) whether Government are considering a proposal to construct residential quarters for these employees and if so, by what time?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The number of employees engaged on contract by the MES for the Dry Dock project in Visakhapatnam was :

(i) Unskilled—1055 Nos.

(ii) Skilled—409 Nos.

Although there was no contractual obligation on the part of Government to provide continued employment to these personnel, on humanitarian grounds and as a special case, it was decided in July 1977 to absorb suitable surplus personnel in equivalent or lower posts, subject to certain conditions of eligibility, in the Naval Dockyard, Visakhapatnam or other Defence Establishments.

(b) Over 500 units of temporary single accommodation have been provided for these employees.

अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए धनराशि

2063. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए अधिक धनराशि नियत करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1977-78 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए स्वीकृत अनुदान की रकम 4603 लाख रुपये है, जब कि इसके लिए पिछले वर्ष 4114.25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे ।

आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों की इमारतों का निर्माण

2064. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों की अपनी इमारतें हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी इमारतों का निर्माण करने के लिए धनराशि उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जैसे कि लोक सभा के 13-7-77 के अतारांकित प्रश्न सं० 3411 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, आकाशवाणी के आन्ध्र प्रदेश में चार केन्द्र हैं जो हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापतनम तथा कुड़प्पा में हैं । हैदराबाद और विजयवाडा में सभी तकनीकी प्रतिष्ठापन आकाशवाणी के अपने भवनों में है । विशाखापत्तनम और कुड़प्पा में ट्रान्समीटर और संग्रहण केन्द्र आकाशवाणी के अपने भवनों में हैं, किन्तु अन्तरिम स्टुडिओ सुविधाओं की व्यवस्था किराये के भवनो में है । हैदराबाद में प्रशासनिक कार्यालयों का कुछ भाग और अन्य तीन केन्द्रों पर समूचा कार्यालय ढांचा फिलहाल किराये की जगहों में है ।

(ख) विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में स्थायी स्टुडिओ स्थापित करने तथा हैदराबाद में अतिरिक्त कार्यालय स्थान का निर्माण करने की योजनाओं के कार्यान्वयन का काम पहले ही चल रहा है । कुड्डपा में स्थायी स्टुडिओ की स्थापना की योजना अनवरत योजना (1978-83) के मसौदे में शामिल कर ली गई है । किन्तु इसका कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धि तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

बैलगाड़ी में सुधार करने के लिए अनुसंधान

2065. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैलगाड़ी में सुधार करने के लिए जो अनुसंधान किया जा रहा था, उसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर और केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जैसे विभिन्न संगठनों ने बैलगाड़ियो में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर अभी हाल ही में विचार किया है, और भारत सरकार ने भी नौवहन और परिवहन मंत्रालय में इस विषय पर अनुसंधान कार्य में समन्वय करने के लिए एक स्टीयरींग ग्रुप का गठन किया है । परन्तु चूंकि यह कार्य अभी हाल ही में शुरु किया गया है, इतनी जल्दी किन्हीं विशेष परिणामों की आशा नहीं की जा सकती ।

'समाचार' को समाप्त करना

2066. **श्री आर० के० महालगी :**
श्री एडुआर्डो फैलीरो :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के 'समाचार' को समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) उसके पूर्ण कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) उक्त कारणों को हटाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है और कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) समाचार एजेंसियों ने 15 अप्रैल, 1978 से स्वतन्त्र रूप से काम शुरू करना मान लिया है ।

(ख) सरकार की जानकारी के अनुसार देरी के कारण वित्तीय तथा परिचालन दोनों हैं ।

(ग) समाचार एजेंसियां स्वतन्त्र रूप से काम शुरु कर सकें, इसके लिए सरकार ने पहले ही कुछ आर्थिक सहायता मंजूर कर दी है । समाचार एजेंसियों की प्रार्थना पर सरकार ने कोई भी और आर्थिक सहायता देने के प्रश्न की जांच करना मान लिया है ।

आपात स्थिति के दौरान अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किए गए सरकारी कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण

2067. **श्री आर० के० महालगी :**
श्री एस० एस० सोमानी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आपात् स्थिति के दौरान अनिवार्य रुप से सेवा निवृत्त किए गए अपने विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों के बारे में पुनरीक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) : अनुमानतः भाग (क) में संदर्भ उन समयपूर्व सेवानिवृत्तियों से है, जिनके आदेश आपात् स्थिति के दौरान दिए गए थे। इस बात के अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं कि केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों को आपात् स्थिति के दौरान समयपूर्व-सेवानिवृत्त कर दिया गया था, उनसे अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उनके मामलों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। यह पुनरीक्षा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में बहुत से समुचित प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 3281 कर्मचारियों की बहाली के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बेलगाम नगर का दर्जा

2068. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि बेलगाम नगर और अन्य पड़ौसी सीमावर्ती क्षेत्रों के दर्जे के प्रश्न पर कर्नाटक और महाराष्ट्र की जनता और सरकारों के बीच गत्यवरोध और तनाव बना हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या का उचित संतोषजनक समाधान कराने की दृष्टि से सरकार का विचार इस विषय में कोई नया तथा तत्काल प्रयास करने का है ;

(ग) यदि हां, तो कैसे और कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) : सरकार का इस विवाद के संबंध में दावों तथा प्रतिदावों का जानकारी है। परन्तु जैसा 23 नवम्बर, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1242 के उत्तर में बताया गया था, सरकार इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए वर्तमान समय को उचित नहीं समझती जब तक कि संबंधित राज्य सरकारें परस्पर स्वीकार्य प्रस्ताव नहीं लाती।

स्टाफ और नैमित्तिक कलाकारों को नियमित करना

2069. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में काम करने वाले नैमित्तिक कलाकारों अथवा संविदा कर्मचारियों अथवा दोनों की सेवाओं को नियमित करने के लिए ठोस एवं प्रभावी उपाय कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ;

(घ) क्या यह सच है कि विभिन्न केन्द्रों पर आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के स्टेशन निदेशक नैमित्तिक आर्टिस्टों और/अथवा संविदा कर्मचारियों को प्रत्येक 14 दिन के पश्चात् सेवा में अन्तराल दे रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में अपने आश्वासन से पीछे नहीं हट रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क), (ख) और (ग) : सामान्यतया नैमित्तिक कलाकार विशिष्ट कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अल्पकालिक ठेके पर लगाये जाते है। अतः सामान्यतया उनको नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता।

तथापि, कुछ नैमित्तिक कलाकार इस रूप में गत कुछ वर्षों से आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम कर रहे हैं। सावधानी पूर्वक विचार करने बाद एक यह प्रस्ताव तैयार किया गया है कि जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 365 दिन की कुल अवधि के लिए अथवा इन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में 240 दिन काम किया है, उनको नियमित करने के बारे में विचार किया जाए बशर्ते कि वे अन्यथा सभी पहलुओं में उपयुक्त हो और सभी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी इस प्रस्ताव से सहमत हो जाएं। इस प्रकार के पात्र नैमित्तिक कलाकारों की कुल संख्या 137 है (आकाशवाणी-62, दूरदर्शन-75)।

(घ) नैमित्तिक कलाकारों के ठेके की सामान्य समयावधि 14 दिन की होती है। सामान्यतया ठेका लगातार जारी रहने वाला नहीं होता।

(ङ) जी, नहीं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का कार्य

2070. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खादी ग्रामोद्योग आयोग का कार्य अधिक खर्चीला अकुशल और सामान्यतया असन्तोषजनक होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार का इस बारे में नीति में और/अथवा उक्त खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कमचारियों में कोई परिवर्तन करने का विचार है और यदि हां, तो वे परिवर्तन क्या क्या हैं और उन्ह कब लागू किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का 31 मार्च, 1980 तक 3 वर्ष के लिये पुनर्गठन किया गया है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में किये जाने हेतु कुछ संशोधन सरकार के विचाराधीन है। नई औद्योगिक नीति के अनुसरण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिये आयोग की गतिविधियों को दृढ तथा सधन बनाने का सरकार का इरादा है।

ब्रिटिश शिपिंग मिशन का भारत का दौरा

2071. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी, फरवरी, में एक ब्रिटिश शिपिंग मिशन ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे का प्रयोजन क्या था, यहां पर आने वाले विशेषज्ञों के नाम क्या थे और भारत में उनके समकक्ष अधिकारियों के साथ हुई उनकी बातचीत की मोटी बातें क्या है और वे यहां किस स्थान पर गए ;

(ग) क्या इस दौरे के परिणाम स्वरूप कोई समझौते किए गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : जनवरी-फरवरी, 1978 में, छः बड़े ब्रिटिश शिपयार्डों के अध्यक्षों/महानिदेशकों, जहाज के दलालों के फार्म और जहाज निर्माताओं के मुख्यालय ज कर्मचारियों के एक एक प्रतिनिधि के आठ सदस्यीय दल ने भारत का दौरा किया। दौरा करने वाले दल का प्रयोजन भारतीय व्यापार पोत विकास की योजनाओं को तथा भारत वर्ष में आने वाले वर्षों में जहाज बिक्री करने की संभावना को अभिनिश्चित करना था। दल ने पोत वरियकों से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में संबंधित सरकारी विभागों में विचार विमर्श किया ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई के निकट भारतीय मालवाहक जहाज एम० वी० रेडियन्ट का डूब जाना

2072. **श्री जी० एम० बनातवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन जाने वाला एक भारतीय मालवाहक जहाज एम० वी० रेडियन्ट 20 फरवरी, 1978 को बंबई के निकट डूब गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके फलस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(ग) इस घटना के क्या कारण थे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां ।

(ख) जहाज के स्वामियों के एजेन्टों (कोलिस लाइन प्राइवेट लि०) से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने 9.8 मिलियन (ध्वंस पोत को हटाने की लागत सहित) तक के मुआवजे के लिए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है । गैर आवेदक निम्नलिखित है :—

(1) के० टो० माइकेल, मास्टर आफ अलतोना ।

(2) ग्रीन रिवर कारपोरेशन—ओनर आफ अलतोना ।

(3) बेलग्रेविया मेरीटाइम कंपनी लि० जहाज के मैनेजर ।

(4) ज० एम० बक्सी एन्ड कंपनी लि०—जहाज के बंबई एजेन्ट ।

(ग) ग्रीक जहाज एम० वी० अलतोना के साथ टक्कर के कारण ।

छोटे राज्य

2073. **डा० सुशीला नायर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे राज्यों ने बड़े राज्यों की तुलना में अधिक तेजी से प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ बड़े राज्यों को छोटे राज्यों में बांटने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जैसा कि 6 जुलाई, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2771 के उत्तर में कहा गया है राज्य के आकार का उस राज्य के उत्पादन अथवा समृद्धि अथवा प्रगति से कोई संबंध नहीं होता ।

(ख) इस समय सरकार ऐसा किसी प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से विचार नहीं कर रही है।

ठंडा ताजा नीरा तैयार करने के लिये एकक

2074. **डा० सुशीला नायर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठंडे ताजे नीरा को 'टोडी' पेय के वकल्पिक पेय के रूप में तैयार करने के लिये इस समय कितने एकक कार्यरत हैं और ऐसे प्रत्येक एकक पर कितना खर्च आता है ;

(ख) क्या ताजे नीरा से "ताड़ गूड़" बनाने वाले वर्तमान एककों का विस्तार करने, उनकी क्षमता और उनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) मद्यनिषेध के कारण बेरोजगार हुए 'टेपरों' के लिये वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने के बारे में अन्य क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) विभिन्न राज्यों में ताजे नीरे के 89 ठंडे एकक हैं जिन्हें 1976-77 में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की सहायता से स्थापित किया गया था । एकक की क्षमता के अनुसार प्रत्येक नीरा एकक का व्यय भिन्न है जो कि क्षमता पर निर्भर होता है । प्रतिदिन 500 लिटर नीरा बाटने वाले एकक के लिये 1.55 लाख रुपये का पूंजीगत तथा 20,000 रुपये कार्यकारी पूंजी के रूप में खर्च आता है । 300 लिटर प्रतिदिन के वितरक एकक में पूंजीगत व्यय 70,000 रुपये तथा 12,000 रुपये की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। नीरा की किस्म तथा उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार कम क्षमता वाले एककों में कम निवेश की आवश्यकता पड़ती है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के ताड़गुड़ तथा अन्य ताड़ उत्पाद कार्यक्रम में विद्यमान एककों की क्षमता का विस्तार तथा नीरा एवं ताड़गुड़ बनाने के नये एकक स्थापित करने का विचार है ।

1978-79 की अवधि में 34 अतिरिक्त नीरा वितरक एकक तथा 8 ताड़खण्ड के एकक स्थापित करने का विचार है । ताड़गुड़ तैयार करने वाले 6000 उत्पादकों को सहायता भी प्रदान की जायेगी ।

(ग) मद्यनिषेध के कारण बेरोजगार हो जाने वाले नीरा जमा करने वालों के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अपने ताड़गुड़ तथा ताड़ उत्पादों के अन्य विकास कार्यक्रमों में लाभप्रद काम देने का प्रयास करेगा ।

आपात स्थिति के दौरान ज्यादतियां

2075. डा० सुशीला नायर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों के विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिये अनुरोध अभी तक विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ज्यादतियों के लिये जिम्मेदार कुछ व्यक्ति अब महत्वपूर्ण पदों पर हैं और प्रस्तावित जांच के प्रयास को विफल कर रहे हैं ; और

(ग) पीड़ित व्यक्तियों के साथ न्याय करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख) तथा (ग) : आपातस्थिति में की गई ज्यादतियों के मामलों की जांच शाह आयोग कर रहा है । शाह आयोग की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ही यह पता लगाना संभव होगा कि ज्यादतियों के लिए कौन जिम्मेदार है, तथा आगे क्या कार्रवाई की जाए । जांच को विफल करने के प्रयासों की कोई रिपोर्ट नहीं है ।

Rural Electrification Schemes in Gujarat

†2076. **Shri Dharmasinbhai Patel :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the rural electrification schemes of Junagadh, Rajkot and Jamnagar districts of Gujarat pending for approval now and since when ;

(b) the expenditure involved in each of these schemes and the number of villages to be covered under each scheme ; and

(c) the reasons for delay in according approval ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) : Five Rural Electrification schemes of Junagadh, Rajkot and Jamnagar Districts in Gujarat were pending consideration with the Rural Electrification Corporation as on 1st March, 1978. The details of pendancy are given in the enclosed Statement I.

(b) The expenditure involved in each scheme and the number of villages covered by each scheme are given in Statement II attached.

(c) The first four schemes mentioned in reply to part (b) of the question returned by the Rural Electrification Corporation to the State Electricity Board for revision. They were returned to the Corporation between 26-12-1977 to 8-2-1978. The fifth scheme was received only on 6-1-1978.

Statement—A

Sl. No.	Name of the Scheme	Date of receipt (original)	Dates of inspection of the Scheme area	Date of appraisal comments communicated	Date of receipt of the revised Scheme
1.	RE Scheme in Kutiyana taluk in Junagarh district.	29.7.77	12/77	8-1-1978	8-2-78
2.	RE Scheme in Ranavav taluk in Junagarh district.	27.10.77	12/77	8-1-78	8-2-78
3.	RE Scheme in Wankamar taluk in Rajkot district	21.7.77	11/77	24-12-77	24-1-78
4.	RE Scheme in Bhanvad taluk in Jamnagar district.	11.4.77	7/77	22-9-77	26-12-77
5.	RE Scheme in Khambalia taluk in Jamnagar district.	6.1.78	..	...	..

Statement—B

Sl. No.	Name of the Scheme	Cost of the scheme (Rs. lakhs)	Loan Outlay (Rs. lakhs)	No. of Villages covered
1.	RE Scheme in Kutiyana taluk in Junagarh district.	24.14	23.19	37 (including 24 electrified villages)
2.	RE Scheme in Ranavav taluk in Junagarh district.	27.10	26.09	28 (including 17 electrified villages)
3.	RE Scheme in Wankamar taluk in Rajkot district.	50.40	46.66	56 (new villages)
4.	RE Scheme in Bhanvad taluk in Jamnagar district.	42.05	39.76	66 (including 30 non-potential)
5.	RE Scheme in Khambalia in Jamnagar district.	91.38	85.79	51 (new villages)

Setting up of Mineral, Forest and Salt based industries in Gujarat

2077. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the names and number of mineral, forest and salt based industries set up so far and proposed to be set up now in Gujarat ;

(b) whether feasibility or setting up these industries has been examined and if so, when and the details thereof or whether feasibility thereof is proposed to be examined and if so, when and the manner in which it is proposed to be examined ; and

(c) whether a demand in this regard has been received from Gujarat and from other quarters and if so, when and the details thereof as also the action taken thereon so far ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) to (c): Details of names and number of mineral, forest and salt based industries set up so far and proposed to be set up in the States are not centrally maintained. Details of Letters of Intent and Industrial Licences issued are published in the "Monthly List of Industrial Licences and Letters of Intent issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951" and "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences". Copies of these publications are available in the Parliament Library.

There is a regular prescribed procedure for preparation and scrutiny of feasibility report for inclusion in the Five Year Plans. Schemes/Projects are included in the Plan after the procedures have been followed. The proposals sent by the State Government are considered at the time of formulation of the Annual Plans.

As regards the industrial development in the mineral, forest and salt based industries sector the following details are given regarding the steps taken to promote the growth of industries. The Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar have developed processes for production of Bromine, Pottassium Salt and Magnesium products based on bitterns. The efforts of the Institute are expected to contribute to the growth of salt based industries. The Government of Gujarat have set up the Gujarat State Forest Development Corporation Ltd., Baroda and one of the main functions of this Corporation is to undertake proper and scientific exploitation of forest products in the State of Gujarat for the purpose of improving qualitative and quantitative yields of various products and for development of industries based on forest products. As regards mineral based industries, the existing important mineral based industries include cement and fertilizer units, ceramic units, glass and refractory units, units manufacturing asbestos cement products, ferro-alloys plant and a number of chemical units. The capacity of the Gujarat Refinery is going to be expanded from 4.3 million tonnes by another 3 million tonnes and the expansion project is expected to be completed by mid-1978. It is also being provided with secondary processing facilities, at a total estimated cost of Rs. 40.11 crores and the project is expected to be completed by December, 1980. The feasibility report by Messers. RTZ Consultants for the Ambaji Multimetal Project which is related to the mining of copper, lead and zinc ores from the Ambaji deposits has been prepared. The project is proposed to be set up in the State sector.

State-wise production of Salt and Central assistance

2078. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the State-wise quantity of salt produced in 1976-77 and the estimated production of salt in 1977-78 and 1978-79;

(b) the nature of assistance given by the Central Government for increasing the salt production and to whom it is given and in what manner;

(c) the nature of Central excise duty or tax levied on the salt production and industries at present; and

(d) whether there is any proposal to reduce the excise duty or tax levied in salt if not, the reasons therefor?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) A statement is attached.

(b) Assistance out of cess proceeds in the form of grants is provided to Salt Licensees, generally, in partnership with the State Governments/Zilla Parishad/ Panchayat Samiti for the execution of the developmental and labour welfare

works connected with the Salt Industry. The extent of assistance is 50% of the total cost involved in case of major single licensee (covering more than 100 acres), and two thirds of the cost in case of multiple licensees, single medium licensees (covering between 10 and 100 acres) and small scale licensees (covering and up to 10 acres) and co-operative societies. In exceptional circumstances, certain labour welfare or community developmental works or construction of godowns for compulsory storage of salt can be financed entirely out of cess proceeds. Whenever salt works are affected by natural calamities such as cyclones, floods, rains, etc., assistance in the form of *ex-gratia* grant and rehabilitation loans is provided to the manufacturers.

Loans are also provided to licenced salt manufacturers for development purposes, e.g., establishment/expansion of salt factories, effecting improvements to the salt factories and supply of water to labourers engaged in such factories.

(c) No excise duty or tax is levied on salt. However, a cess is levied on salt manufactured at the rate of 14 paise per 40 Kgs. The cess is reduced to one-half on the salt manufactured in salt works having an area of more than 4.04686 Hectares but not exceeding 40.4686 Hectares, and that manufactured by co-operative societies whose each individual member holds more than the area specified above. The following types of salt manufacture is totally exempt from the payment of cess :—

(i) Salt exported by sea to foreign countries.

(ii) Salt despatched to Nepal through State Trading Corporation of India Limited,

(iii) Salt manufactured in salt works whose area does not exceed 4.04686 Hectares,

(iv) Salt manufactured in salt work operated by a co-operative society whose each individual Member holds an area not exceeding the limit in (iii) above.

(d) There is no proposal before the Central Government to reduce the salt cess.

Statement

State	Actual Production (in '000 tonnes)		Estimated Production (in '000 tonnes)
	1976	1977	1978
Gujarat	1485·9	2926·3	3200·0
Tamil Nadu	1540·0	1156·4	1540·0
Maharashtra	449·2	556·4	560·0
Rajsthan	164·5	339.8	350·0
Andhra Pradesh	307·5	280·7	310.0
Orissa	84.4	37.4	82.0
Karnataka	20.2	9.2	20.0
West Bengal	15.4	10·2	15·0
Himachal Pradesh	4.5	3.9	5.0
Goa, Daman & Diu	3.7	8.1	8.0
Pondicherry	1.1	0.1	1.0
Total	4076.4	5328.5	6091.0

Production and Distribution of Scooters

2079. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the figures of production and distribution of each make of scooter in the country, State-wise, during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 as also the figures estimated for 1977-78 and 1978-79 ;

(b) the number of persons on the waiting list for scooters at present, State-wise ; and

(c) whether Government have any scheme to meet the demand for scooters and if not, the reasons therefor and when public demand will be met fully.

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) The required information in respect of production of various makes of scooters and their distribution state-wise during the last 3 years is given in the statements I & II attached. The estimated production during the 1977-78 and 1978-79 also has been indicated in statement-I. The state-wise distribution during these two years would be made by the manufacturers on the basis of demand.

(b) The control on distribution and sale of scooters has been removed with effect from 1-1-78. It was last applicable to only scooters manufactured by M/s. Bajaj Auto Ltd. and M/s. Maharashtra Scooters Ltd. in collaboration with M/s. Bajaj Auto Ltd. The information regarding waiting list is therefore only in respect of these makes of scooters and is given in statement III. **[Placed in Library.—See No. L.T. 1744/78].**

(c) As against the demand of 3,25,000 numbers of scooters estimated by 1978-79, 11 units with a total licensed capacity of 3,78,000 numbers are in production. In addition, licences have also been granted to seven parties for an additional capacity of 1,68,000 numbers. Thus the manufacturing capacity is adequate to meet demand. With the removal of distribution controls, it is expected that the responsiveness and development of scooter industry will be promoted and waiting period for preferred brands of scooters will be reduced.

Broadcasting of 20-Point Programme by various centres of AIR

2080. **Shri Ram Prasad Deshmukh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether in the 'Chintan' programme broadcast from various commercial cetres of the All India Radio on 9th January, 1978, the 20-Point programme and the former Prime Minister were eulogized ;

(b) if so, whether the present government has faith in that policy ;

(c) if not, whether the officers, who are expected to listen to this programme prior to its broadcast, have been held gulty therefor; and

(d) if so, the action taken against these officers of all the commercial centres ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) & (d): On the basis of a preliminary enquiry two persons have been suspended. A detailed enquiry is in progress and necessary action will be taken against the officers on the basis of the findings.

Supply of Aluminium to Rajasthan Aluminium Handicraft

2081. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the difficulty being faced by Rajasthan Aluminium Handicraft in getting aluminium; and

(b) if so, the steps taken in this regard?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अपनी लाइसेंस-क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाले उद्योग

2082. **श्री अधन सिंह ठाकुर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विनियमों एवं प्रक्रियाओं विषयक रामकृष्ण समिति ने विचार प्रकट किया है कि अनेक मध्यम एवं बड़े उद्योग ऐसी वस्तुओं के लिये जो अब लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिये आरक्षित हैं, अपनी अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक क्षमता का उपयोग कर रही हैं ;

(ख) यदि हां तो अपनी अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक क्षमता का उपयोग करने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) औद्योगिक विनियमन तथा कार्यविधि संबंधी अध्ययन दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया है कि "अनेक उत्पादों के संबंध में, जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित हैं, बड़े तथा मध्यम उद्योग पहले से ही इन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। यद्यपि इन वस्तुओं की अतिरिक्त क्षमता के लिए अब अनुमति नहीं दी जाएगी, तो भी यह सच है कि कुछ बड़े तथा मध्यम एककों में जहां तक उत्पादन का संबंध है, लाइसेंसीकृत क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन हो रहा है ।

(ख) पूरी तरह से लघु क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित कुछ उद्योगों में से जिन उपक्रमों में उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता से 25 प्रतिशत उत्पादन हुआ है वे टुथपेस्ट, कपड़े धोने का साबुन, बिजली के घरेलू उपकरण तथा बिस्कुट हैं ।

(ग) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित जिन वस्तुओं का उत्पादन बड़े क्षेत्र में होता है, उन्हें निम्नलिखित ढंग से विनियमित किया जाता है ।

(क) (1) पहले से लाइसेंस प्राप्त एककों को उनकी क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती।

(2) यदि कोई वस्तु औद्योगिक लाइसेंसीकरण कार्यविधि से मुक्त है और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है तथा किसी उद्यमी के आरक्षण की तारीख से पहले प्रभावी कदम उठाकर उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है तो उस मामले में कार्य करते रहने का लाइसेंस जारी किया जाता है ।

(ख) (1) रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों से कहा गया है कि वे उत्पादित क्षमता पृष्ठांकित करने के लिए अपने सर्टीफिकेट भेजें ।

(2) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं को बनाने के लिए तब तक नये औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किये जाते जब तक प्रस्ताव लगातार शत प्रतिशत निर्यात करते रहने के लिए न हो ।

23 दिसम्बर, 1977 को औद्योगिक नीति के बारे में दिये गये वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया गया है कि जहां बड़े एकक चाहे वे बड़े गृहों से संबंधित हों या न हो, किन्तु लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करने में पहले से ही लगे हुए हैं उन्हें क्षमता का विस्तार नहीं करने दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में टंगपाल में उद्योग स्थापित करना

2083. **श्री अधन सिंह ठाकुर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में टंगपाल में कोई उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कब और यह उद्योग कहां स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) उस उद्योग को अब तक स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क), (ख) और (ग) : मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के टंगपाल में सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने का निश्चय नहीं किया गया है । किन्तु मध्य प्रदेश सरकार बस्तर जिले के विकास के लिए आई०डी०ए० (विश्व बैंक से सम्बद्ध) की सहायता से लकड़ी उद्योगों पर आधारित एक विस्तृत संभाव्यता अध्ययन कर रही है बस्तर जिला भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र चुन लिया गया है और इसलिए यह पिछड़ा क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन सार्वधिक ऋणदाता वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त प्राप्त करने का पात्र है । तकनीकी आर्थिक आधारों पर केन्द्रीय औद्योगिक प्रायोजनाएं स्थापित की जाती है ।

समाचार पत्रों के स्वामित्व ढांचे में परिवर्तन

2084. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाचार पत्रों के स्वामित्व से संबंधित वर्तमान पद्धति के ढांचे को पुनर्गठित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो कि प्रेस की आजादी बनाये रखने में सहायक हों ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : इस समस्या को दूसरे प्रेस आयोग, जिसका शीघ्र ही गठन किए जाने की उम्मीद है, के अध्ययन के लिए सौंपने का प्रस्ताव है ।

एशियाई राजमार्ग परियोजना

2085. श्री के० लकप्पा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई राजमार्ग परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के अंश की भारत में कितनी लम्बाई है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या भारतीय अंश पूरा हो चुका है; और

(घ) यदि नहीं तो उसकी किस तारीख तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) : एशियन राजमार्ग परियोजना एक ऐसी योजना है जिसे एशियाई तथा प्रशान्त क्षेत्र के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग ने क्षेत्र के देशों को एक दूसरे से मिलाने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से संबंधित देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्गों के तंत्र के लिए तैयार किया है । इस समय इस योजना के अन्तर्गत 64,363 कि० मी० सड़के आती है जिसमें से 15,689 कि० मी० भारत में पड़ती है । प्राय भारत में एशियन राजमार्गो की पूरी लम्बाई राष्ट्रीय राजमार्गो के भाग हैं अथवा कुछ मामलों में राज्य सड़कों के भाग है केवल दो लुप्त कड़ियोंको छोड़कर जिसमें से एक पश्चिम की ओर भारत नेपाल की सीमा पर टनकपुर (उत्तर प्रदेश) में-लगभग 5 कि० मी० है और दूसरा पश्चिमी बंगाल में पूर्व की ओर भारत नेपाल की सीमा पर गलगलिया के पास लगभग 3 कि० मी० है । ये सभी मौजूदा सड़के है । यद्यपि गलगलिया के निकट को लुप्त कड़ी पर निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है । टनकपुर के निकट की लुप्त कड़ी नेपाल के मार्ग से जुडी हुई है । जिस पर अभी नेपाल सरकार ने काम शुरू करना है परन्तु भारत से अन्य मार्ग नेपाल में एशियन राजमार्ग तंत्र को जोड़ने के लिए उपलब्ध है ।

Expenditure on Sports and Sportsmen in the Ordnance Equipment Factory, Kanpur

2086. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total expendiure incurred on sports and sportsmen in the Ordnance Equipment Factory, Kanpur, during the last year ;

(b) whether Government allow to incur such a huge expenditure; and

(c) if not, the action proposed to be taken by Government against the officer incurring wasteful expenditure ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh) : (a) A sum of 14,437.30 (Rupees fourteen thousand four hundred thirty seven and paise thirty only) was spent during 1977.

(b) Only Rs. 2,900/- was spent from Government grant. The balance was met from non-Government funds.

(c) Expenditure on sports is not wasteful.

अतारांकित प्रश्न संख्या 3836 दिनांक 14-12-77 के बारे में शुद्धि करने वाला विवरण

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO UQ No. 3836 dt. 14-12-77

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : सिगरेटों के नये ब्राण्डों के बारे में लोक सभा में 14 दिसम्बर, 1977 को उत्तरित अ० प्र० सं० 3836 के भाग (घ) के उत्तर में दिए गए विवरण में क्रम संख्या 1 पर मे० आई०टी०सी० लि० (5 एककों) को सम्मिलित किया गया था; अब इस मंत्रालय को सूचित किया गया है कि मे० आई०टी०सी० लि० की इक्विटी (अंश-पूंजी) में अनिवासी हितों को 24 मई, 1977 से घटाकर 40% से कम स्तर पर ला दिया गया है अतः यह उस दिन से विदेशी एकक नहीं रह गया है। उत्तर दिए जाने वाले दिन की सही स्थिति यह है कि सिगरेट का उत्पादन करने वाला 40% से अधिक अनिवासी धारिता वाला मे० गाडफ्रे फिलिप्स लि०, बंबई एकमात्र एकक है। अतः लोक सभा में 14 दिसम्बर, 1977 को उत्तर दिए गये अ०प्र० सं० 3836 के भाग (घ) के उत्तर में विवरण के क्र० सं० 1 को और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निकाल दिया गया समझा जाये।

2. चूंकि जानकारी जिसकी वजह से संशोधन करना आवश्यक हो गया केवल 11 जनवरी, 1978 को प्राप्त हुई थी और चूंकि तब तक लोक सभा का सत्र समाप्त हो चुका था अतः खेद है कि यह विवरण संसद पटल पर पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, आदि

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 15 (ङ) जो दिनांक 13 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो श्री जानकी सुगर मिल्स एण्ड कंपनी, डोईवाला, जिला देहरादून, (उत्तर प्रदेश) के प्रबंध पर नियंत्रण जारी रखने से सम्बन्धित है।

(दो) सां० आ० 100 (ङ) जो दिनांक 16 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड, विश्वमित्री, बड़ौदा के प्रबंध पर नियंत्रण जारी रखने से संबंधित है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1817/78]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 1976-77 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक--महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1718/78]

(ख) (एक) खनन तथा सहायक मशीनरी निगम लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) खनन तथा सहायक मशीनरी निगम लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1719/78]

(3) केन्द्रीय टूल डिजाइन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1720/78]**

(4) लघु उद्योग विस्तारण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1721/78]**

(5) विद्युत् चालित मापक उपकरणों डिजाइन संस्थान, बम्बई के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(6) उपर्युक्त (3), (4) और (5) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1722/78]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958/गोदी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम, 1978 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि आदि

नौवहन और परिवहन संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (दर) नियम, 1977, जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1705 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रगामी पोतों का पंजीकरण) (संशोधन) नियम, 1978, जो दिनांक 18 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 270 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1723/78]

(2) गोदी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गोदी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 256 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1724/78]

(3) नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1725/78]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रख गया। देखिये संख्या एल० टी० 1726/79]

(5) लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित अवधि में पोत परिवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1727/79]

पटसन (लाईसेंस देना तथा नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1978 और उद्योग अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पटसन (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 79(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1728/78]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० आ० 77 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1729/79]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 और जांच आयुक्त (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1977 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) चौथा संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1700 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1978, जो दिनांक 4 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 5(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1978, जो दिनांक 14 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 43 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियमन, 1978, जो दिनांक 14 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 44 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1730/78]

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1978, जो दिनांक 14 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 45 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियमन, 1978 जो दिनांक 14 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 46 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 11 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 215 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 11 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 216 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 11 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 217 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 17 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 76(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 18 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 252 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्य एवं सेवा निवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 18 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 253 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) पहला संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 18 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 254 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता विनियमन) संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 22 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 80(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1730/78]

(2) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जांच आयोग (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1716 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1731/78]**

जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियो की हडताल के बारे में
RE : STRIKE BY DEVELOPMENT OFFICERS OF L.I.C.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : जोवन बीमा निगम के विकास अधिकारी कल से हड़ताल पर जायेंगे । मैंने इस बारे नियम 377 के अधीन नोटिस तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है । मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के नोटिस को अनुमति दे दी है ।

श्री जयप्रकाश नारायण के इलाज संबंधी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में
RE : REPORT OF INQUIRY COMMITTEE OF SHRI JAIPRAKASH NARAYAN'S TREATMENT

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : The Hon. Minister had promised to lay the report reg. treatment of Shri Jai Prakash Narayan, on the Table on Monday. The Hon. Minister is avoiding it.

श्री कुंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : हां, इन्होंने ऐसा वायदा किया था ।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : मंत्री महोदय इसके लिये वचनबद्ध हैं ।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को सूचित कर दें कि रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की गयी।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं उन्हें सूचित कर दूंगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के आगमन और प्रस्थान में विलम्ब की बढ़ती हुई घटनायें

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के आगमन और प्रस्थान में विलम्ब, अन्तिम समय अनेक उड़ानों के रद्द किये जाने और विमानों की मरम्मत और रखरखाव में अकुशलता की बढ़ती हुई घटनायें जिसके कारण इण्डियन एयरलाइन्स की साख गिरी है ।"

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : Delays and cancellations are categorised into two groups, that is, **Group 'A'**—comprising departmentwise break up of delays and cancellations, which are within the control of the Corporation, such as commercial, operations, engineering and Ground support services and **Group 'B'**—consisting of delays and cancellations due to factors beyond the control of the Corporation, such as weather, airport facilities, miscellaneous and consequential. Consequential delays, which are a result of a primary delay at any one of the preceding stations, have a multiple effect as each of the aircraft performs several services in a day with little margins to make up such delays.

2. The delay rate under Group 'A', that is, due to factors within the control of the Corporation, was brought down from 6.37% in November, 1977, to 5.88% in January, 1978. In regard to the delays under Group 'B', that is, due to reasons beyond the control of the Corporation, the delay rate came down from 48.44% in November, 1977 to 44.05% in January, 1978. In this context, it is necessary to highlight the comparative position in respect of factors under Group 'B' :—

DELAY RATE (Percentage)

	1976-77	1977-78
November	37.22%	48.44%
December	36.26%	50.53%
January	40.64%	44.05%

The above position has been brought about primarily due to bad weather, resulting in poor visibility at stations of origin, destination and on route, which is not unusual during this part of the year. As would be evident from the above statement, of late the impact on this account has been somewhat greater as compared to the corresponding period of the previous year.

3. The cancellations of flights are attributable either to factors under Group 'A' (factors within the control of the Corporation) or Group 'B' (factors beyond the control of the Corporation). The comparative position in this regard is as follow :—

CANCELLATIONS

	GROUP 'A' 1976-77	GROUP 'A' 1977-78	GROUP 'B' 1976-77	GROUP 'B' 1977-78
November	14	9	93	130
December	11	4	54	137
January	9	4	93	157

It is therefore apparent that cancellations due to factors within the control of the Corporation are far less during the three months of 1977-78, as compared to the corresponding period of the preceding year, whereas the position is exactly reverse in respect of cancellations due to factors beyond the control of the Corporation.

4. As regards servicing and maintenance of aircraft, the technical despatch reliability of the Corporation has shown a fairly consistent improvement as will be evident from the following statement :—

TECHNICAL DESP ATCH RELIABILITY

	1976-77	1977 78
November	97.71%	98.09%
December	98.29%	98.71%
January	97.93%	98.33%

It can thus be seen that the delays are due to factors which are beyond the control of the Airline.

5. In order to minimise the delays and cancellations, delay meetings are held at all levels, when such cases on all routes of the Corporation's network are scrutinised and preventive action taken wherever considered necessary. A Committee consisting of officers of Air-India, Indian Airlines, International Airports Authority of India and Director General of Civil Aviation has been formed to go into the delays in the Corporation and give a report to the Ministry.

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैंने विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ा है । इसमें कोई नई बात नहीं की गई है । हमारा रोज का अनुभव यह है कि जब विमान चार चार घंटे लेट हो जाता है तो यात्रियों की सुविधा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता और न ही खाने पीने की कोई व्यवस्था की जाती है । गत सप्ताह जब मुझे दिल्ली से भोपाल जाना था, मुझे चार घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी । इससे तो कहीं अच्छा रेल से सफर करना है । आपात स्थिति के दौरान कार्यकुशलता 100 गुना अच्छी थी । आजकल समन्वय का अभाव है । मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि विमान सेवा तथा विमानों के रखरखाव में सुधार किया जाएगा ।

Shri Purushottam Kaushik : The information that I have given really reflects the improvement. If he gives me the details of his personal experience, I will enquire into the matter and if there has been any delay due to negligence of any official, action will be taken against him.

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या मंत्री महोदय समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

13 वां प्रतिवेदन

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 13 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1975-76
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 1975-76

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं वर्ष 1975-76 के लिए बजट (रेलवे) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगो का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1977-78
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1977-78

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं वर्ष 1977-78 के लिए बजट (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगो का एक विवरण-प्रस्तुत करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) बबीना छावनी क्षेत्र, झांसी में 22 हरिजन सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाना

Shri Laxmi Narain Nayak (Khujraho) : Mr. Speaker, Sir, I am placing before you a very important motion under Rule 377. 22 Harijan Safai Karmacharis, who are working in Babina Cantonment area for several years and who should have been made permanent, have been removed from service. This has caused great hardship to their families. It is unjustified to keep them temporary for such a long period. I demand that these employees should be reinstated and all the temporary employees of the cantonment area should be made permanent.

(दो) बिहार में छात्रों द्वारा संभावित प्रदर्शन

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : I want to inform the House that students of Bihar are preparing to hold a demonstration on 18th of March. The House would recall that the students of Bihar had submitted twelve demands to the Government in the year 1974. Since those demands have not been conceded so far all the student organisations in the States are preparing to hold a demonstration on 18th March. It is high time that some concrete steps are taken to meet these demands, otherwise there is a possibility of a serious trouble in the State which may spread throughout the country.

(तीन) दिल्ली में और उसके आसपास ईंटों के भट्टों में काम करने वाले मजदूरों की दशा

Shri O. P. Tyagi (Bahraich): I would like to draw the attention of the Government towards an important matter. Although a law has been passed against the bonded labour system in Delhi itself about 50,000 workers are under the clutches of this system. These are mostly kiln workers and belong to Harijan and other backward classes. They are brought by the contractors from Rajasthan and other States on the promise of being given employment. But what is actually happening is that some foodgrains are advanced to them and the accounts are so manipulated that they constantly remain in debt and are held in bondage. This kind of exploitation must stop. Recently these labourers held a demonstration at the Boat Club. Even then no attention is paid to their difficulties. Government should see that they are released from bondage and are paid wages according to law.

(चार) आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों की कठिनाइयां

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आंध्र प्रदेश और विशेषकर गुंतुर, कृष्णा, नेल्लोर और खम्मम जिलों के तम्बाकू उत्पादकों को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि एकाधिकारी व्यापारी उनसे माल नहीं उठा रहेऔर ये व्यापारी किसानों को सस्ती दरों पर तम्बाकू बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। समुद्री तुफान के कारण ये किसान पहले से ही परेशान हैं और अब व्यापारियों के हाथों वे बरबाद हो रहे हैं। ये व्यापारी तम्बाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर तम्बाकू नहीं खरीदते । चूंकि सरकार तम्बाकू बोर्ड को तम्बाकू की खरीद के लिए पैसे नहीं देती, इसलिए तम्बाकू उत्पादकों को संरक्षण नहीं मिल पाता और व्यापारी इसका लाभ उठाकर सस्ती दरों पर तम्बाकू खरीदते हैं।

यह एक गम्भीर मामला है । सरकार तम्बाकू उत्पादकों को शीघ्र मदद करे।

(पांच) चीनी मिलों द्वारा सरकारी दर पर गन्ना खरीदने से इन्कार करने का समाचार

Shri Vasant Sathe (Akola) : I would like to draw the attention of the Government towards a serious matter. I have been to Ghaziabad day before yesterday and I have seen that the people there are very much worried about the steep fall in the sugarcane prices. Saraswati Sugar Mill has closed down. Because there has been record production of sugarcane this year, the sugar mill owners are exploiting the situation and are paying the statutory price of Rs. 13.50. This is very unfair.

The Industries Minister and Labour Minister should after consultation at least take over this mill. You should ensure reasonable prices to the farmers.

हिन्दुस्थान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

HINDUSTAN TRACTORS LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFERS OF UNDERTAKING) BILL

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जन साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, विश्वामित्री, बदोदरा के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जन साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, विश्वमित्रो, बड़ोदरा के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

रेलवे बजट, 1978-79—जारी
RAILWAY BUDGET, 1978-79—*Contd.*

सामान्य चर्चा

श्री गोविंद मुंडा (क्योंझर) : उड़िसा और मेरा निर्वाचन क्षेत्र खनिज पदार्थों की दृष्टि से तो सम्पन्न है लेकिन पड़ोसी राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है ।

[(डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई)]
[Dr. Sushila Nayar in the chair]

रेल संचार के अभाव में हमें अपनी खनिज पदार्थों को निर्यात करने में अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । क्योंझार जिला जो एक आदिवासी क्षेत्र है, लोह अयस्क, मैंगनीज, बाक्साईट तथा अन्य खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है । यह खनिज पदार्थ बासपानी और जाखपुर क्षेत्रों के आसपास मिलते हैं लेकिन रेल संचार के अभाव में लोह अयस्क का निर्यात हम बरास्ता, राजकोट और खड़गपुर से पारादीप को करना पड़ता है और इसके लिए हमें अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता है । अतः जाखपुर-बांसपानी रेलवे लाईन को यथाशीघ्र पूरा किया जाये ।

बारबिल से भी एक पैसेन्जर गाड़ी चलाई जानी चाहिये । टाटानगर–बरोजमदा रेल लाईन को बारबिल तक बढ़ाया जाना चाहिये । बारबिल एक घना बसा हुआ शहर होने के साथ साथ खनन क्षेत्र भी है । अतः वहां के लोगों के लिए यह बहुत जरुरी है ।

रोजगार के बारे रेलवे ने अब तक 14 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है । मैं रेल मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन में से आदिवासी कर्मचारियों की श्रेणीवार वर्तमान संख्या क्या है ।

सरकार आरक्षण काउंटर पर महिलाओं को रखना चाहती है । मेरा निवेदन है कि आदिवासी महिलाओं को इन पदों पर रखा जाये ।

श्री बी० सी० कांबले (बम्बई दक्षिण-केन्द्रीय) : रेल बजट अच्छा भी है और खराब भी । अच्छा इसलिये है क्योंकि इसमें पदोन्नति प्रतिशतता में वृद्धि, जनता खाना तथा स्लीपर में रियायत के सम्बन्ध में कुछ उपबंध किए गये हैं । लेकिन जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है उसके बारे में केवल आश्वासन दिया गया है और कोई ठोस प्रस्ताव नहीं किये गये हैं ।

रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि रेल बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा तथा रेलवे अधिनियम में संशोधन किया जायेगा । मेरे विचार में ऐसा करने के बजाय सरकार को पुराना अधिनियम रद्द कर देना चाहिये और संविधान के उपबंधों पर आधारित बिल्कुल एक नया विधेयक लाना चाहिये । इतने पुराने अधिनियम को बनाये रखने का क्या लाभ है ।

पिछड़ी जातियों और जनजातियों के बारे रेल बजट भाषण में कुछ नहीं कहा गया है । नौकरी में उनके लिये पद आरक्षण तथा उनसे सम्बन्धित किन्हीं अन्य बातों का उल्लेख नहीं किया गया है । सामाजिक परिवर्तन के पथ के मार्गदर्शन में रेलवे को यह सिद्ध कर देना चाहिये कि वह राष्ट्रीयकरण का वास्तविक उपकरण है । ऐसा लगता है मंत्री महोदय अनुसूचित जातियों के बारे में उल्लेख करना बिल्कुल भूल गये हैं । प्रतीत होता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा दिए गए सुझावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

रेलवे की आस्तियां 1952 से पांच गुना बढ़ गयी हैं । लेकिन प्राप्त होने वाले सफल राजस्व की प्रतिशतता क्या है ? क्या उसमें भी तद्नुरुप वृद्धि हुई है ? पता चलता है कि वृद्धि केवल एक प्रतिशत हुई है । रेल मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिये ।

कुछ आये प्रस्तावों का उद्देश्य नई रेल लाईनों का निर्माण करना है जिनपर करोड़ों रुपये का खर्चा आयेगा । क्या रेलवे को वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में चलाया जायेगा अथवा सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में चलायेंगे ? कम से कम अब रेलवे को मात्र वाणिज्यिक रूप में काम नहीं करना चाहिये । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कुछ लोग जिनकी पहले पदोन्नति कर दी गई थी अब उन्हें पदावनत किया जा रहा है और कुछ को पदावनत कर भी दिया गया है, उनके मामलों की जांच की जानी चाहिये ।

श्री रुडोल्फ रोड्रिग्स (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय): इसे राहतों का बजट कहा गया है । इसमें सचमुच कई राहतें हैं, कुछ स्पष्ट हैं और कुछ अस्पष्ट और कुछ घातक भी हैं ।

कलकत्ता स्थित एम-टी० आर० भूमिगत रेलवे को दूसरा चसनाला कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक पैसा लगाया जा चुका है जिसके परिणाम कुछ नहीं निकले हैं । इसलिये इस रेलवे को बंद किया जाना चाहिये ।

रेल कर्मचारियों के लिये जो कुछ किया जाना चाहिए था वह हम कर नहीं पाए हैं । हमने अपने कर्मचारियों के साथ जो वायदे किये वे पूरे नहीं हुये हैं । यह गहरा मतभेद बोनस के कारण है । किये गये वायदों के बावजूद भी हम बोनस का मामला अभी तक निपटा नहीं पाये हैं ।

कर्मचारियों की शिक्षा सुविधा हेतु 6.20 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । इस विशिष्ट राशि का बहन शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों के अन्तर्गत क्यों नहीं किया जा सकता ?

हमने रेलवे में श्रेणी भेद को समाप्त कर दिया है और यह घोषणा की गयी है कि प्रथम श्रेणी के वातानुकूल डिब्बे अब रेल गाड़ियों में समाप्त कर दिए जाएंगे लेकिन कर्मचारियों में वही श्रेणियां बनी हुई हैं । श्रेणी 1,2,3 तथा 4 का क्या औचित्य है । कुछ रियायतें छात्रों तथा प्रेस वालों को दी गई हैं । एक आदमी को, वह जिसकी श्रेणी में यात्रा करे, पूरा किराया देना पड़ता है जबकि एक समृद्ध परिवार छात्र अथवा प्रेस वाले आधे किराये पर सफर करते हैं । यह बहुत असामाजिक प्रक्रिया है । मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी रहा हूं और छात्रों को रेल यात्रा के लिए जो रियायत दी गई है उसकी मैं सराहना करता हूं । अपने

[श्री रूडोल्फ रोड्रीग्स]

बजट भाषण में रेल मंत्री ने प्रेस के लोगों को भी कुछ रियायतें दी हैं। यह अच्छी बात हो सकती है किन्तु इसमें क्या औचित्य है। मोची जैसे एक आम आदमी को जो चाहे किसी भी दर्जे में यात्रा करे, पूरा किराया देना पड़ता है जबकि एक परिवार के छात्र अथवा प्रेस वाले आधे किराए पर सफर करते हैं। यह बहुत असामाजिक प्रक्रिया है।

रेलवे में पूरी क्षमता प्रयुक्त न कर पाने के कारण भी बहुत अकुशलता है। हमारी भाड़े की क्षमता 2500 लाख टन है लेकिन निर्धारित क्षमता का पूरा प्रयोग हमने कभी नहीं किया।

1977-78 में गत वर्ष की अपेक्षा केवल संकेत देने के कार्यों और सुरक्षा कार्यों को छोड़कर, जोकि हमारे रेलवे की गति को बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका रेलवे से सीधा संबंध है, प्रत्येक मद पर होने वाले व्यय में वृद्धि हुई है, इसकी जांच की जानी चाहिए।

आरक्षण में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।

कई अभियुक्त स्रोतों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, उदाहरणार्थ हमने डिब्बों में लगाए जाने वाले इश्तहारों के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है।

रेलवे स्टेशनों पर भी चिकित्सा संबंधी सलाह और प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है।

बजट भाषण तथा कुछ अन्य बातें जिन्हें गुप्त रखना जरुरी हो उन्हें छोड़कर बाकी सभी आंकड़े सदस्यों को पहले उपलब्ध करा देने चाहिए तभी सदस्य अच्छी तरह तैयार हो कर आ सकते है।

***श्री ए० सुभासाहिब (पालघाट) :** सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि रेल मंत्री ने यह बजट प्रस्ताव विशेष परिस्थितियों में तैयार किए। चार राज्यों में होने वाले सन्निकट चुनावों को दृष्टि में रखते हुए भाड़े और यात्री किराए में वृद्धि नहीं की गई है।

1977-78 में रेल मंत्री ने पहला बार 89 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया और 1978-79 में 65 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया है। मंत्री महोदय यह बताएं कि मुनाफे में 24 करोड़ रुपये की यह कमी कैसे हुई है? संचालन व्यय के बारे में भी कहा गया है कि यह 84 प्रतिशत से 85 प्रतिशत होने की संभावना है। संचालन व्यय में वृद्धि का क्या कारण है?

रेलवे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार है। आर्थिक विकास में रेलवे का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जून 1977 में रेल मंत्री ने 2200 लाख टन माल की ढुलाई का अनुमान लगाया था अब यह 60 लाख टन और कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि वहां यातायात नहीं है। माल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में होने वाले असाधारण विलंब के कारण ही ढुलाई में कमी हुई है। विलंब के अतिरिक्त वैगनों को व्यापारियों ने अपने गोदाम ही बना रखा है। अनुमान लगाया गया है कि असाधारण विलम्ब तथा वैगनों के स्टेशनों पर अटक जाने के कारण रेलवे को प्रति वर्ष 20 प्रतिशत राजस्व की हानि हो रही है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो रेलवे का घाटा एक हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised Hindi translation based on English version of the speech delivered in Tamil.

रेल मंत्री मीठे शब्दों तथा छोटे-मोटे लाभ देकर अपने कर्मचारियों को खुश कर रहे हैं। उन्हें रेल कर्मचारियों को बोनस देना चाहिए।

महाराष्ट्र, जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, में एक नई रेल लाइन के लिए उपबंध किया गया है लेकिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और केरल के पिछड़े क्षेत्रों के लिए किसी नई लाइन को स्वीकृति नहीं दी गई है। केरल तट जोकि गतिविधियों का केन्द्र है और केरल राज्य के आर्थिक विकास में केरल तट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहां वृद्ध इद्दो की परियोजना है फिर भी इसके निकट कोई रेल लाइन नहीं है। आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों की मांग को स्वीकार करने से पहले उन्हें केरल जैसे पिछड़े राज्य की रेल आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए था।

मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि केरल में त्रिवेन्द्रम के स्थान पर एक नया डिवीजन बनाया जाएगा। लेकिन मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे ओलवक्कोट डिवीजन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस डिवीजन के लिए लोगों ने काफी संघर्ष किया था और तब जाकर 1956 में इसे बनाया गया, यह अब आर्थिक रूप से कुशलता से कार्य कर रहा है। इस डिवीजन से रेलवे को प्रतिवर्ष 9 करोड़ रुपये की आय हो रही है त्रिवेन्द्रम डिवीजन बनाते हुए ओलवक्कोट डिवीजन के वर्तमान क्षेत्राधिकार में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ओलवक्कोट डिवीजन का विभाजन किया जाता है तो यह रेलवे पर भार बन जाएगा। ओलवक्कोट यद्यपि पिछले 22 वर्षों से डिवीजनल हेडक्वार्टर है फिर भी यहां कोई विश्राम कक्ष नहीं है। मंत्री महोदय को ओलवक्कोट जंक्शन की इस मांग की ओर ध्यान देना चाहिए।

रेलवे में प्रतिवर्ष होने वाले मूल्य ह्रास को ध्यान में नहीं रखा गया है। रेलवे अब तक सामान्य राजस्व को रेलवे में पैसा लगाने के लिए ब्याज दे चुकी होगी इसलिए रेलवे को सामान्य राजस्व में अपना योगदान अब बन्द कर देना चाहिए।

प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों, जो अक्सर खाली चलते हैं, बन्द करने का हम स्वागत करते हैं परन्तु मैं द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों के चलाए जाने का समर्थन नहीं कर सकता। श्रेणीविहीन यात्रा को आप लागू करना चाहते हैं परन्तु फिर भी एक नई श्रेणी जोड़ी जा रही है, मंत्री महोदय इस बात की ओर ध्यान दें कि क्या इसकी आवश्यकता है ?

28 नई लाइनों के लिए 163 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिनमें से अभी चार लाइनें ही ली गई है और लगता है शेष 24 लाइनें मेरे जीवनकाल के बाद ही बन पाएंगी तथा 163 करोड़ रुपये की यह व्यवस्था केवल धोखा देने के लिए ही है। रेल मंत्री देश के पिछड़े क्षेत्रों की रेल आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करें।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : वर्तमान रेल मंत्री के कारण ही लगातार दो रेल-बजटों में किराया और भाड़ा नहीं बढ़ाया जा सका है, और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

रेल के नक्शे को देखने पर हम पाएंगे कि मध्य भारत और पूर्वोत्तर क्षेत्र का समुचा भाग एक दो लाइनों के अतिरिक्त रेल-लाइनो से खाली है। क्या वहां लोग नही रहते ? क्या उन्हें शीघ्रगामी यातायात नहीं चाहिए ? परन्तु बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं में बैठे बुद्धिमान लोगों का कहना है कि वहां लाइन बनाने से केवल 10 या 5 प्रतिशत आय होगी। रेलें जनसेवा है आय का साधन नहीं। पिछड़े क्षेत्रों

[श्री यादवेंद्र दत्त]

में रेल लाइनें होने से शीघ्रगामी यातायात ही नहीं मिलेगी वरन् व्यापार और वाणिज्य के नए क्षेत्र भी खुलेंगे ।

पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र बड़े दुर्गम क्षेत्र हैं और उनकी अब तक उपेक्षा की गई है। भविष्य की अपनी योजना बनाते समय रेल मंत्री पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं और देश के आर्थिक विकास और देश के सामरिक तथा सैनिक महत्व को भी ध्यान में रखें । रक्षा विभाग उस समिति में अपना विशेषज्ञ रखे तथा भविष्य में रेलों का विकास समेकित रूप में ही टुकड़े टुकड़े में हों ।

अधिक यात्री सुविधाएं दी जानी चाहिए । एक रुपये का जनता खाना देना, एक अच्छी बात है । परन्तु उसमें केवल 5 छोटी छोटी पूरिया और मिर्चों वाला थोड़ा सा आलू होता है । डीलक्स गाड़ियों में प्लेटें इतनी गन्दी होती हैं कि उनमें खाया नहीं जा सकता । इस ओर ध्यान दिया जाए ।

रेलों में अत्यधिक भीड़ होती है । बीच के स्टेशनों के लिए और अधिक गाड़ियां चलाई जाएं ।

डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों की गति बढ़ाई जाए जिससे समय कम लगे । वाराणसी-देहली एक्सप्रेस के समय की आसानी से दो घन्टा कम किया जा सकता है । जौनपुर-इलाहाबाद सवारी गाड़ी 60 मील की दूरी तय करने में 6 घण्टे लेती है । इसे कम करके 3 घण्टे किया जाएं ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, मेघालय और नागालैण्ड के पिछड़े भागों में लाइनों का सर्वेक्षण किया जाए और वहां लाइनें बनाई जाएं । बरसातो स्टेशन बरास्ता माटे जो केवल 8-10 मील की दूरी पर है, का सर्वेक्षण किया जाए और उस लाइन के बनने से कालोनों के निर्यात का मार्ग खुल जाएगा और इससे उस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को आर्थिक प्रगति में बड़ी मदद मिलेगी ।

रेल मंत्री मरनी हाल्ट और फ्लैग स्टेशन की ओर ध्यान दें । स्टेशन पर टिकट बांटने का काम कमीशन के आधार पर क्यों दिया जाता है ?

पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए या तो इलाहाबाद समाप्त होनेवाली जनता एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया जाए या जौनपुर से बम्बई के लिए सप्ताह में दो बार डिब्बा लगाया जाए ।

सरकार एक आदर्श नियोक्ता के रूप में काम करे । मजदूरों के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध में भागीदार के रूप में रेलवे बोर्ड में लिया जाए ।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : रेलवे बोर्ड को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है । महा-प्रबन्धों को निर्णयों को लागू करने के अधिक अधिकार दिए जाने के बाद रेलवे बोर्ड को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । बोर्ड पर 16 करोड़ रुपये व्यय होते है । यह रुपया लोगों के कल्याण और कर्मचारियों को बोनस आदि देने पर व्यय किया जा सकता है ।

रेल मंत्री के अनुसार 36,000 रेल फाटकों में से 22,000 फाटकों पर चौकीदार नहीं है । यह बड़ी ही भयंकर स्थिति है । इसी कारण दुर्घटनाएं होती हैं । रेल कर्मचारी रेल फाटकों पर दिन में 20 घण्टे काम करते हैं । फिर उन्हें इतना कम वेतन क्यों दिया जाता है ? रेल मंत्री उन्हें पर्याप्त मुआवजा करने की व्यवस्था बजट में करें ।

खड़गपुर वर्कशाप में बहुत से नैमित्तिक और अस्थायी कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। इन लोगों को बहाल करने के लिए कुछ नहीं किया गया। 1974 में बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया और बहुतों को भुगतान नहीं किया गया। बहुत से मामलों का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। सरकार इनका फैसला तुरन्त करे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र कटवा में वर्दवान से मोंटेश्वर अथवा कालना से मोंटेश्वर के लिए कोई लाइन नहीं है। कटवा से बोंडल और बांगोत्र से बारासार के बीच लाइन को दोहरा अथवा विद्युतीकरण नहीं किया गया है, यद्यपि इस सम्बन्ध में अनेकों प्रस्ताव रेल मंत्री को भेजे गए। इस पर ध्यान दिया जाए।

बोनस का मामला अभी भी लटका हुआ है। रेल मंत्री को इसके लिए बजट में निश्चित व्यवस्था करनी चाहिए थी।

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera) : Such a good Railway Budget has never been presented during the last 30 years. It has proved that it is not only discipline but also goodwill which is required for increasing the efficiency in the working of Railways.

The grievances of railway workers should be looked into more sympathetically and the question of granting bonus to them should be settled early.

Construction of a new railway line for Shakari-Hasanpur a backward area of Bihar was sanctioned by the previous Government, but in the present Budget, no provision has been made therefor. This should be looked into and backward areas should be given preference in the matter of construction of new railway lines.

It is claimed that the path of Socialism is being followed, but it is observed that in certain cases those areas which ought to have been given preference in development are being neglected. This should be avoided and efforts should be made to develop all the backward areas in all the regions of the country equally.

Complaints of corruption against some officers in Samastipur Division should be looked into widespread corruption in reservation and booking is also prevalent there. Immediate steps should be taken to remove it.

I request the Hon. Minister to consider the construction of Shakari-Hasanpur line and by expediting this work, the people of this backward area should be given opportunity for their development. I hope due consideration will be given to my suggestions.

श्री रागावलू मोहनरंगम (चेंगलपट्टू) : आशा है कि रेल कर्मचारियों, विशेषकर दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों के बारे में मैं जो बातें कहूंगा, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में उनके बारे में अवश्य कुछ कहेंगे।

रेल बजट की अच्छाइयों तथा बुराइयों के बारे में कुछ कहने से पहले मैं मंत्री जी को कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए की गई तुरन्त कार्यवाही के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

रेल अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अनिवार्य जमा राशि का भुगतान करने के लिए पहले ही अनुदेश जारी कर दिए थे किन्तु दो-तीन महीने हो गए हैं किन्तु उन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया है। इसमें असाधारण विलम्ब हो रहा है।

[श्री रागावलू मोहनरंगम]

जब कभी रेलवे में कुछ भर्ती करनी होती है तो वे विज्ञापन दे देते हैं और रेलवे में जो अनुभवी कर्मचारी पहले ही काम कर रहे हैं, उन्हें अवसर नहीं दिया जाता । कर्मचारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 50 प्रतिशत भर्ती रेल कर्मचारियों में से ही की जानी चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन रेल कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाये जिन्हें रेलवे का अनुभव हैं ।

रेलवे के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को समान स्तर का नहीं समझा जाता है । आई०ए०एस० और आई०पी०एस० के अधिकारियों को जो विशेषाधिकार प्राप्त ह वे रेलव के अधिकारियों को प्राप्त नहीं हैं । इन्हें केन्द्रीय सरकार के अपने समकक्षियों के समान भी अधिकार प्राप्त नहीं है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

रेलवे में क्लर्कों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं । वहां 20-20 वर्षों से लोग एक ही पद पर काम कर रहे हैं । सरकार को एक व्यक्ति के अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने पर स्वत: पदोन्नति देने की व्यवस्था करनी चाहिए । प्रत्येक कर्मचारी को दस वर्ष की सेवा के बाद कम से कम एक पदोन्नति मिल जानी चाहिए । रेलवे में दावों को उचित रूप में तय नहीं किया जाता । इससे यात्रियों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ रही है । एक मामले के निपटारे में एक वर्ष लगा जबकि वह कुल 4100 रुपये का मामला था ।

देश में छः रेलवे सेवा आयोग हैं । प्रत्येक जोनल रेलवे के लिए पृथक सेवा आयोग होना चाहिए ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र चंगलपट्टू में एक पुल है जिससे कन्याकुमारी और अन्य स्थानों को जाया जाता है । इसी प्रकार मद्रास से कलकत्ता को जोड़ने वाला एक गेट है । यदि यह बन्द होता है तो सब गाड़ियों आदि की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इस कठिनाई को दूर किया जाए ।

एगमोर रेलवे स्टेशन पर पुल का रास्ता बहुत संकरा है । 3-4 आदमी भी एक साथ उस पर नहीं चल सकते । मुख्य सड़क तक पहुंचने में लोगों को बहुत समय लगता है । इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए ।

तमिलनाडु एक्सप्रैस और जो० टो० एक्सप्रैस पर खाना बड़ा खराब दिया जाता है । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

Shri R. D. Gattani (Jodhpur) : The current year's Railway Budget is welcome. But the Railway Minister should pay some attention to the rampant corruption in the railways in the matter of loading of goods and sale of tickets serious thought have to be given to such measures as may help in checking the corruption. The main reason for the present state of affairs is that the previous Government had encouraged corruption in administration for the last few years in a planned manner. It is, therefore, advisable that the high ranking railway officers should make surprise checks in running trains and all possible measures should be taken to see that corruption is contained.

So far as employment in railways is concerned, 80 per cent vacancies in class III and class IV categories have so far been filled by employing local people, but for the last few years the percentage has declined from 10 to 7 per cent.

Therefore the local people should not be ignored. The Railway Public Service Commission is not doing justice to the people and the Railway Minister should look into this matter.

Speed of the trains should be increased. The distance of 221 Km. between Jodhpur and Jaipur is covered in 15 hours, which is very low speed indeed.

The rule regarding the release of seats in sleeper coaches after 9 p.m. should be abolished.

Effective steps should be taken to remove over-crowding in trains. Measures should be taken to see that people do not travel on the roofs of trains.

श्री बी० बी० कदम (कनारा) : रेल मंत्री द्वारा पश्चिम तटीय रेल परियोजना के शीघ्र हाथ में लिए जाने के आश्वासन का स्वागत है । यह महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा । तथापि परियोजना को पूरा करने में तेजी लाई जाए ।

हुबली-कारवार रेलवे लाइन बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है । इसका सर्वेक्षण हो चुका है परन्तु किसी न किसी कारणों से इसे टाला जाता रहा है । इस लाइन से कारवार पत्तन के विकास में गति आएगी । पश्चिमी तट के साथ लगनेवाले क्षेत्र के विकास के लिए यह पत्तन बहुत आवश्यक है । इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए इस रेलवे लाइन से बहुत सहायता मिलेगी ।

बंगलौर में पहिया और धुरा उद्योग की स्थापना के लिए बड़ी मांग की गई है । सरकार इसके लिए राजी हो गई थी और भूमि को समतल करने और चारदीवारी पर 1,50,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। लेकिन पता नहीं किन कारणों से इस परियोजना को लम्बित किया गया है । पहियों और एक्सलों का निर्माण अत्यन्त अनिवार्य है और इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत होगी इसलिए इस परियोजना को तेजी से आरम्भ किया जाय । और इसे लम्बित रखने का कोई कारण नहीं होना चाहिये ।

Shri Manohar Lal (Kanpur) : Railway Budget for the current year deserves all praise and I stand to support this. It is understood that Government has spent a large amount of Rs. 22 crores per year on the Railway Board. If this amount is utilised on other heads, it would be in the larger interests of the people, and the Railway Minister should think as to how the amount can be utilised in a better way.

The people feel railway travel very much insecure. Though the Railway Minister has expressed his concern at the growing rate of accidents and has initiated measures to minimise those accidents, yet the feeling among the people is that accidents take place because the Railway Minister or the Government has not acceeded to the demands of low paid employees working in railways. This feeling should be removed. The question of payment of bonus to the railway employees should be considered and this issue should be settled at the earliest.

Measures should be taken to make those casual labourers permanent, who have been working for the last 10 to 15 years.

There is a general complaint that railway claims are not settled expeditiously so, the Railway Minister should take steps to see that those claims are settled without further delay. If necessary, more staff should be recruited for the purpose.

At present, the railway canteens are being managed either by the railway departments or by contractors. The contracts are generally given to old contractors or their relatives. I will, therefore, suggest that these contracts should be

[Shri Manohar Lal]

given either to educated unemployed youths or to the poor widows so that the problem of unemployment may be reduced to some extent.

The incidents of corruption and theft are increasing in railways. Railway Minister should look into this.

The rail-cum-road bridge between Farrukhabad and Kanpur should be repaired as it is in a very dilapidated condition. It should be expedited so as to avoid any accident.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : रेल बजट बहुत अच्छा है इससे प्रोत्साहन मिला है । इसमें किराये और भाड़े में वृद्धि नहीं हुई है । लेकिन इसका प्रभाव सामान्य बजट पर पड़ेगा । देश की सामान्य अर्थव्यवस्था को देखते हुए यातायात के अनुमानों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है । रेलवे प्रशासन ने स्वयं यह कहा है कि उत्पादन में कमी हो रही है । रेलवे की राजस्व प्राप्तियों या आय पर सामान्य अर्थव्यवस्था का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसे हम देश की सामान्य आर्थिक स्थिति से अलग नहीं कर सकते ।

सामान्य बजट में ईन्धन तेल, बिजली और कोयले पर उत्पाद शुल्क लगाया गया है । ये सभी वस्तुएं रेलों के संचालन के लिए अनिवार्य हैं । मंत्री महोदय बतायें कि वर्तमान बजट व्यवस्था के अन्तर्गत वे इन नई आवश्यकताओं को कैसे पूरी करेंगे ? मंत्री महोदय ने कहा है कि वह श्रमिकों को रियायतें देने जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

रेलवे मैन 'नैमित्तिक' प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं। उनकी मांग है कि सभी नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित अथवा स्थाई बनाया जाये । उनकी मांगें न मानने का कोई कारण नहीं है । लोको रनिंग कर्मचारी अपने काम के घण्टों के बारे में प्रशासन का ध्यान दिलाते आ रहे हैं । दस घण्टे का कार्य या दस घण्टे की ड्यूटी कागजों में अधिक दिखाई गई है लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है । दुर्घटनाओं की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

रेलवे बोर्ड के एडीशनल मैम्बरों को अब 'एडवाइजर' कहा जाता है । केवल नाम का परिवर्तन किया गया है । मूल ढांचा ही पुराने जैसा ही है। अनिवार्य जमा योजना के सम्बन्ध में शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रश्न बहुत जटिल है विशेषकर दक्षिण के तूफान ग्रस्त क्षेत्रों में । मद्रास में यह राशि सभी को दी गई जबकि अन्य स्थानों पर इसे रोक लिया गया था । यह विकेन्द्रीकरण है ।

प्रत्यक व्यक्ति यह कहने का प्रयास करता है कि रेल कर्मचारियों का वेतन बहुत अच्छा है । लेकिन मंत्री महोदय जानते हैं कि उन्हें अच्छा वेतन नहीं मिलता है । उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ?

मंत्री महोदय ने विद्युतीकरण की प्रगति के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने मद्रास-गुडूर और मद्रास-त्रिवेन्द्रम सैक्शनों के विद्युतीकरण के बारे में कोई संकेत नही दिया है । इन लाईनों पर यह कार्य बहुत समय से रुका पड़ा है । जहां तक मीटर गेज लाईनों की बड़ी लाईनों में बदलने का प्रश्न है इस संबंध में दक्षिण रेलवे को तामिलनाडु को घोर उपेक्षा की गई है ।

मैं जानना चाहती हूं कि नीलगिरि एक्सप्रैस गाड़ी में डीजल इंजन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। दक्षिण-उत्तर रेलवे को अन्य सभी रेलवे लाइनों पर डीजल के इंजन लगाये गये है।

कोवाई एक्सप्रैस में भी वातानुकूलित डिब्बे हटा दिए गए हैं। ये डिब्बे इस गाड़ी में फिरसे लगाये जाने चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि समन्वित परिवहन व्यवस्था लागू की जायेगी। मैं यह जानना चाहती हूं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि रेलों से लम्बी यात्रा करने वाले यात्री रेलों से यात्रा करना छोड़ सड़क वाहनों से यात्रा करने लगें।

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): I thank the hon. members for appreciating the Railway Budget. Almost all sections of people have welcomed the Budget. There is 15 per cent and 7 per cent reservation for Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively in Railways.

We are spending Rs. 22 Crores on Railway Board and not Rs. 16 Crores. We are trying to improve the catering arrangements in Railways and we are going ahead in this direction. We have deployed 11 thousand persons of Railway Protection Force to keep a watch on sabotage activities so that railway accidents could be averted. Besides, 14 thousand gangmen have also been appointed and we are incurring expenditure of Rupees one lakh daily thereon. This is being done to save the lives of people travelling by trains. Those who are involved in these sabotage activities are committing humans crimes.

It has also been pointed out that there is something wrong in reservation and selling of tickets. It is possible, but we are trying to take remedial measures. It is the complaint of the people that they have to pay Rs. 5 to Rs. 10 more for reservation. I visited Donapur also. (*interruption*). Our Budget has been appriciated by all. (*interruptions*).

We are charging second Class fare and providing first class ammenities. We have introduced Geetanjali Express and Rayalseema Express trains. We have started classless trains (*interruptions*).

Mrs. Parvati Krishnan leads just ten or fifteen employers and declares that a Union has been formed. (*interruptions*). We have told them that if they form a single Union, only then we will recognise that and if there are more trade unions, we will not recognise them. We want decipline, unity and one union in the Railways.

We have placed the railway Budget before the House. (*interruptions*). We are introducing classless trains (*interruptions*).

All the railway employees deserve congratulation for earning rupees 83 crores as profit. This amount has been earned within seven months. We are exporting railway coaches to some foreign countries like Tanzania, Iraq. It is a matter of satisfaction that all the employees in Railway Department are cooperating with each other. We have appointed Bhoothlingam Committee to go into the question of Bonus. So let as wait till the report of this Committee comes before us.

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : (तेजपुर) इस तरह का व्यावहारिक बजट पेश करने के लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में रेल मंत्री ने अपने भाषण में सहानुभूति प्रकट की है और उन्होंने योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि देश के इन पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने के प्रावधानहेतु धनराशि की व्यवस्था की जाये। योजना आयोग द्वारा गठित समिति के समक्ष यह प्रस्ताव विचाराधीन पड़ा हुआ है। लेकिन इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए धन की व्यवस्था न करने में योजना आयोग और रेल मंत्रालय के समक्ष जो कठिनाइयां पेश की गई हैं उनसे इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को भारी आघात पहुंचा है। रेल मंत्रालय को देश के पूर्वोत्तर भाग में राज्यों के प्रमुख नगरों तक रेल लाइनों का विस्तार करना चाहिए। यदि नगरों तक रेल लाइन नहीं पहुंचाई जा सकता तो कम से कम उनका पर्वतीय क्षेत्रों तक तो विस्तार किया जाना चाहिए। जिससे वहां संचार और परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाया जा सके।

इस रेल बजट से स्पष्ट है कि देश में नई रेल लाइनों का विस्तार करने के लिए 66 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 47 लाख रुपये का ही आवंटन किया गया है। गौहाटी-बोंगाई गांव मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। इस परियोजना में इतना अधिक समय नहीं लगाना चाहिए था। कलकत्ता महानगरीय रेलवे परियोजना का प्राक्कलन 120 करोड़ रुपये से बढ़कर 240 करोड़ रुपये हो गया है। समय व्यतीत होने पर अनुमानित व्यय और निर्माण लागत और अधिक बढ़ जायेगी। इसलिए इन परियोजनाओं में इतना विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। हमने तेजपुर में सालाघाट पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर रेल एवं सड़क पुल बनाने के लिए पूर्वोत्तर परिषद से अनुरोध किया है। इस पुल पर सड़क पुल की लागत से केवल 27 करोड़ रुपया अधिक खर्च होगा। राज्य में संचार व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टी से पूर्वोत्तर परिषद तथा आसाम सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को मुखरित करने रेलवे 27 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था कर सकता है।

यह ठीक ही कहा गया है कि हमें मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में रेल व्यवस्था का विकास करना चाहिए। रेल मंत्री को इस मामले पर विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र में रेल लाइनों का विस्तार करने से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

रेल मंत्री के इस विचार का स्वागत है कि रेलवे में केवल एक ही संघ होना चाहिए। लेकिन साथ ही नैमित्तिक श्रमिकों के हितों की सुरक्षा भी की जानी चाहिए। लाखों व्यक्ति अनेक वर्षों से नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। और उन्हें स्थायी या अर्ध स्थायी कर्मचारियों का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। अतः इन लोगों की दशा में सुधार किया जाना चाहिए और इन्हें स्थायी किया जाना चाहिए।

रेल कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन के बारे में भूतलिंगम समिति का प्रतिवेदन देश भर के मजदूरों के सभी संघों के प्रतिनिधियों ने अस्वीकृत कर दिया है। यह समिति सरकार ने मजूरी मूल्य और पारिश्रमिक नीति का निर्धारण करने के लिए गठित की थी। अतः रेल मंत्री को इस प्रतिवेदन पर विचार करने का बजाय अपनी ही नीति निर्धारित करनी चाहिए और देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक नियत करना चाहिए। इनके लिए प्रत्येक स्थान पर मानक वेतन निर्धारित किए जाने चाहिए और उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जानी चाहिए।

देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले रेल कर्मचारियों की रहन-सहन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये लोग एक प्रकार से अर्ध मानव के रूप में जीवन बिता रहे हैं। उन्हें बेहतर मकान, देने चाहिए।

उनमें,बिजली रहने योग्य स्थान तथा पीने का स्वच्छ पानी हो। रेल मंत्री को इन शिकायतों पर विचार करना चाहिए और देश के पिछड़े क्षेत्रों में विशेषतया पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल में व्यवस्था सुधार करना चाहिए।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : अतीत में पेश किए गए सभी रेल बजट राजनीतिक या वैयक्तिक राजनीति-प्रधान रहे हैं। अब तक ऐसा होता रहा कि जिस राज्य का सदस्य रेल मंत्री बनता था उस क्षेत्र के लोग यह आशा करते थे कि वहां रेल संचार व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन इस बार रेल मंत्री जी ने निष्पक्ष बजट पेश किया है। यह अच्छी बात है कि खान-पान व्यवस्था में सुधार करने का वचन दिया गया है। यह तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए वरदान है।

श्रेणी विहीन रेलगाड़ियां चलाने का विचार जो कि हमारे देश जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक हो, सराहनीय है। रेल यात्रा में नई संकल्पना है।

हमें रेल बजट को विभिन्न पहलूओं को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। मुझे यह देखकर खेद है कि रेल बजट में कोई दिशा निर्देश नहीं है। दिशा निर्देश केवल लाभ का बजट पेश करने में ही है, विकास की ओर नहीं। योजना नियतन और नई रेल लाइनें बिछाने के लिए राशि निर्धारण में इस वर्ष कमी की गई है। रेलवे में दक्षता बढ़ाई जानी चाहिए और कम लागत पर अधिक राजस्व कमाना चाहिए और यह अधिक आय रेल कर्मचारियों, गरीब यात्रियों के कल्याण तथा नई-लाइनें बिछाने पर व्यय की जानी चाहिए। इस दृष्टि से यह बजट बहुत ही निराशाजनक है।

इस बजट में दिखाया गया लाभ अधिक दिनों तक नहीं चलेगा क्योंकि सामान्य बजट में 1050 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। सामान्य बजट के घाटे का प्रभाव तुरंत ईंधन की लागत पर पड़ेगा और इंधन के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी।

नई रेल लाइनों के बारे में कुछ संकेत किया गया है। जब हम किसी पिछड़े क्षेत्र को लेते है तो उनकी मुख्य मांग यही होती है कि वहां नई रेल लाइनें बिछायी जायें। जो वायदे किए गए थे वे अभी तक पूरे नहीं किए गए है। पिछले बजट में अधिक रेल लाइनो का निर्माण करने का वचन दिया गया था। लेकिन इस कार्य के लिए बजट में नियत की गई 40 लाख रुपये की राशि बहुत कम है।

हमारे जैसे पिछड़े देश में नई रेल लाइनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चाहे वह क्षेत्र आसाम, नेफा, मेघालय या मणीपुर ही क्यों न हों। यह दृष्टीकोण 30 वर्षो से रेल बजेटों में नहीं आया है और इस बजट में भी नही है। रेल बजट की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए नया दृष्टीकोण तथा नई विकास दिशा किसी भी रेल बजट के लिए नितान्त आवश्यक है। रेल मंत्रालय के लिए आवश्यक है कि वह रेलवे बोर्ड पर पूरा नियंत्रण रखकर उसे आधुनिकतम बनाए और उस सुधार में करे ताकि लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं के पूरा किया जा सके।

नैमित्तिक श्रमिक बड़ी संख्या में हैं। नैमित्तिक श्रमिक प्रणाली को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। इसके लिए क्रम-वार कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। 10 वर्षो के अन्दर रेलवे में संविद श्रमिक प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिए।

रेलवे शायद इस वर्ष 8.33 प्रतिशत बोनस न दे सके। रेलवे प्रशासन कर्मचारियों के बोनस के अधिकार को क्यों नहीं मानता ? यदि वे एक रुपया भी बोनस देते है तो बोनस के अधिकार को मान्यता मिल सकती है। किन्तु रेल कर्मचारियों को बोनस के अधिकार से वंचित रखा गया है। हम मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं कि कर्मचारियों को बोनस देने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी।

[श्री सौगत राय]

टिकट जांचकर्ता का कार्य बहुत कठिन है। उन्हें सारी रात अपने घर से बाहर रहना पड़ता है और उन के लिए बैठने की व्यवस्था भी नहीं होती। रनिंग स्टाफ के कर्मचारी नहीं समझे जाते और रनिंग स्टाफ को जितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, वे इन्हें प्राप्त नहीं हैं। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

सियालदह-बोंगगांव-बंदेल-कटवा लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का प्रश्न है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस बारे में रेल मंत्री को लिखा है और उन्होंने कल्याणी टाउनशिप तक रेल लाइन का विस्तार करने का अनुरोध भी किया है। रेल मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोहरी लाइन बिछाने का यह कार्य यथासंभव शीघ्र आरम्भ किया जाये।

रेल कर्मचारियों को अधिक विश्राम की आवश्यकता है क्यों कि रेल दुर्घटनाओं का एक कारण यह भी है कि वे बहुत अधिक थक जाते हैं और फिर उनमें तत्परता नहीं रहती। इस वर्ष इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये जाने चाहिए और आशा है कि भविष्य में और अधिक कदम उठाये जायेंगे विशेषकर लोको रनिंग स्टाफ के लिए ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

आज हमारे देश में रेल यातायात का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। हमें इसका पूर्ण विकास करना चाहिए ताकि यह क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने में सहायता दे सके।

श्री पालस बर्मन (बलूरघाट) : मंत्री जी ने बजट में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए अपर्याप्त प्रावधान किया है। यह बड़ी निराशाजनक बात है।

पश्चिम बंगाल में पश्चिमी दीनाजपुर जिले के अधिकांश भागों का रेल लाइनों द्वारा कलकत्ता आदि कई स्थानों से सम्पर्क नहीं है। बलरघाट टाऊन भी रेल सम्पर्क से वंचित है।

पश्चिम दीनाजपुर जिले में धान का अधिक उत्पादन होता है और वहां चावलों की लगभग 22 मिले हैं। यातायात के साधनों की कमी के कारण इन मिलों को सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता हैं। इनसे उत्पादन लागत बढ़ती है।

सभी उपभोक्ता और औद्योगिक वस्तुओं की बाहर से सप्लाई भी सड़क परिवहन, ट्रकों आदि द्वारा होती है। अधिक यातायात व्यय के कारण वहां वस्तुओं के मूल्य कलकत्ता की तुलना में अधिक ह।

इस जिले से बाहर के स्थानों के साथ संचार का कार्य भी सड़क परिवहन के बल पर ही होता है और इस लिए यह महंगा पड़ता है। पश्चिम दीनाजपुर जिला तथा बलूरघाट टाउन बंगला देश की सीमा से लगे हुए हैं। इनका सामरिक दृष्टी से भी बहुत महत्व है।

पश्चिम बंगाल सरकार रेल मंत्रालय तथा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रही है कि माल्दा की ओर से बलूरघाट को नार्थ फ्रन्टियर रेलवे से मिला दिया जाये। वहां तीन बार सर्वेक्षण भी किया गया है। किन्तु हर बार इस योजना को इस तर्क के आधार पर स्थगित कर दिया गया कि इस लाइन से घाटा होगा। चाहे इस लाइन के निर्माण से कुछ घाटा ही क्यों न हो, यह लाइन बनाई जानी चाहिए। आने वाले समय में यातायात के विकास से वह घाटा पूरा हो जायेगा क्यों कि वहां विकास करने से भविष्य में काफी लाभ होगा। रेल मंत्री को इस मामले पर विचार करना चाहिए और पश्चिम दीनाजपुर जिले तथा बलूरघाट जिले के लोगों की इस पुरानी मांग को स्वीकार कर लें।

Shri Ramji Lal Suman (Ferozabad): The Railway Minister has presented an unparalleled and historic budget. The Railway Minister has presented a surplus budget without increasing freights and fares. This is really praiseworthy. From April 1977, 108 new trains will be introduced, 28 crore rupees have been allocated for laying down new railway lines and for repairing old railway lines.

The Railway Minister has also taken back employees who were victimized after the railway strike and also during emergency. He deserves all praise for this bold step.

Provision has been made for giving selection grade to class IV employees.

There is no emergency today and there is no imposed discipline. Still the trains are running in time. This is because the employees have faith in the sympathetic approach of the present Government to their difficulties.

Monopoly of certain people on railway book-stalls should be ended. Unemployed young people should be given opportunity to run these book-stalls.

The political set up in our country has changed. But there are persons belonging to the old regime in various committees at Zonal and other levels in the Railways. They should be removed from these committees. Such persons who have no special knowledge of Hindi are also in the Hindi Committee. They should be no longer in this committee.

Representations of scheduled castes and scheduled tribes in the railway services is inadequate. These communities should get their due share. An all-out effort should be made to fill up the reserved quota.

Kutab Express for Agra is a very good train. It should not be discontinued.

There is need for improving the conditions of Firozabad station. Although the Minister has visited this station, yet no steps have been taken to improve it. Also no steps have been taken to construct bridges at Firozabad and Shikahabad stations.

With these words I welcome this railway budget.

Shri Hukam Dev Narain Yadav (Madhubani): The Railway Minister deserves congratulations for presenting a budget which has been welcomed by the people. The railway employees who have extended cooperation to this Government also deserve our congratulations.

The emergency is over and trains are running in time. It is proof of the fact that if Government has a sympathetic attitude towards the demands of the employees and accepts their genuine demands they cooperate with the Government.

The Railway Minister deserves our thanks for converting the line from Barauni to Katihar into broadgauge line. A direct line from Delhi to Assam has been provided. The Minister has also done a good job by providing a direct link from Delhi to Nagaland.

The former Railway Minister Shri L. N. Mishra had done a lot for providing rail facilities in Bihar. People are now thinking that after his death Bihar is not receiving due attention in this regard.

[Shri Hukam Dev Narain Yadav]

The Railway line from Samastipur to Muzaffarpur has been made broadgauge. Till we have a broadgauge line from Samastipur to Darbhanga the people of the area will not have a direct link with Patna. The Railway Minister should give a serious thought to this matter.

The monopoly of A. H. Wheeler and Company in regard to book-stalls has not been put an end to by the Railway Minister. This monopoly should be ended.

Educated unemployed young people or those who want to form cooperatives should be given opportunities to run book-stalls on railway stations.

There is need to improve transport facilities in border areas. 85 miles of Madhubani District is on Nepal border. In this area there are no roads. Rail facilities should be provided there. A railway line connecting Nirmali-Jainagar-Sitamarhi should be provided. The Nirmali-Seraiganj project should also be completed.

The Railway Minister has rightly provided for a concession to teachers, students and journalists if they go on tour in groups of different parts of the country. This concession should also be provided to groups of farmers who want to visit different areas which interest them. Also concession should be given to people to visit important holy places because this will help in fostering unity.

It has been said that all employees who were dismissed at the time of railway strike or and in emergency have been taken back. There are still poor employees who are helpless in getting justice. Concerned officers in the railway administration should be asked to see it that no cases of victimisation remained unattended within their jurisdiction.

There are casual workers who have been working in the railway for the last 10 years but they have not been made regular. There are also cases where persons working as casual labour for the last 5 to 10 years are thrown out of job if they do not pay some money to officers. Hundreds of workers in Samastipur Division have told me about it. This matter should be attended to.

Efficient employees who do their job well and help in maintaining punctuality on the railways should be rewarded. Those who do not finish their work in time should be punished.

The question of giving recognition to unions should not be put off from time to time. Recognition should be given to unions on the basis of secret ballots.

Certain railway buildings have been demolished on the plea of remodelling. The new structures put up are not as strong as the structures which have been demolished. All this work had been taken up to make money. There has been embezzelment of lakhs of rupees. A high level inquiry committee should be appointed to go into this matter.

Air conditioned coaches should be abolished forthwith. Air conditioned two tire sleeper coaches should be converted into ordinary coaches.

There are godowns of Food Corporation of India at different places and railway lines are near these godowns. These lines should be extended right into the FCI Godowns. There are such FCI godowns in Darbhanga and Jainagar where the lines can be extended.

The Minister should pay more attention to providing amenities to second class passengers. Second class compartments are always overcrowded. Therefore more attention should be paid to provide more facilities to the second class passengers.

I congratulate him for presenting surplus budget even after giving concessions. We are trying to go in the direction of socialism. And for this I congratulate him. But at the same time it is regrettable that you have not paid attention to construct railway lines in the backward areas of Bihar like Darbhanga and Madhubani. This point has been raised by some other members also, but nothing has been done in this regard.

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : बजट की कई सराहनीय विशेषताएं हैं। जैसे किराये तथा भाड़े की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यात्रियों को अधिक सुविधाएं दी गई हैं तथा कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को कई रियायतें दी गई हैं।

मंत्री जी को रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाले एक वर्ष होने के बाद यह आशा की गई थी कि वह बजट को एक नया रूप प्रदान करेंगे, दुर्भाग्यवश बजट में यह विशेष बात नहीं है। रेल बजट में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, उसमें तीन बड़े-बड़े दोष हैं।

रेल बजट पर विद्यमान आर्थिक स्थिति की वास्तविकताओं के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। इसे देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। किन्तु खेद की बात है कि रेल-बजट विद्यमान आर्थिक स्थिति से संगत नहीं है। वर्तमान आर्थिक स्थिति में निस्तेज, मांग में मंदी तथा मुद्रा-स्फीति चल रही है। रेल बजट में इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिए था। देश की आर्थिक प्रगति के लिए रेल बजट को एक उपकरण का काम करना चाहिए था। किन्तु जो कुछ किया गया है वह इसके विपरित है। आवश्यकता इस बात की है कि किराये तथा भाड़े की दरों को घटाया जाना चाहिए था। कम से कम यात्रा करने वाले लोगों को कुछ राहत दी जानी चाहिए थी। उदाहरण के तौर पर स्थानीय पसेंजर गाड़ियों में किराया कम किया जाना चाहिए था।

इस बजट में दूसरा महत्वपूर्ण दोष यह है कि रेलवे के विकास के लिए दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई गई है। जब हम गत 11 वर्षों के दौरान के चल स्टाक की स्थिति पर दृष्टिपात करते है तो यह कमी इस बात से पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चल स्टाक का आकार स्थिर है। गत 11 वर्षों के दौरान लोकोमोटिव्स की संख्या में गिरावट आई है। यही स्थिति माल डिब्बों की भी है। यदि भारतीय रेल के विकास के लिए हमारी कोई दीर्घकालिक योजना होती तो फिर यह स्थिरता समाप्त हो जाती। किन्तु दुर्भाग्य से बजट में यह चीज नहीं दिखाई गई है।

हमारे रेल बजट में तीसरा दोष यह है कि यह औद्योगिक विकास की वर्तमान नीति पर विचार करने में असफल रहा है। इसमें इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। गतिशील मंत्री जी द्वारा बजट को नया रूप देने की बजाय वही लकीर का फकीर की नीति अपनाई गई है। यह पहले जैसे बजटों की ही तरह का है।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

बोनस का बजट में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। हमें भूथलिंगम समिति तथा अन्य बातों के बारे में बताया गया है। मंत्री जी ने स्वयं रेल कर्मचारियों को बोनस देने की मांग की थी किन्तु अब उन्हें इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए। जहां तक बोनस का सम्बन्ध है, उन्हें इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर देने चाहिएं। और यह नहीं कहना चाहिए कि भूथलिंगम समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर इस मामले पर विचार किया जायेगा।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, वहां स्टेशनों पर सुविधाओं की कमी है। आशा है कि मंत्री जी इस मामले पर समुचित, सहानुभूतिपूर्ण रूप से विचार करेंगे।

श्री पो० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : रेलवे को कुछ लाभांश सरकार को देना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता कि रेलवे को सामान्य राजस्व में 6 प्रतिशत की दर से लाभांश क्यों न देना पडता है। इसमें कमी की जानी चाहिए। मंत्री जी को कोई तरीका निकालना चाहिये कि सरकार लाभांश की इस दर में कमी करने के लिए सहमत हो जाये ताकि रेलवे को विकास कार्यों के लिए अधिक धन मिल सके।

आज हमारे पास विदेशी मुद्रा अधिक है, अत: मंत्री जी को देखना चाहिए कि क्या हम इस विदेशी मुद्रा को रेल लाइनों के विकास के लिए प्रयोग में लाए।

मंत्री जी ने कहा है कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए रेलवे आधारभूत ढांचे का एक अभिन्न अंग है और इसलिए वे प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में चुपचाप नहीं रह सकते। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। किन्तु मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसे व्यावहारिक रूप दें।

हम कटपाडी से तिरुपति तक मीटर गेज लाइन को बडी लाइन में बदलना चाहते हैं। इसकी दूरी 50 मील से भी कम है। सरकार ने कहा है कि यातायात और अन्य कारणों से इसे बड़ी लाइन में बदलना संभव नहीं है। जब तक आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं करेंगे तब तक उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। वह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रेनिगुन्टा में उद्योगों की स्थापना हो रही है और वहां उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं।

चित्तूर में, जहां गुड़ की सबसे बड़ी मार्कीट है, बड़ी रेल लाइन नहीं है। यदि व्यापारी गुड़ को भेजना चाहता है तो उन्हें वह गुड़ लॉरी द्वारा चित्तूर से रेगन्टा तक ले जाना पड़ता है। उन्हें वहां उसको उतारना पड़ता है और फिर गाड़ी में चढ़ाना पड़ता है इससे उनको बहुत हानि हो रही है। यदि यह लाइन बड़ी लाइन में बदल दी जाये तो फिर वे तिरुपति, रेंगुन्टा होते हुए कलकत्ता पहुंच सकते हैं और इससे दूरी भी कम हो जायेगी। अत: जोड़ने वाली इस लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाना चाहिये क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों को बिछाने का सम्बन्ध है, सरकार को पहले कम दूरी वाली लाइनों का निर्माण करना चाहिए। यदि मुलबगल पाल्यनेर होते हुए बंगलौर से चित्तूर तक रेल लाइन को जोड़ दिया जाये तो फिर लोग सीधे उत्तर भारत में जा सकते हैं। इसी तरह यदि रेल लाइन को बंगलौर से जलरपेट तक तथा उसके बाद मद्रास तक बिछा दिया जाय तो फिर वे लोग गटर होते हुए कलकत्ता पहुंच सकते हैं।

खुशी की बात है कि तेज चलने वाली गाड़ियां चलाई जा रही हैं। यह अच्छी बात है। किन्तु जब तेज चलने वाली गाड़ियां चलाई जायें तो फिर रेल लाइनों को पक्का किया जाना चाहिए। रेल पथ के $\frac{1}{4}$ हिस्से का नवीकरण होना चाहिए और यह काम शीघ्रता से किया जाना चाहिए और इसके लिए पैसे की आवश्यकता है। वित्त मंत्री को चाहिए वह कुछ विदेशी मुद्रा दे दें ताकि यह कार्य किया जा सके।

जहां तक सुरक्षा का संबंध है, मंत्री जी ने इसमें बहुत रुचि ली है और कुछ कार्य भी किए हैं। किन्तु सुरक्षा के लिए उन्हें कई अन्य उपाय भी ढूंढ़ निकालने चाहिए क्यों कि अब लोग गाड़ियों से यात्रा करने से घबराने लगे हैं।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करने के पश्चात् मंत्री जी कुछ शक्तियां दे रहे हैं और वह उन शक्तियों को कम करने पर भी विचार कर रहे हैं। निम्न स्तर तक भी शक्तियों को कम किया जाना चाहिए ताकि वहां शक्ति का विकेन्द्रीकरण बना रहे और निम्न स्तर पर तुरन्त निर्णय लिए जा सकें तथा स्थानीय समस्याएं हल की जा सकें।

जहां तक रियायतों का सम्बन्ध है, मंत्री जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद्यान्नों तथा पुस्तकों के लाने ले जाने पर रियायत दी जाये। यदि पुस्तकों के लाने ले जाने में रियायत नहीं दी जाती तो उन्हें लोकप्रिय नहीं बनाया जा सकता। पर्यटन का विकास करने के लिए इसे रेलवे के साथ जोड़ देना चाहिए। यदि पर्यटक कई स्थानों पर जाना चाहते हों तो उन्हें रियायत दी जानी चाहिए।

सड़क रेलवे के समन्वय के लिए एक समिति का गठन किया जाए।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : लाभ का बजट पेश करने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। रेलों का उपयोग करने वालों को दी गई रियायतें तथा रेल कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार तथा किराये तथा भाड़े में किसी तरह की वृद्धि न करना, स्वागत योग्य कदम हैं। 1974 की हड़ताल से प्रभावित लोगों की बहाली करना स्वयं में एक कीर्तिमान है और हमें इस पर गर्व है।

यूरोप ही नहीं बल्कि अफ्रीका तथा फिर बर्मा, चीन तथा सुदूर पूर्वी देशों को भारत के साथ रेल लाइनों द्वारा जोड़ा जा सकता है। तीन द्वीपों को रेल लाइनों द्वारा जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे को कुछ नई परियोजनाएं शीघ्र आरम्भ कर देनी चाहिएं।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और यह उचित दिशा में एक अच्छा कदम है किन्तु दुर्भाग्य से इसमें उतना परिवर्तन नहीं किया गया जितना कि होना चाहिए था। रेल कर्मचारी यह मांग करते आ रहे हैं कि रेलवे बोर्ड में 50 प्रतिशत सदस्यता रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की होनी चाहिए। इस दिशा में भी कुछ किया जाना चाहिए।

जहां तक रेलवे के विस्तार का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि भारत का पूर्वी भाग, विशेषकर आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार तथा उड़ीसा में रेलों का पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है। त्रिपुरा में भी रेल लाइनें कम हैं। देश की इस विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

सियालदह-बोंगांव लाइन को दोहरी लाइन में बदलना नितांत आवश्यक है। इसका सामरिक महत्व भी है क्योंकि यह बंगला देश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है।

[प्रो० दिलीप चक्रवर्ती]

समूचे विश्व में परिवहन समस्या इतनी बुरी कहीं नहीं है जितनी कि कलकत्ता में है। इसके लिए ट्यूब रेलवे सही हल है किन्तु हमें संदेह है कि हम इसे अपने जीवन काल में देख पायेंगे या नहीं। अत: परिक्रमा रेल बहुत ही साधारण उपाय है। गंगा नदी की ओर डम-डम से सियालदाह बीरभीगंज से कालीघाट तक लाइनें हैं उत्तर और दक्षिण को रेल लाइन से मिलाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त परिक्रमा रेल कम लागत पर चलाई जा सकती है।

यदि हमारे देश के कुछ भागों में विकास की कमी को ध्यान में रखा जाये तो यह स्पष्ट नहीं होता कि छोटी लाइनों की उपेक्षा क्यों की जा रही है और उन्हें समाप्त क्यों होने दिया जा रहा है। यह सही है कि छोटी लाइन पर अधिकतम गति 30 किलोमीटर होती है जबकि बड़ी लाइन पर 60 मील प्रति घंटे की गति होती है। किन्तु बड़ी लाइन पर गाड़ी चलाने की लागत छोटी लाइन से 30 गुना अधिक होती है। भारत के 6,00,000 गांवों में बड़ी लाइन द्वारा पहुंचने में 200 साल लग सकते हैं किन्तु छोटी लाइन द्वारा 50 प्रतिशत गांवों में 10 वर्ष में पहुंचा जा सकता है और उसकी लागत भी 1/30 आयेगी। इस मामले पर विचार करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

यह बात समझ में नहीं आई कि रनिंग स्टाफ से 10 घंटे लगातार काम क्यों लिया जाता है। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 1978 में उनसे केवल आठ घंटे काम करवायेंगे।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि रेलवे में भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी का बोल बाला है। आरक्षण का काम महिलाओं को देने का स्वागत है इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी।

रेल पथ के दोनों ओर हजारों एकड़ भूमि है। यह भूमि छोटे किसानों को दी जा सकती है, विशेषकर भूमिहीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को। देश में रेल फाटकों पर बड़ी संख्या में कारों, ट्रकों, लारियों आदि के रुकने के कारण बड़ी संख्या में कार्य दिन व्यर्थ जाते हैं। इसलिए फाटकों पर निचले तथा उपरि पुलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। इसके लिए रेल सुरक्षा निधि का उपयोग किया जा सकता है। कालेज तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को रियायतों से वंचित कर दिया गया है। उन्हें ये सुविधाएं दी जानी चाहिये।

Shri Ahsan Jafri (Ahmedabad): The railway budget is colourless and it does not contain any programme for expansion of the railway network as a means of transport. It is said that the number of railway accidents in the year 1977-78 had gone down as compared to earlier years. But it is far from truth because the number of deaths due to accidents was 251 in 1977-78 as compared to 167 in 1976-77.

Justice is not being done to railway workers. An atmosphere of unrest is prevailing among them which led to accidents. The Railway Minister did not mention anything about the proposed measures for providing houses to railway workmen. Nothing has so far been done to solve their housing problem.

I shall like to know what medical facilities are being provided to railway workers and what has been done to open more hospitals. The railway workers are not being provided with even basic facilities, which had caused an atmosphere of discontent and unrest among them. The Railway Minister is responsible for providing the railway workers with all the facilities.

At that time you said something and now you have not said a word in your speech about the payment of bonus to railway employees and workers. You are not prepared to say that railway workers are also industrial workers. That is why you did not want to say a single word in this regard. At that time you used to say that railway workers are industrial workers and therefore they should also be paid bonus, but today you are silent in this regard. The bonus issue should be settled immediately, otherwise there will be unrest among the workers.

So far as the question of casual labourers is concerned, their problem will not be solved merely by absorbing them in Catering Department. At present there are about 2.61 lakh casual labourers in this Ministry and they are facing a number of hardships. All of them should be absorbed in railway immediately.

There are about 7085 railway stations in the country but large number of railway stations are not having catering facilities. Besides this the attitude of Catering Departments is not satisfactory. The committee appointed in this regard has said that hygienic condition in the Catering Units of Railways is not upto the mark. Due attention must be paid to the work of maintaining cleanliness and better hygienic condition in the catering service and on the platforms of the stations. Very often it is found that there are not adequate arrangements for drinking water, light, bath-rooms etc. at different stations. Attention should be paid to all these things.

It is said that with a view to reducing accidents, 11000 R.P.F. men have been entrusted with the jobs of maintaining security. But the Railway Ministry has not so far implemented the recommendations of the Shantilal Committee in regard to Railway Protection Force. The R.P.F. men are not being given the same rights and facilities as have been granted to other railway workers. They should also be given night allowance and overtime allowance.

There is no mention about the additional amenities proposed to be given to railway passengers. The income from platform tickets and M/s. A. H. Wheeler and Co. and advertisements should be spent on providing more passenger amenities.

Due attention must be paid to the improvement of the lot of coolies and porters. They are a part of railways and they should also be given the facilities of railway pass or other facilities like medical, housing etc.

The metre gauge line between Delhi and Ahmedabad should be converted into broad gauge line at the earliest. Till then a new fast train between Delhi and Ahmedabad via Ratlam, Anand and Thakore should at least be introduced immediately.

Shri Tej Pratap Singh (Hamirpur) : The Railways have made great progress under the able stewardship of the Railway Minister. The year 1976-77 will be an important year in the annuals of Indian Railways. The Railways have made great strides in 1976-77. The progress made in 1977-78 is also praiseworthy. Revenue of the Railways has increased and more and more amenities are being provided to passengers. The co-operation and efficiency of the employees has also contributed to the good performance of the railways. Still it will take some time for the Railway Minister to improve the condition which had detriorated during the last 30 years.

[Shri Tej Pratap Singh]

In 1950 the number of railway passengers was 12,840 lakhs. In 1976-77, it had gone up to 33,000 lakhs. There is lot of over-crowding in trains. The number of bogies has not increased in proportion to the increase in the number of passengers. There is need to increase the number of bogies to cope up with the increasing rush of second class passengers.

At present we are exporting bogies. When there is shortage of bogies to meet our own demand, the Minister will have to consider the advisability of exporting bogies.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल पुनः आरम्भ कर सकते हैं ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

13 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 13वां प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 9 मार्च, 1978/18 फाल्गुन, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 9th March, 1976/Phalguna 18, 1899 (Saka).

भा०स०मु०ना—सं० 2—54 एल० एस० एस० (एन० डी०)/78—दिनांक 7-6-78—210